



## Preamble → प्रस्तावना

- संविधान सभा ने संविधान मिर्गीय की प्रक्रिया के दौरान सभा में Preamble को शामिल किया।
- Drafting Committee (प्रारूप समिति)
  - 22 अगस्त
  - अनुच्छेद ७१५
  - अनुसूचिया ४
  - प्रस्तावना को सभा में अन्त में शामिल किया गया।
- "संविधान की प्रस्तावना"
  - सम्पूर्ण संविधान के दर्शन को सार रूप में व्यक्त करने वाली संक्षिप्त अभियंत्रित है।
  - यह हारे संविधान की शूलिका या आमुख की भाँति है।
- प्रारूप समिति = २९ अगस्त १९४७ की
  - ↳ अध्यक्ष = डॉ भीमराव अडवेडकर
- प्रस्तावना Preamble
  - |
    - विचार  
ideal/concept
    - भाषा  
Language
    - प्रभाव  
Effect
- "अमेरिका के संविधान"      "आस्ट्रेलिया के संविधान"      "इंद्रेश्य प्रस्ताव objective Resolution"
- मूल संस्करण (original edition) = अंग्रेजी भाषा में है, ↳ Preamble का उच्चारण (Calligraphy) सुलेखक = पुन लिहारी नारायण राजादा।


- हिन्दी भाषा के सुलेखक = वसंत कृष्ण नैध (उद्देशिका शब्द प्रयोग किया)
- ३३१म् प्रस्ताव पेश = 13 दिसम्बर १९४८ को पंजाहर जाल नैसर्जी में  
संविकार = १२ जनवरी १९४९ को

### प्रस्तावना [Preamble]





- विचार (idea) → आंतरिक शक्ति है (Internal process)  
मस्तिष्क में उत्पन्न संवेदन
- अभिव्यक्ति (Expression) = बाह्य प्रक्रिया है (External process)  
विचारों को व्यक्त करने की माध्यम
- विश्वास (Faith) → धार्मिक तौर परीके | रिति रिवाज  
धर्म (Religion) → सम्प्रदाय = हिन्दू | सनातन  
उपासना (worship) → पूजा पढ़ति



**रघाभ** = आर्थिक  $\Rightarrow$  समाज में आर्थिक समानता स्थापित करना  
 गरीब और अमीर के मध्य संतुलन स्थापित करना)  
 जप कर करना

अनु० 38(2) = आप सुविधा और अवसर की असमानता  
 को समाप्त करना

करारापन सेहान्त =

$$5-10 \text{ लाख आय} = 7.5\% \text{ Tax}$$

$$9.5-5 \text{ लाख आय} = 2.5\% \text{ Tax}$$

$$2.5 \text{ लाख आय} = \text{आमनेर} \times$$

शरकार द्वारा संचालित भौजनाएँ  
 बूमा भौजनाएँ  
 राजगार भौजनाएँ  
 सहिती भौजनाएँ  
 आवास भौजनाएँ

- = सामाजिक समानता = वंचित और लोकित कर्ता
- मध्य 15(3) = भौदिलाओं और लक्ष्मी के लिए विशेष प्रावधान
- मध्य 15(4) = सामाजिक रूप लोकालिक कर्ता के पिंड लोगों के लिए विशेष प्रावधान

Art 15(5) ⇒ शिक्षण संस्थानों में विशेष प्रावधान

Art 15(6) ⇒ आर्थिक भाष्य (EWS)

Art 16(4) ⇒ आरक्षण

### राजनीतिक भाष्य =

पंचाभौमि = SC/ST व महिलाओं को आरक्षण

लोकसभा में = महिलाओं को अरक्षण


- समानता = प्रतिष्ठा  
अवसर

**अवसर** = सभी अवसर के आधार पर समाज में समानता स्थापित करना।  
**प्रतिष्ठा** = जीवन मापन हेतु आधार शैक्षणिक सुविधाएं उन तक सभी की पहुँच सुनिश्चित करना।

प्रतिष्ठा दृष्टि  
जीवन मापन = समाज में समानता  
↓  
शास्त्रों

आधारभूत आवश्यकता  
 तक सभी की पहुँच सुनिश्चित हो ]  $\Rightarrow$  जैसे  $\rightarrow$  शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास  
 स्वरूप पेयजल, बिजली  
 स्वरूप इंदून, औजन  
 $\downarrow$   
 ये सारी वीजे गिलने त्मारे देश की  
 "लौक कल्याण कारी राज्य" लगाती है।  
 (welfare state)

\* देश की एकता व अखण्डता  $\Rightarrow$  एकता  $\Rightarrow$  अंतिम से एक ही देश की भावना  
 (unity) (integrity)  $\Rightarrow$  (we are one)




**अखण्डता** = श्रीगौलिङ्ग एकता  
(एकता का बाह्य स्वरूप)


**वंधुता** (Fraternity) ⇔ भाईचारा (सामूहिकता)  
कर्म में एक दूसरे का सहयोग करना

**रासन प्रणाली** = **संभूति प्रमुखता सम्पन्न** (Sovereignty)

किसी भी देश के अपनी श्रीगौलिंग सभा के भीतर संकेत निर्णय लेने का अधिकार है। वह किसी भीतरी वाही देश से इर्णतः गुम्भ है। अपनी श्रीगौलिंग सभा के भीतर अपनी देश की स्मान जन्म के लिए उसके हितमें कीर्ति भी नियम/कारन। विनियम निर्मित जने की एक ओर लागू करने की क्षमता रखता है।

**समाजवाद** → साम्यवाद (कार्लमार्क्स का समाजवाद)  
(Socialism)





समाजवादी, पंचनिरपेक्ष, मुख्यता को = ५२ में संविधान संसद १९७८  
में जौँ गया

भारतीय समाजवादी एक लोकतांत्रिक समाजवादी है।

किसी भी इकार की हिंसक क्रांति की बात नहीं करता।  
ये समाज में समानता स्वापित करता है।

आप की असमानता  
को समाप्त करने  
की बात करता है।

समाज परिस्थिति  
में समाज-चाच  
की बात

आर्थिक समाजवाद  
जरीब और जमीर  
की दूरी करता है।

**पंथनिरपेक्ष** ] → **secular**

धर्मनिरपेक्ष



महात्मा गांधी जी के अनुसार धर्म का मतलब = कर्तव्यों का पालन  
धर्मनिरपेक्ष = "कर्तव्यों से विमुख"

पंथनिरपेक्ष = सम्प्रदाय [विशिष्ट - विशिष्ट मत को मानने वाले लोग]

हिन्दू

मुस्लिम

सिख

ईसाई

धार्मिक हृषि से राज्य = ३ पुकार के

धार्मिक राज्य

धर्म प्रभावित राज्य

धर्मनिरपेक्ष

Positive


Negative

**धार्मिक राज्य :** यहाँ दृश्य की सम्पूर्ण शासन तथवस्थ।  
धर्म के सिद्धान्तों के आधार पर संचालित होती है।

धार्मिक ग्रंथ = विधायिका है, [Legislature]

नियम / विनियम दिए जाते हैं ⇒ उन्हीं के आधार पर दृश्य के कानूनों  
का निर्माण होता है।

धार्मिक प्रधान ⇒ Head of state



Executive  
कार्यपालिका

Judiciary  
ज्यायपालिका

**धर्म उभयवित्त** ⇒ जहाँ डिसी एक धर्म की राजकीय धर्म का दर्जा  
राज्य असी धर्म की मानने वाले लोगों के लिए धार्मिक स्वतन्त्रता  
होती है, अन्य मत की मानने वाले लोगों की नहीं।


**धर्मनिरपेक्ष** ⇒ Negative ( राज्य का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं होता )  
वहाँ पर नागरिकों को धर्म के पुनार, उसार  
की भी स्वतन्त्रता नहीं होती।

राज्य का धर्म से कोई संबंध नहीं होता।

**Positive धर्मनिरपेक्ष** ⇒ राजकीय धर्म नहीं होता

- सभी को धार्मिक स्वतन्त्रता की गारंटी होती है।
- सभी को धर्म के पुनार, उसार, अन्तः करण, उपासना की स्वतन्त्रता होती है।
- राज्य सभी धर्मों की उन्नति और शोधान होता है।
- उनके कार्य में राज्य पुनर्बन्धन भी करता है।

## लोकतांत्रिक राष्ट्राज [Democratic Republic] $\Rightarrow$



$\Rightarrow$  संविधान में संस्नाधन = 1 बार प्रस्तावना में संस्नाधन  
 ५२ वा संविधान संस्नाधन = 1976  
 ३ शब्द जोड़ गए = समाजवाद (Socialism)  
 पंथनिरपेक्ष (Secular)  
 भ्रष्टाचार (Integrity)

① क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है?

- (1) प्रस्तावना को संविधान निर्माण की एकिक्रमी में सबसे अंत में शामिल किया गया
- ② प्रस्तावना ना हो १२ अग्र ३९५ अनु०, १२ अनुशुलिष्ठि में से किसी का भी हिस्सा नहीं है,

प्र०- जैख बली संघ १९६० = SC ने कहा नहीं है,

कैशवानन्द आरती १९७३ = Yes संस्नाधन किया जा सकता है,

प्रस्तावना पुर्वतीय है। (Inforeceable justiciable)  $\Rightarrow$  नहीं है।

गवाहो को लागू करना सके  
वादः योग्य  
न्याय योग्य

मौलिक कर्तव्य  
DPSR

Art

मौलिक अधिकार पुर्वतीय है

SC (32)

HC (920)

### Statement $\Rightarrow$

प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र - उनपालकी वाला

प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सफरों का एक परिणाम है - अल्लादि कृष्णा  
स्वामी अच्यर

प्रस्तावना संविधान की कुंजी / आश्रूषण

- ठाकुर मस भास्त्र

प्रस्तावना संविधान की आत्मा

- K. M. मुर्शी

## संविधान सभा

### Constituent Assembly

#### संविधान Constitution :-

एक वृद्ध कानूनी दस्तावेज होता है।

Huge Comprehensive legal document

इसी के आधार पर किसी भी देश की शासन एवं व्यवस्था का संचालन किया जाता है।

#### शासन (सरकार) Government

विधायिका  
Legislature

कार्यपालिका  
Executive

न्यायपालिका  
Judiciary


विधायिका ⇒ कानून का निर्माण करने वाली संघ

केन्द्र  
संघीय विधायिका  
संघ सुची के विषयों पर कानून बनाने वाली संघ  
में संसद है


→ राज्य सुची में विषय = 100

प्रान्तीय विधायिका  
राज्य सुची के विषयों पर कानून बनाने वाली संघ  
ये प्रान्तीय विधानभृत्य हैं  
→ राज्य सुची में विषय = 61

## कार्यपालिका (Executive)



## न्यायपालिका (Judiciary)



**संविधान सभा**

Constituent Assembly

⇒ हमारा संविधान निर्मित लिखित आँख  
बिशाल है,

Enacted, written on Huge Comprehensive

संविधान कानूनों का समूच्चय या कानूनों का संग्रह है,

## ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

### Historical Background

### संविधान सभा की मांग (Demand)

मानवन्म नायराम का  
पुरा नम - (नरनाम)  
सम्प्रतामी अट्टोचाम  
विचारक चै

अन्तर्गत मांग

Indirect Demand

बाल ज़ंगाद्यार तिलक  
दाका भाई नौराजी

सांकेतिक मांग

Token Demand

महात्मा जांशी  
तज बहादुर सपू  
नेहरू रिपोर्ट

प्रत्यक्ष मांग


Direct Demand

मानवन्म नायराम  
कांग्रेस समिक्षण  
नेहरू

# ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

## Historical Background

### संविधान सभा की मांग (Demand)



अप्रयक्ष मांग

Indirect Demand

बाल गंगाधर तिळक  
दादा भाई नाराजी

सांकेतिक मांग

Taken Demand

महात्मा गांधी  
तेज बहादुर सपू  
नेहरू रिपोर्ट

प्रत्यक्ष मांग

Direct Demand

मानवन्म नाय राय  
कोंग्रेस अधिकारण  
नेहरू

### अप्रयक्ष मांग Indirect Demand :-

#### ।। लोकमान्य बाल गंगाधर तिळक :-

1895 में - स्वराज बिल प्रस्तुत किया [Swaraj Bill]  
ये एक कानूनी दस्तावेज चा [Legal Documents]  
इसकी भाषा कानूनी थी

इसमें 110 लेख थे Provisions / points  
जिसमें भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों की बात कही गयी थी  
(Fundamental Rights)

।। (i) विधि के समक्ष समानता (Equality before law)  
एमको प्र० १० डायसी के विधि के शासन से लिया गया।  
कानून किसी भी दमकति, संस्था से सर्वोच्च है,  
सभी कानून के दायरे में आते हैं,

i) अभिभवक्ति की स्वतन्त्रता [Right of speech]  
प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार है।

## 2) दादा भाई नौराजी :-

1906 के कलकत्ता अधिकाशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे  
स्वराज शब्द का प्रयोग किया

⇒ दादा भाई नौराजी को :-

- i) Grand old man of India कहते हैं,
- ii) Mr. Naheed Maqgin कहते हैं,
- iii) पहले कांग्रेसी चे जिन्होंने कांग्रेस अधिकाशन की उ बार
- iv) पहले भारतीय जो ब्रिटिश संसद के सदस्य बने।

## 3) सांकेतिक मांग Token Demand :-

(i) महात्मा गांधी :-

1929 में कहा - स्वराज भारतीय लोगों की इच्छा (Desires) की अभिभवक्ति होगा (Expression) ना कि ब्रिटिश संसद का कोई उपहार

ii) तज बदादुर सपू :-

1934 में Common wealth of India Bill प्रस्तुत करते हैं,  
↓

1925 में दिल्ली में - All Party Conference सर्वदलीय सम्मलन में गांधी जी इस बिल को रखते हैं।

iii) नेहरू रिपोर्ट :-

१४ अगस्त 1928 की दी

अध्यक्ष - मौती लाल नेहरू

<sup>imp</sup> नेहरू द्विपार्ट की - भारतीय संविधान का प्रारूप इसे कहा जाता है।

Old Version of Indian Constitution

### प्रमुख सिफारिशों की :-

- i) कनाडा और दक्षिण अफ्रीका की मांत्रिक भारत की ऐसी डॉमेनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए।
- ii) भारतीयों की मौलिक अधिकार प्रदान किया जाए (Fundamental Rights)
- iii) साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की समाज के अल्पसंखेको (Minorities) की स्थानों का आदानप्रदान [Communal Voting System] साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली ]
- iv) भारत में ऐसी संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना [Federal System]

### 3) प्रत्यक्ष मांग Direct Demand :-

- i) M.N राय় :- सर्वप्रथम प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के गठन की मांग वास्तविक नाम - नरेन्द्र भट्टराचार्य (एक सम्मवादी विचारक थे)
- ii) 1935 :- कांग्रेस ने भी इसी प्रकार की मांग की
- 1936 :- कांग्रेस का लखनऊ अधिकारम्  
अध्यक्षता - प० बबाहुलाल नैहरू
- 1937 :- फैजपुर अधिकारम् (गाँव में दृष्टि वाला प्रथम कांग्रेस अधिकारम्)  
अध्यक्षता - प० बबाहुलाल नैहरू

1936 व 1937 के कांग्रेस अधिकारम् ने इन मांगों की दौबारा दाहराया।

\* हरिपूरा अधिकरण :- 1938 में हुआ

अद्यक्षता - सुभाष चन्द्र लोस का रहे

इस अधिकरण में भाषण दिया - नेहरू जी ने

→ एवतल भारत का संविधान बिना किसी बहारी हस्तक्षण के  
इसी संविधान समा इत्ता मिर्जित होगा जो उभयक मनाधिकार  
पर निर्वाचित होगा।

\* हरिपुरा अधिकरण :- 1938 में हुआ

अद्यक्षता - सुभाष चन्द्र बोस का रहा था

इस अधिकरण में आधिकारिक दिया - नेहरू जी ने

→ स्वतंत्र भारत का संविधान बिना इसी बारी हस्ताप के  
ऐसी संविधान सभा इसा निर्मित होगा जो एक मनाधिकार  
पर निर्वाचित होगा।

-:- Historical Background :-

-:- अगस्त प्रस्ताव [August Resolution] :-

8 Aug 1940 को आया

वाससराय | गवर्नर जनरल - लिनलिप्पी

**कारण [Cause] :-** द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग लेने के लिए

**प्रावधान [Provision] :-**

- भारत की उम्मेनिम्न स्टॉट का दर्जा दिया जाएगा
- [Council of Viceroy] वाससराय की कार्यकारिणी का विस्तार किया जाएगा  
और उसमें भारतीयों की शामिल किया जाएगा
- [War Consultation Council] एक युद्ध संलाहकार परिषद का गठन  
करेंगे - भारतीयों की शामिल करेंगे।  
(युद्ध के कानूनों की जांच करेंगी)
- अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जायेगी
- द्वितीय युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा।

-:- निष्कर्ष [Conclusion] :-

- 1) ऊंचेजो के द्वारा पहली बार यह स्वीकार किया गया कि भारतीय सभं संविधान का निर्माण करेंगे।

2) July 1941 में वायसराय भी कार्पकानी का विस्तार किया गया और भारतीयों को उसमें शामिल किया गया।

## -:- क्रिप्स मिशन [Cripps Mission] -

१६ मार्च 1942

अधिकारी - स्टेफोर्ड क्रिप्स (Steford Cripps)

Board of Trade का सचिव

ये एकल सदस्यीय मिशन था।

**कार्य [Causes]:-** द्वितीय विश्वयुद्ध में भारतीयों का सहयोग लेने के लिए

**प्रावधान [Provisions]:-**

i) द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा।

उसी के आधार पर देश का संविधान निर्मित होगा।

ii) भारतीयों की मांग - पूर्ण स्वराज भी

अंतर्गत (क्रिप्स मिशन) - औपनिवेशिक स्वराज

iii) खबर तक द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्त नहीं हो जाना तब तक भारतीयों की सुरक्षा की गरंटी हमारी रहेगी।

iv) इस मिशन को भूस्तिम लीग ने भी अस्वीकार कर दिया। भारत को दो स्वामति हिस्सों में बाटकर अलग संविधान बनाओ।

भूस्तिम लीग भी इस मांग को स्टेफोर्ड क्रिप्स ने अस्वीकार कर दिया।

महात्मा गांधी जी ने इसे Post dated cheque कहा और बाद में जोड़ दिया - दिवालिया लैंड का Post dated cheque.

## ।। कैबिनेट मिशन [Cabinet Mission] :-

ब्रिटिश सरकार में कैबिनेट भूमि के मंत्रियों द्वारा लाया गया

24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुँचा

Plan प्रस्तुत किया - 16 मई 1946

अद्यक्ष - एंथेन लार्स [भारत राज्य सचिव था]

स्टेफार्ड क्रिस्ट [बैड आफ ट्रैड का सचिव]

A.V. एलेक्जेंडर [जैवि मिनिस्टर]

## 1. कैबिनेट मिशन [Cabinet Mission] :-

ब्रिटिश सरकार में कैबिनेट भूमि के मंत्रियों द्वारा लाया गया

24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा

Plan प्रस्तुत किया - 16 मई 1946

अधिकारी - प्रधानमंत्री [भारत राज्य सचिव था]

स्टेफार्ड क्रिस्ट [बोर्ड ऑफ इंड का सचिव]

A.V. एलक्जेंडर [नवी निमिस्टर]

इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री - कलीन इरलीचे

संविधान सभा का गठन - कैबिनेट मिशन के आदार पर हुआ

ब्रिटिश भारत प्रान्त = १८

दशी रिप्रायेंटेंट - प्रशासक  
राजा, महाराजा, नवाब  
मनोनित (Nominated)

११

मुख्य प्रशासक = गवर्नर

निर्वाचन (Election)

५

मुख्य प्रशासक - चीफ कमीशनर

दिल्ली

अजमेर भारत

कुर्ना (कर्नाटक)

ब्रिटिश उत्तरप्रदेश

११ प्रान्त =

बंगाल, बिहार, उडीसा

असम, भृगुप्त प्रान्त, मद्रास


संयुक्त प्रान्त, नंबर्ड, पंजाब

सिंध, उत्तर-पश्चिम प्रान्त

॥ प्रान्तो में पहले से ही प्रान्तीय विधानसभा उपस्थित ही

सदस्यों को - जनता ने चुना था

सार्वभागिक लघुसक भतादिकार प्राप्त नहीं था बल्कि सीमित भतादिकार था



विधान सभा क्षेत्र (MLA)

18+ आयु

भतदाता सूची में नाम

] - इसे सार्वभागिक लघुसक  
भतादिकार कहते हैं।

Adult Voting Suffrage

विधान परिषद सदस्य (MLC)

↓  
सीमित भतादिकार → graduate  
Teacher  
→ पंचायत

### संविधान सभा का चुनाव

चुनाव - जुलाई - अगस्त 1946

परिणाम आया - Oct - Nov 1946

- (1) प्रान्तीय विधानसभा के सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्यों के लिए प्रान्तीय असेंबली में वोट किया।
- (2) ब्रिटिश भारत के प्रान्तों का चुनाव  
देशी रिचास्टो में - मनोनयन
- (3) प्रत्येक 10 लोक ली जनसंख्या पर 1 सीट का निर्धारण था।
- (4) सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के आधार पर चुनाव  
उ प्रमुख सदस्यों के मध्य सीढ़ी का निर्धारण उनकी जनसंख्या के आधार पर किया गया
- मुस्लिम  
सिख  
जामान्य (मुस्लिम व सिख की फॉडकर)

Eg :- बंगाल असेम्बली (प्रान्तीय विधानसभा)

20 सदस्य - 20 चुनाव क्षेत्रों से आए


सीमित भताधिकार जाप अधिक शिक्षा

इन चुनाव में वोट देने वाले ऐसी १० सदस्य हैं → संविधान सभा के सदस्यों के लिए चुनाव

[ साम्प्रदानिक निर्वाचन प्रणाली  
Communal Election Method ] :-

एक चुनाव क्षेत्र जहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक है  
वहाँ उम्मीदवार - मुस्लिम ही होगा

उपर्युक्त



परिणाम :-

कांग्रेस = 208 सीट

मुस्लिम = 73 सीट

अन्य = 15 सीट < 8 मिलियन  
में से 7 में से

- 1 - कांग्रेस पार्टी
- 1 - कृषक प्रजा पार्टी
- 1 - यूनिवर पार्टी
- 1 - यूनिवर मुस्लिम पार्टी
- 1 - यूनिवर SC
- 1 - यूनिवर Federal
- 1 - सिख पार्टी (Non-Congress)

## संविधान निर्माण

### Constitution Making

**कार्यप्रणाली (Process) :-**

संविधान सभा का गठन = 6 Dec 1946  
फ्रांस की पहली कैपिटल के आधार पर

**प्रथम बैठक (First sitting) :-**

9 Dec 1946 को

तुरानी स्पीसिए भवन के केन्द्रीय कक्ष में हुई थी  
↓  
Central Assembly Hall

उस समय यह प्रस्तावना भवन तक नहीं पहुंच पाया जाता था  
जो ऐसी में समुक्त अधिकारी (Joint Session) होती थी।

211 सदस्यों ने भाग लिया था  
कुल सदस्य 389 थे

मुस्लिम लीग ने स्वतन्त्रता के इच्छाने के मांग की लेकर इस

देशी रियासतों के अधिकारी प्रतिनिधि ने इस बैठक में  
शामिल होने से इनकार कर दिया।

**डॉ. अच्युतनाथ सिन्हा -**

संविधान सभा में सबसे वरिष्ठ सदस्य थे इसलिए इनको

संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया।

प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष थे (Temporary President)

उन्होंने प्रथम बैठक को संबोधित किया - J B कुलानी थे

11 Dec 1946 - जैसे-2 संविधान सभा की कार्यवाही आगे बढ़ी वैसे-2 इसमें Participate करने वाली Member की संख्या बढ़ी।

संविधानिक सलाहकार

Constitutional Advisor = Dr. B. N. Rau

स्थायी अध्यक्ष

- Dr. Rajendra Prasad → संविधान सभा के 2nd अध्यक्ष प्रथम स्थायी अध्यक्ष

स्थायी उपाध्यक्ष

- Dr. H.C. Mukherjee (राम्मुकुमार)

13 Dec 1946 :- 26 दिसंबर प्रस्ताव Objective Resolution प्रस्तुत किया गया - भवाणी लाल नेहरू द्वारा

26 दिसंबर 1947 की स्वीकार कर लिया - संविधान सभा के 26 दिसंबर प्रस्ताव की विषय वस्तु :-

भारत को एक स्वतन्त्र एवं सम्पुर्ण गणराज्य के रूप में स्थापित किया जाए।  
Independent Sovereign Republic

भंसदीय शासन प्रणाली

(Parliamentary System)

अध्यक्ष

शासनाध्यक्ष

Head of Govt.

प्रधानमंत्री


वास्तविक कार्यपालिका  
मंत्रीपरिषद्

राज्यपाल

Head of State

राज्यपाल

नाममान की कार्यपालिका



- प्रस्तावना की कहा - उद्देश्य प्रस्ताव का विकसित रूप है।

13 Dec 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत

29 जून 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार किया

## ।।।- उद्देश्य प्रस्ताव [Objective Resolution]:-

- i) अल्पसंख्यकों (minorities) के हितों की रक्षा की जाएगी
- ii) भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता (Liberty) प्रदान की जाएगी विचार, अधिकारिक, विश्वास, धर्म व उपासना की ओर मौजूदा ideas, Expression, faith, religion, worship, organisation.
- iii) भारत के समस्त नागरिकों को - राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक - रूप प्रदान किया जाएगा।
- iv) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा की जाएगी।
- v) मानव कल्याण सम् विश्व शोषण में भारत का स्थान सुनिश्चित किया जाएगा।
- (vi) भारत की गौरव शाली परम्परा और प्राचीन सभ्यता को उनका उन्नित स्थान दिलाया जाएगा।

## संविधान सभा की समितियाँ (Committees)

- ४ बड़ी समितियाँ.** इन समितियों के द्वारा सर्वाधिक महत्व के कार्य  
 संघ संविधान समिति ] - जवाहर लाल नेहरू  
 संघ शक्ति समिति ] - डॉ एन-ए प्रसाद  
 देशी रियासतों से बाती संबंधी समिति ] - सरदार वल्लभ भाई पटेल  
 संचालन समिति ] - डॉ एन-ए प्रसाद  
 नियम प्रक्रिया समिति ] - सरदार वल्लभ भाई पटेल  
 प्रान्तीय संविधान समिति ] - सरदार वल्लभ भाई पटेल  
 प्रान्तीय दाता समिति ] - सरदार वल्लभ भाई पटेल  
 ↓      ↴ मुख्य समिति है,

## ५ उपसमितियाँ हैं (5 Sub Committees)

- मौलिक अधिकार संबंधी उपसमिति = ज ब कृष्णनी  
 अल्पसंस्कृत्यको से संबंधित उपसमिति = म० मुख्य  
 शुर्वातीर प्रान्त ३७ समिति (असम को हाँकर) = चौधीनाथ लारदाली  
 उत्तर पश्चिमी सीमावी प्रान्तों की उपसमिति = खान अहमद गाफार खान  
 आंशिक १८ से छोड़ गए प्रान्तों के उपसमिति = एपी ठक्कर

**प्रारंभ समिति -** १९ अगस्त १९४७ को बनी  
**Drafting Committee** अध्यक्ष - Dr. श्रीमराव अंबेडकर

→ इसे संविधान का Draft तयार करना था  
 → ये 7 सदस्यीय समिति थी

- (i) गोपाल एवं मी अनांगर
- (ii) अल्लादि कृष्णास्तमी अच्युर
- (iii) K M गुरुशी (कै-हस्या लाल मुविकलाल गुरुशी)
- iv) मोहम्मद सादुल्ला

v) **B.L. मित्र** (Health issues) ⇒ जिनकी जगह N माधव राव अस्थि  
 vi) **टी टी घृणा** (Death) ⇒ टी टी कृष्णामचारी आरु

### -1- दौरी समितियाँ

- |                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1) प्रेस दीर्घी समिति             | = उषानाथ सेन                     |
| 2) जागरिकता संबंधी तर्फ समिति     | = इस वरदाचारी ] ये संविधान सभा   |
| 3) शुश्रीम कौर्त हैदूर तर्फ समिति | = इस वरदाचारी ] के सदाय नहीं हैं |
| 4) भाषाभी प्रान्त समिति           | = S.K शर ] - ,                   |
| 5) स्ट्राफ समिति                  | = राजन्द्र प्रसाद                |
| 6) शहीदी द्वज हंडु तर्फ समिति     | = राजन्द्र प्रसाद                |
| 7) क्रैडीसियल समिति               | = अल्लादि कृष्णा एवं मी अच्युर   |
| 8) सदन समिति                      | = परदाबि सीता रमेश               |

- १) संघीय संविधान हेतु वित्तीय समिति = नलिनी रँजन सरकार / संविधान सभा के सदस्य नहीं थे
- २) संविधान हेतु कार्य समिति = जी बी मावलंकर
- ३) कार्य संचालन समिति = K M मुन्डी

\* संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, परन्तु फिर भी किसी समिति के अध्यक्ष थे =

(i) एस वरदानार्ही

(ii) एस के धर

(iii) नलिनी रँजन सरकार

### प्रारूप समिति

गठन - 29 Aug 1947  
 (कार्य - संविधान का प्रारूप)  
 तथाकर्ता

संविधान का  
 पहला प्रारूप (Draft)

↓  
 feb 1948

दूसरा प्रारूप - अक्टूबर 1948

↓  
 Final अंतिम Draft था

### Reading वाचन

पहला वाचन

↓  
 [4 Nov 1948 - 9 Nov 1948]

दूसरा वाचन

↓  
 [15 Nov 1948 - 17 Oct 1949]

तीसरा वाचन

↓  
 [14 Nov 1949 - 26 Nov 1949]


⇒ 26 Nov 1949 को प्रारूप संविधान पूर्णरूप से निर्णित

The Constitution is settled by the assembly



(i) २० श्रीमराव अंबेडकर  
 संविधान सभा (Resolution)

be passed



- (2) समूही संविधान निर्भित
- (3) ९८ प्राकृप संविधान पर १४५ सदस्यों ने हस्ताहार किया
- (4) ५ प्रावधान लागू व १८ अनुचक्षण लागू  
 ↳ (1) चुनाव  
 (2) ऊंचाई संसद  
 (3) नागरिकता  
 (4) अस्थायी व स्ट्रक्यूलशील प्रावधान



### भारतीय स्वतन्त्रा आधिनियम 1947



० संविधान सभा सदस्य संख्या घट गयी




1. संविधान सभा के सदस्यों की संख्या घट गयी और अब पाकिस्तान के हिस्से के प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे।

2. संविधान सभा पूरी तरह से स्वतंत्र (Independent) रूप समूह असंघ (Sovcirsyan)

3. संविधान सभा

अन्तर्गत २ कार्यों की अलग - अलग दिवसों में करती थी।

संविधान निर्माण (Constitution making) उपचास → राजीन्द्रपुराद ७ अगस्त → ९ Dec 1946 अंतिम बैठक → २१ Jan 1950	स्वतंत्र भारत की पुराम संसद (Parliament) विधी मालवंकर १७ Nov 1947 पुराम आम चुनाव - १०५१-५२
--	---



### अन्य कार्य :-


1. २२ July 1947 तिरंगे छाड़ी को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार
2. 16 July 1948 वीटी रुद्धाप्रचारी संविधान सभा - द्वितीय उपचास
- HC मुख्यमंत्री ११ Dec 1946 द्वितीय उपचास
3. मई 1949 - राष्ट्रमंडल की सदस्यता औफिचारिक घोषकार।

### Fact :-

1. संविधान सभा प्रतीक विहन → एथी
2. संविधान सभा सचिव → HVR अधिगंश
3. चीफ इन्डिन → LN मुख्यमंत्री
4. संविधानिक सलाहकार VN राव

5. कुल समय → २ तर्फ़, ११ माह, १४ दिन
6. कुल खर्च → ६४ लाख ₹
7. ६० देशों के संविधान का अध्यान करने के उपरान्त
8. सम्पूर्ण कार्यप्रणाली → 53000 ट्राईटीयों ने देखा

\* कुल ग्राहकीयान → 12  
 (Total edition)



### भारतीय संविधान की विशेषताएँ

1. निर्भित, लिखित और विशाल संविधान  
 (enacted, written and Huge Comprehensive)

# ROJGAR WITH ANKIT

## भारतीय संविधान की विशेषताएँ

① निर्भित, लिखित, और विराल संविधान  
written, Huge comprehensive

Bhakt  
लिखित  
अविकसित  
संविधान

निर्भित क्या है  
 ↓  
 निर्माण → संविधान समागम  
 ↓  
 समितियाँ → अधिकरण  
 संविधान समाहृदारा  
 ↓  
 कैविनेट ग्रान की सिफारिश  
 के आधार पर

British → किसित और  
constitution अलिखित संविधान  
 ↓  
 प्रथाएँ, रीतियाँ, किसित होकर  
कानून का रूप धारण

लिखित (written)

Calligraphic  
(सुलेदार)

→ (एमबिहरी रायजादा) अंग्रेजी

26 Nov 1949 (Handwritten) (वंसत क्रत्यं कैद) हिन्दी:

निर्भित

नाग  
Parts  
22

अनुच्छेद  
Articles  
395


अनुस्थियाँ  
Schedules  
8

Huge comprehensive  
(विराल संविधान)

# ROJGAR WITH ANKIT

मूल संविधान  
(Original constitution)  
२२ भाग  
३९५ अनुच्छेद  
० अनुसंधियाँ

भाग १ → "भारत संघ और उसका राज्य अंग" - (१-४)  
भाग २ → नागरिकता → (५-११)  
भाग-३ मौलिक अधिकार → (१२-३५)  
भाग-४ O.P.S.P (राज्य के नीति निर्दाश) → (३६-५१)  
भाग-५ संघ → (५२-१५१)  
भाग-६ राज्य → (१५२-२३७)  
भाग-७ → विषयक संघ (संसदीय अंग) → (२३८)  
भाग-८ संघ राज्य अंग हरा दिया गया → (२३९-२४२)  
भाग-९ पंचायते → (२४३)  
भाग-१० → SC/ST अंग → (२४४)



पुराने  
भागों विस्तार

- ४ (क) मौलिक कर्तव्य → ४२वाँ संविधान - 1976 ५१(९)
- ७ (क) नगर पंचायत → ७४वे संविधान - 1993 (२४३८-२५)
- ७ (घ) सहकारी समितियाँ → ९७वे संविधान - 2011 (२४३२४-२८)
- १४ (क) अधिकरण → ४२वे संविधान - 1976 → (३२३०)(६)

# ROJGAR WITH ANKIT

अनुसूची जोड़ी गयी

न्या विस्तार


9 प्रथम संविधान संशोधन 1951 → भूमि सुधार

10 52वें संविधान संशोधन 1985 → दलबदल निषेद्ध

11 73वें संविधान संशोधन 1993 → ग्राम पंचायत

12 74वें " " 1993 → नगर पंचायत

## संविधान की सर्वोच्चता



## ROJGAR WITH ANKIT

① संविधान देरा का सर्वोच्च कानून है  
(Supreme law)

② कोई शी कानून या आदेरा संविधान के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता  
 (legislative, executive, judiciary)

कोई शी कानून संविधान के आधारभूत दाचे के विरुद्ध ही हो।

क्रांति भारतीयों  
(1973)

③ सरकार के सातीयों →  
 legislative, executive, judiciary  
 संविधान के अन्तर रहकर ही कार्य करा होगा।

## मार्गीय संविधान की विशेषताएँ :-

१) निर्भित, लिखित और विशाल संविधान

२) संविधान की सर्वोच्चता

३) अनम्यता एवं सनम्यता का मिश्रण  
 कठोरता  
 (Rigidity)  
 ↓  
 संशोधन (Amendment)

लचीलापन  
 (Flexibility)

↓  
 संशोधन (Amendment) करना  
 आसान होता है,

• विशेष बहुमत से संसाधन हो  
 Special majority

• साधारण बहुमत से संसाधन हो  
 General majority

↳ अधिकारों की संरक्षण

↳ कुछ Provisions ऐसे हैं जिनमें  
 संसाधन आसान होता है करना

↳ कुछ Provisions ऐसे हैं  
 जिनमें संसाधन करना कठिन

### बहुमत का प्रकार

### Types of Majority

साधारण बहुमत

General Majority

प्रभावी बहुमत

Effective Majority

विशेष बहुमत

Specific Majority

राज्य सभा = कुल सदस्य संख्या (245)

विधीयक पास  $\Rightarrow$  साधारण बहुमत से  $\Rightarrow$  उपरित - 240

↓  
 मतदान = 235

उपरित और मतदान करने वालों का 50% + 1

$$\frac{238}{2} + 1 \Rightarrow 119 + 1 \Rightarrow 120 \text{ Vote}$$

साधारण बहुमत से लागू

- ① अनु० - २, ३, ४
- ② अनु० - १६९ = विधानपरिषद् संज्ञन  
समिति
- ③ दूसरी अनुसूची
- ④ राज्यसभा - १००(३) १५०वें
- ⑤ अनु० १०६ - संसद् सदस्यों के बतन अन्ते
- ⑥ अनु० १०५ - संसद् सदस्यों के विशेषाधिकार
- ⑦ अनु० ८-॥ = नागरिकता संबंधी प्रावधान
- ⑧ अनु० १५० = संघ राज्य द्वेष
- ⑨ अनु० ३२७ = चुनाव से सम्बंधित प्रावधान

विधेयक पास  $\rightarrow$  प्रभावी बहुमत (Effective Majority)

राज्यसभा = २५८ सदस्य

कुल सदस्य संख्या - रिक्तियों का बहुत

उपस्थित = २४० ,

मतदान = २३८ ,

॥

Vacancy रिक्तियाँ = २ मृत्यु

२५८ - ५  $\Rightarrow$  २५३ के Majority

१ पद से व्यापक


$\frac{240}{2} + 1 \Rightarrow 121$  सदस्य

१ निर्वाचन रद्द

संसद् के ८ प्राधिकारियों Office की हराया जाता

→ लोकसभा ————— अध्यतं  
उपाध्यतं

→ विधानसभा ————— अध्यक्ष  
उपाध्यक्ष



## विशेष बहुमत Special majority :-

$$\text{राज्यसभा} = 245$$

$$\text{उपरिचय} = 140$$

$$\text{मतदान} = 210$$

### Ist Type

उपरिचय और मतदान का  $\frac{2}{3}$  वाले

$$\text{का } \frac{2}{3}$$

$$210 \times \frac{2}{3} \Rightarrow 140$$

(i) अनु० १५१  $\Rightarrow$  राज्यसभी के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है।

(ii) अनु० ३१  $\Rightarrow$  अधिकल भारतीय सेवाएँ

### IInd Types :-

उपरिचय और मतदान का वाले का  $\frac{2}{3}$  जिनकी कुल संख्या से आधे से कम न हो  $\Rightarrow 140$  संख्या

$$\text{कुल संख्या} \Rightarrow \frac{245}{2} \Rightarrow 122.5$$

① सुप्रीम कोर्ट के अवृत्ति Removal

② High Court Judge - Removal

③ उपरिचय का Removal

### IIIrd Types :-

कुल संख्या से  $\frac{2}{3}$

$$245 \times \frac{2}{3} \Rightarrow 162$$

① Art 61  $\Rightarrow$  राष्ट्रपति पर मदाखियोग

विशिष्ट बुमत + आधे राज्यों की सदृशत - **Ist type**

↪ (1) अनु० ८५ और अनु० ८५

राष्ट्रपति का निवाचक  
मोडल

राष्ट्रपति की निवाचन  
पद्धति

② अन० ७५ और अन० १६२

संघीय मंत्रीपरिषद्

राज्यों की मंत्रीपरिषद्

③ भाग - ८ / अद्याय ५ = सुप्रीम कोर्ट

④ सातवी अनुसूची = केन्द्र एवम् राज्यों के महत्वर्ती राजिकाओं का बरतारा

⑤ चौथी अनुसूची → राज्यमन्त्रा में विभिन्न राज्यों से सदृशी  
जा आवरण

4) संघात्मक संविधान परन्तु एकात्मकता की ओर सुकार  
Federal Constitution with Unitary Bias.

केंद्र रेत प्रान्तों के मृद्य संबंधों के आधार पर संविधान  
के त्र प्रकार हैं।



सबसे विकसित राष्ट्र है  
सभी प्रकार के आधुनिक संसाधन हैं।



तकनीक संसाधन

मानवीय संसाधन

आर्थिक संसाधन

Defence Resources

14 देश ⇒ **(तन देश)**

केजाकिस्तान	अन्धर्बंजान
किरिस्तान	आर्मेनिया
उज्बैकिस्तान	बेलारूस
तजाकिस्तान	माल्दीव
तुर्के मनिस्तान	इत्रेन

14 देशों ने संघ बनाया इस के साथ मिलकर = परिसंघ Confederal  
 ↓

14 + 1 देश

२ तरह के विषय होंगे


संघीय विषय  
राज्य विषय

### संघीय विषय :-

युद्ध रख रांगी  
वैदिक मामले पर  
संचार

### राज्य विषय :-

दीवानी मामले  
जौजदारी मामले  
Law and Order  
Education, Health




### Agreement:-

- राज्य (Nation) भवे चाहे तब संघ (Union) से अलग हो सकते हैं।
- "अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ"  
परिसंघ = सीधियत संघ

दिसम्बर १९७१ में अस्ताना धौधणा में सीधियत संघ विधायक हो गया।

### भंधानक घटनापा Federal System :→



State - सूल अधिकार  
 दीवानी मामले  
 फौजदारी मामले  
 Law & Order

State = 50 है  
 ↳ सभी भिलकर Union बना दी है,  
 ↓  
Subject

- ↳ Defence
- ↳ War & Peace
- ↳ Foreign Affairs
- ↳ Atomic Energy
- ↳ Railway

- इन विषयों पर Union ही कानून बनाएगा और हम कानून को लागू भी Union ही कराएगा।

**Agreement :-** राज्यों की संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं होता

### संघात्मक संविधान (Federal Constitution) :-

- \* जिन देशों में संघात्मक संविधान होता है तो उन देशों का लिखित संविधान होता है।
- शक्तियों का विचक्षण होता (Separation of Power)

संघ सूची  
 Union list

राज्य सूची  
 State list

↳ सातवीं अंतर्भुक्ति में  
 ↳ संघ सूची = 100 विषय  
 ↳ राज्य सूची = 61 विषय  
 ↳ समवतीं सूची = 52 विषय  
 —  
 भाग - II (केन्द्र राज्य संबंध)

विधायी  
 (Art 245-255)

प्रशासनिक

(Art 256-264)

- स्वतन्त्र रेव शक्तिशाली न्यायपालिका (Independent & Powerful judiciary)


- संविधान की सर्वोत्तमता होती है।

Supremacy of Constitution

### ३) एकात्मक संविधान [Unitary Constitution] :-

विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ

ब्यौद्धि राज्यों का निर्माण ही  
संघ की उद्देश्य पर होता है।



संघ :-

- संघ को राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन  
क्षेत्र में परिवर्तन, नप राज्यों का गठन, पुराने राज्यों को समाप्त कर नकल
- Art - 1, 2, 3, 4 में ये ही प्रावधान है,

- (i) अविलिंग विधय (Residuary Power) का संघ में निहित होना
- ii) केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति
- iii) राष्ट्रपति शासन
- iv) राज्यों का संघ से भलग होने का कोई अधिकार नहीं है,
- v) दौलती नागरिकता नहीं होती
- vi) दौलती न्यायपालिका नहीं होती
- vii) राज्यों के लिए प्रथक संविधान नहीं होता
- viii) राज्य सभा में असमान प्रतिनिधित्व

५) संविधान समूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न है (Sovereign State)

६) धर्म निरपेक्ष राज्य है। (Secular State)

७) लोकतांत्रिक राष्ट्रराज्य है। (Democratic Republic)

८) संसदीय न्यक्षय है। (Parliamentary System)

९) संसदीय प्रभुत्व व न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय

## + भारतीय संविधान की विशेषताएँ :-

1) निर्मित लिखित और विशाल संविधान

Enacted, written & Huge Comprehensive.

निर्मित → अविकसित संविधान

↪ संविधान संसदीय होता है,

शासनत्ववस्था के स्वरूप में परिवर्तन

लिखित → Colligativer सुलेखक

↪ हिन्दी के - वसन्त कृष्ण वैध

अंग्रेजी के - प्रीम बिहारी नारायण रामजादा

विशाल → 22 भाग

395 अनुच्छेद

12 अनुच्छेदों हैं।

हमारा संविधान अविकसित और लिखित संविधान की सौनी में आता है।

2) संविधान की सर्वोच्चता (Supremacy of Constitution)

संविधान - एक वृद्धि कानूनी दस्तावेज है।

→ देश की शासनत्ववस्था का स्वरूप होता है।

विधायिका

कार्यपालिका

न्यायपालिका

→ नागरिकों के मूल अधिकार भी वर्ता


→ मूल कर्तव्य

→ राज्य के कर्तव्य

→ संविधान सर्वोच्च है,

- कोई भी ट्यूक्ति / संखा संविधान से उपर नहीं है,
- शासन के सभी अंगों को संविधान के भीतर रहकर ही काप करना होगा।

3) संविधान अनम्बता एवं सुनम्बता का मिलाहा है,



अनु० ५५ एवं ८५ से संबंधित प्रावधानों में संसाधन करना कठिन होता है, इसमें विशेष बहुमत भी आवश्यकता होती है,

4) संघात्मक संविधान परन्तु एकात्मकता की ओर झुकाव  
Federal Constitution with Unitary Bias.

**भारतीय संविधान को - अई संघात्मक संविधान छह  
(केसी डीपर) ने**

- विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ - एकात्मक संविधान ⇒ ब्रिटेन का संविधान
- अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ - परिसंघात्मक संविधान ⇒ भूतपूर्व सीविकन संघ
- अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ - संघात्मक संविधान ⇒ USA, कनाडा

i) संपत्ति (Sovereignty) / समूही प्रभुसत्ता सम्बन्ध

- राज्य (देश) - समस्त निर्णय स्वां लेने की क्षमता है,
- इसी भी प्रकार के दबाव समूह से चुक्त बढ़ी
  - अपने आंगौलिक हंत्र स्थलीय सीमा खलीय सीमा
  - नागरिकों के हित
  - राजनीति निर्णय लेने में सहाय


### राष्ट्राञ्जन्म (Republic) :-

जिस देश में Head of State राज्याधिकारी जनता के द्वारा elected हो चाहे अप्रत्यक्ष हो या प्रत्यक्ष रूप से (Indirectly or Directly)

राज्याधिकारी = राष्ट्रपति  $\Rightarrow$  चुनाव (निर्वाचक मण्डल - Art 54)

$[ LS \quad RS \quad VS ]$  के Elected members.

### लोकतांत्रिक (Democratic) :-



तीनों संस्थाएं जनता के द्वारा पुनी जाती हैं।

## भारतीय संविधान के स्रोत Sources of Indian Constitution

- i) संविधान निर्माताओं ने विश्व के लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया।
- ii) उन देशों के संविधानों में हमारी राजनवीकरण के अनुसर पौरी प्रावधान थे उनको शामिल किया शासन व्यवस्था के अनुसर संशोधन करके उन्होंने का लिया
- iii) हमारे संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रदान किया - "200 प्रावधान"

### स्रोत Source

- भारत राष्ट्र संविधान 1935  
Govt. of India Act 1935

संघ सूची  
राज्य सूची  
समवर्ती सूची

### प्रावधान Provisions

- 1. संघीय व्यवस्था [Federal System]
- 2. आपातकालीन उपबंध [Emergency provisions]
- 3. राजनीति के विभाग की उचिति [Three List of Separation of Powers]
- 4. लोकसेवा आयोग [Public Service Commission]
- 5. न्यायपालिका का ढांचा [Structure of judiciary]
- 6. राज्यपाल का कार्यालय [Office of Governor]
- 7. प्रशासनिक ढांचा [Administration]

## 2- ब्रिटेन का संविधान [British Constitution]

### प्रावधान [Provisions] :-

1. संसदीय राजनीति [Parliamentary System]
2. द्विसंसदीयता [Bicameralism]
3. संसदीय विशेषाधिकार [Parliamentary privileges]
4. एकल नागरिकता [Single citizenship]
5. प्रभावाधिकार रिटि [Prerogative units]
6. राज्याधिकार का नोमिनल महत्व [Nominal importance of Hos]
7. विधायी प्रक्रिया [Legal process]
8. मंत्रीमंडलीय प्रणाली [Cabinet System]

### ③ आफ्रलैंड का संविधान [Irish Constitution]

1. राज्य के निति के निर्देशक तत्व — भाग - 4. Art = 36-51  
[Directive principles of state policy.]
2. राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति [Election method of President - Art 55]
3. राज्यसभा में सदस्यों का नियन्त्रण [Nomination of Members of Rajyasabha]
  - 1. साहित्य [Literature]
  - 2. विज्ञान [Science]
  - 3. कला [Art]
  - 4. समाजसेवा [Social Services]

## -+ भारत शासन अधिकार 1935 [GOI Act 1935]


### ① संघीय व्यवस्था [Federal System]

**अनु० - १** = इंडिया अर्थात् भारत "राज्यों का एक संघ होगा"

(i) भारत राज्यों के मध्य किसी समझौते का परिणाम नहीं है,

(ii) किसी भी राज्य को भारत संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं

संघ = इंडिया अर्थात् भारत



### ② आपातकालीन उपबंध [Emergency provisions]

[अधि० ३५२] राष्ट्रीय आपात = भुवन, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्वाह के आधार पर उद्घोषणा

[अधि० ३५६] राष्ट्रपति शासन = राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने के आधार पर

[अधि० ३६०] वित्तीय आपात = वित्तीय / आर्थिक संकट की स्थिति में

#### लागू

अधि० ३५८      अधि० ३५९

↳ [Act 19] स्वतः निलम्बित [Automatically Suspension] हो जाएगा

अनु० २० और ३१ निलम्बित नहीं होंगे अन्य सभी मौलिक अधिकार शी निलम्बित हो जाएंगे

#### Act 359 लागू होता -

→ अनु० १९ स्वतः निलम्बित नहीं होता

→ राष्ट्रपति को वह निर्धारित करना होता है कि कौन-२ सा मौलिक अधिकार suspend करेगा।

Article 20 और 21 को निलम्बित नहीं किया जा सकता।

## 44 के संविधान संसोधन [44th Constitutional Amendment]

→ Article 352 में सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया  
 ↳ इसमें पहले अंतरिक अशांति हुआ करता था

अंतरिक अशांति के उदाहरण पर - १८ जून 1975 को आपातकाल की उद्धीषणा की थी

→ अनु० ३० और ३१ को suspend नहीं किया जा सकता  
 अनु० ३० ⇒ अपराधों के लिए कैप सिडि के समन्वय में संरक्षण  
 अनु० २१ ⇒ प्राण रख देखि स्वतंत्रता का अधिकार

→ आपातकाल की उद्धीषणा राष्ट्रपति मंत्रीमण्डल के लिए

प्रस्ताव पर करेंगे।

**(3) शक्तियों के वितरण की तीन सूचियाँ**

- वर्तमान में अनुसूचियाँ = 12
- मूल संविधान में अनुसूचियाँ = 8  
 ↳ २६ Nov 1949 को बनकर तभी हुआ था
- **१ वी अनुसूची** - प्रथम संविधान संसोधन 1951 में जोड़ी गई।  
 किष्य - भूमि सुधार
- **१० वी अनुसूची** - ५२ वा संविधान संसोधन 1985 ⇒ दल बदल से
- **11 वी अनुसूची** - 73 वा संविधान संसोधन 1992-93 ⇒ ग्राम पंचायत
- **12 वी अनुसूची** - 74 वा संविधान संसोधन 1992-93 ⇒ नगर पंचायत

**भारती अनुसूची -** वाक्तियों का पृष्ठकला  $\rightarrow$  संघूची =  $\frac{\text{विषय}}{100}$   
 Separation of powers राज्य सूची = 61  
 समवर्ती सूची = 52

### भाग - II (केन्द्र राज्य संबंध)

विधायी संबंध  
Act १४५ - १५५

प्रशासनिक संबंध  
Act १५६ - १६३

$\rightarrow$  राज्य सूची में पहले = 66 विषय होते थे

$\downarrow$   
5 विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाले  
‘५२ वा संविधान संसोधन’ के माध्यम से डाले थे

समवर्ती सूची  $\Rightarrow$  आस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है।

## - :- अमेरिका के संविधान [American Constitution]

1. मौलिक अधिकार [Fundamental Rights]
2. राष्ट्रपति का पद [Office of vice president]
3. राष्ट्रपति पर इम्पेंचमेंट [Impeachment on president]
4. संविधान व सर्वोच्च न्यायपालिका [Independent and Supreme judiciary]
  - ज्यादिक यूनरीशन [Judicial Review]
  - ज्यापिक सक्रियातावाद [Judicial Activism]
5. प्रस्तावना का विचार [idea/concept of preamble]
6. सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जज की पदार्थति [Removal of Supreme Court and High Court judges]

## कनाडा का संविधान (Canadian Constitution)

1. सशक्त केन्द्र के साथ संघीय व्यवस्था [federal system with powerful centre]
2. अवशिष्ट शक्तियों का केन्द्र के पास होना [Residuary Powers]
3. केन्द्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति [Appointment of governors by centre]
4. उच्चतम न्यायालय का प्रामाणी न्याय निर्णय [Consulting jurisdiction of Supreme Court]

**प्रस्तावना Preamble** - मूल संविधान (26 Nov 1949 को बनकर तैयार)  
में सबसे पहले शामिल किया है।

- विचार - अमेरिका के संविधान से
- भाषा - आस्ट्रेलिया के संविधान से

प्रस्तावना की हिन्दी में - उद्देशिका नाम दिया गया है।  
↓

संविधान सभा में जवाहर लाल नेहरू ने 13 Dec 1946 को  
उद्घास्त प्रस्ताव पेश किया

↳ इस प्रस्ताव को "२२ अक्टूबर 1947" को स्वीकार कर दिया गया

Preamble पर सर्वाधिक प्रभाव = उद्घास्त प्रस्ताव का है।

## आस्ट्रेलिया का संविधान [Australian Constitution]

1. समवर्ती सूची [Concurrent list]
2. प्रस्तावना की भाषा [Language of preamble]
3. संसद के दोनों सदनों की समुक्त बैठक [Joint Session of Parliament]
4. व्यापार, वाणिज्य व समाजम की स्वतंत्रता  
[Liberty of Trade, practice and intercourse]

## भूत पूर्व सोनियन संघ का संविधान (USSR Constitution)

1. आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श → [प्रस्तावना में है]  
[Socio, economic and political justice]
2. मौलिक कर्तव्य [Fundamental Duties]
3. दक्षिण अफ्रीका का संविधान  
[South Africa Constitution]

1. संविधान में संशोधन की ज़िक्री  
Process of amendment in constitution

2. राजसभा में सदस्यों का निर्वाचन  
[Election method of members of Rajyasabha]

## फ्रांस का संविधान [French Constitution]

1. गणतनात्मक ढांचा [Republican structure]
2. प्रस्तावना में स्वतन्त्रता, समानता एवं भाईचारा का आदर्श  
[Liberty, equality and fraternity]

## वाइमर संविधान [Weimer Constitution] "जर्मनी"

1. आपातकाल की स्थिति में मौलिक अधिकारों का निलंबन  
[Suspension of fundamental Rights during emergency]

## जापान का संविधान [Japanese Constitution]

1. विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया [Procedure established by law]

## REVISION-CLASS

### भारतीय संविधान के स्रोत

- ① भारत शासन  
अधिनियम १९८६ → संसदीय व्यवस्था  
(सर्वाधिक प्रभाव)  
→ राज्यपाल का कार्यालय  
→ शक्तियों के वितरण की तीन सूचियाँ  
→ लोक सेवा आयोग  
200 प्रावधानों को → संघीय -प्रायालय  
भारत शासन → आपातकालीन उपबंध  
अधिनियम १९३५ → राज्यपालिका का ढाँचा  
से गुह्य डिमा → प्रशासनिक ढाँचा

- ② ब्रिटेन का संसदीय व्यवस्था → संसदीय व्यवस्था  
संविधान → द्विसदनवाद  
→ संसदीय कार्यपालिका  
→ संसदीय विशेषाधिकार / प्रभुता  
→ राष्ट्राधिकार का नाममात्र का महत्व  
→ एकल नागरिकता  
→ मंत्रीमण्डलीय प्रणाली  
→ किंचित् पुक्रिया  
→ प्रभाविकार रिट्रैट  
→ विधि का शासन ( प्रीफ़र डिवसी का )
- ।
- विधि के समक्ष समर्पण

विधियों का समान संरक्षण

- ③ अमेरिका का संविधान**
- प्रस्तावना का विचार
  - लिखित संविधान
  - मौलिक अधिकार
  - अधिकारिक भी सर्वोच्चता
  - उपराष्ट्रपति का पद
  - सर्वोच्च / उच्च अधिकारिय के खज का Removal
  - राष्ट्रपति पर महाभियोग
- प्राचीन पुनर्जीवित करना
- प्राचीन सक्रियावाद

- ④ आश्रलैंड का संविधान**
- राज्य की निति के निर्देशक तत्व
  - राज्यसभा में सदस्यों का नौनम् (राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान, समाजसेवा से)
  - राष्ट्रपति की निर्वाचन पक्षति (अनु० - ८५)

- ⑤ कर्नाटक का संविधान**
- सशक्त केन्द्र के साथ संघीय व्यवस्था
  - अवशिष्ट शक्तियों वा केन्द्र में निहित होना
  - केन्द्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति
  - सर्वोच्च अधिकारिय का परामर्शी अधिकार निर्भय

- ⑥ ठार्डिङ अफ्रीका का संविधान**
- संविधान में संसाधन की एकिया
  - राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन

④ अस्ट्रेलिया के संविधान → प्रस्तावना की भाषा  
 → समवर्ती सूची  
 → सुनुकत बैठक का प्रावधान  
 → व्यापार, वाणिज्य एवं समाज की स्वतंत्रता

⑤ भूत पूर्व सोवियत संघ (USSR) → मौलिक कर्तव्य  
 → प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय  
 → आर्थिक नियोजन (पंचवर्षीय योजना)

⑥ फ्रांस का संविधान → प्रस्तावना में → स्वतंत्रता, ममानता, ज़ंदूता का आर्थि  
 → राजतंत्रात्मक ढाँचा

⑦ जापान का संविधान → विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया

⑧ जर्मनी का संविधान → आपातकाल की स्थिति में मौलिक  
 अधिकारी का निलम्बन

## भारतीय संविधान भाग एवं संबंधित अनुच्छेद

- भाग - १** भारत संघ और उसका शास्त्र संज्ञा (अनु० = १-४)  
 (Union of India and its Territory)
- भाग - २** नागरिकता (Citizenship) (अनु० = ५-११) → मन्महिका ही  
**भाग - ३** मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) (अनु० १२-३५) (enforceable)
- भाग - ४** राज्य की प्रियि के निर्देशक नियम (अनु० ३६-५१)  
 (Directive Principles of State Policy) ↴ आवश्यक संविधानपूर्ण  
 ↴ Non enforceable
- भाग - ५(ए)** मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties) (अनु० ५१(क))  
 ↴ भूतपूर्वी संविधान संघ के संविधान से लिए  
 ५१ वा संविधान संसोधन १९७६ से रासिल किये गए  
 एंटरप्रार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर
- मौलिक कर्तव्य
- ↓
- क्रम संख्या
- ५<sup>th</sup>
- संख्या
- ५<sup>th</sup>
- भाग - ५** संघ (The Union) (अनु० ५२-१५१)
- भाग - ६** राज्य (The State) (अनु० १५२-२३७)
- भाग - ७** नियंत्रित (Void) (अनु० - २३८)  
 इसके प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया।  
 ७वीं संविधान संसोधन १९८६ द्वारा

<b>भाग - ८</b>	संघ राज्य कोर्ट (Union Territory) (अनु० २३७ - २४२)
<b>भाग - ९</b>	हमारे पर्वानगत १३ वा संविधान १९९२-९३ (अनु० २४३ - २४३०)
<b>१(क)</b>	नगर पंचायत १५ वा संविधान १९९२-९३ (अनु० २४३१- २४३२)
<b>१(ख)</b>	जनकारी समितियों १७ वा संविधान २०११ (अनु० २४३२४ - २४)
	स्वेच्छिक गठन प्रवानगत पुनर्वालन लोकतांत्रिक नियंत्रण पैशांकर प्रबंधन
<b>भाग - १०</b>	अनुसूचित जाति एवं अनेजातिय जीतों का प्रबंधन (अनु० २४४)
<b>भाग - ११</b>	केन्द्र एवं राज्यों के मध्य संबंध (अनु० २४५- २६३) नियाची संबंध प्रशासनिक संबंध अनु० - २४५ - २५५ अनु० - २५६ - २६३
<b>भाग - १२</b>	वित्त सम्पति संविधान १९७५ वाद (अनु० २६४ - ३००(क)) अनु० ३०० A ⇒ सम्पति का अधिकार ५५ वा संविधान संसोधन १९७८ में जोड़ा गया इसमें
<b>भाग - १३</b>	व्यापार, वाणिज्य और सनागम की स्वतंत्रता (अनु० ३०१ - ३०७) Liberty of trade, commerce and industry
<b>भाग - १४</b>	संघ और राज्यों के अधीन संवार्ष (अनु० ३०८- ३२३)
<b>भाग - १४(क)</b>	अधिकार त्रिपंचाल (अनु० ३२३ @) ५२ वा संविधान संसोधन १९७६ में जोड़ा गया

<b>भाग - १५</b>	निर्वाचन (Election)	(अनु० ३२४-३२९)
<b>भाग - १६</b>	विशेष उपचंद (Special provision)	(अनु० ३३०-३४२)
<b>भाग - १७</b>	राज भाषा (Official language)	(अनु० ३४३-३५१)
<b>भाग - १८</b>	आपातकालीन प्रावधान (Emergency provisions)	(अनु० ३५२-३६०)
<b>भाग - १९</b>	विविध	(अनु० ३६१-३६७)
<b>भाग - २०</b>	संस्थानिक Constitutional Amendment	अनु० ३६८
<b>भाग - २१</b>	अस्थानी, संक्रमणातील विशेष उपचंद	(अनु० ३६९-३९२)
<b>भाग - २२</b>	संक्षिप्त नाम प्रारम्भ आठि	(अनु० ३९३-३९५)

## भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ - 12

मूल संविधान में = 8

विभिन्न संविधान संसोधनों के माध्यम से शामिल हुए हैं।

**1 अनुसूची** - राज्य के मंत्र, नाम एवं संघ राज्य मंत्रों के नाम सूची

**2 अनुसूची** - प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन पेंशन भत्ते  
(Salary) (Pension) (Allowances)

(i) भारत के राष्ट्रपति (President of India)

(ii) राज्यों के राज्यपाल (Governor's of Indian State)

(iii) लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष (Speaker of Lok Sabha &  
Deputy Speaker of Lok Sabha)

(iv) विधानपरिषद् के सभापति व उपसभापति

(Chairman & Deputy chairman of State Legislative Council)

(v) SC & HC के जज

(vi) CAO

राज्य सभा सभापति / उपसभापति

विधानसभा अध्यक्ष / उपाध्यक्ष

**उ) तीसरी अनुसूची** - शपथ / शपथान (Oath / affirmation)

संघ के मंत्री

संसद (लोकसभा / राज्यसभा)

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश

भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

राज्यों के मंत्री

राज्यों के विधानमण्डल के सदस्य

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश।

**चौथी अनुसूची** - विभिन्न राज्यों से राष्ट्रसभा में सदस्यों की संख्या का आवरण

राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों

विद्यानमॉडल  $\Rightarrow$  पुढ़चेरी, NCT Delhi, जम्मु कश्मीर

पुढ़चेरी विद्यानमॉडल की स्थापना = 14 वें संविधान संशोधन 1962 में  
Art 239(9) जोड़ा गया है।

NCT दिल्ली में = 69 वें संविधान संशोधन 1992 से

239(9)(a) विद्यानमॉडल जोड़ा

239(9)(b) में दिल्ली का नाम NCT दिल्ली किया

जम्मु कश्मीर में = विद्यानमॉडल की स्थापना प्रस्तावित है।

**पांचवी अनुसूची** - अनुसूचित जाति एवं जनजातिय क्षेत्रों के प्रशासन (Administration) और नियंत्रण (Control) के बारे में  
विशेष उपबंध (Special provisions)

**छठी अनुसूची** - 

असम	}	के प्रशासन के बारे में
त्रिपुरा		
मेघालय		
मिजोरम		

 विशेष उपबंध

**सातवी अनुसूची** - शक्तियों के वितरण की तीन सूचियाँ हैं।


राज्य सूची = 100 विषय

राज्य सूची = 61 " ] 5 विषय = 42 वें संविधान संशोधन 1976

समवर्ती सूची = 52 " ] से राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाले गए।

## ∴ भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ :-

**प्रथम अनुसूची** - भारतीय संघ के राज्यों और UT के नाम एवं उनके क्षेत्रों का उल्लेख दिया है अनु० 1, 4



अनु० = ५९, ६५, ७५, ९७, १२५, १४८, १५८, १५८, १६४, १८६, २२।

**तीसरी अनुसूची** - प्रधानिकारियों के द्वारा ली जाने गई शपथ (oath) एवं प्रतिज्ञान (affirmation) का उल्लेख

केन्द्र के मंत्री	राष्ट्रीय विधानसभा के सदस्य
राज्यों के मंत्री	संविधान न्यायालय के न्यायाधीश
संसदीय सदस्य	CAG

अनु० ⇒ ७५, ८४, ९९, १२४, १४६, १७३, १८८, २१४

**चौथी अनुसूची** - राज्य एवं UT से राज्यसभा की सीरी का उल्लेख

NCT Delhi ⇒ 69 <sup>th</sup> CAA 1992	अनु० ⇒ ८०, ५
पुदुचेरी ⇒ 14 <sup>th</sup> CAA 1961	
जम्मु कश्मीर ⇒ 13 Oct १०१९	

**पांचवी अनुसूची -** अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों  
के प्रशासन के उपबंध नियंत्रण अनु० - २४४

**छठी अनुसूची -** (ATMM) अस्पम, त्रिपुरा, मैदालय मिलौस्म  
जनजातिय क्षेत्रों के बारे में विशेष उपलब्ध अनु० - २४४  
275

**सातवी अनुसूची -**  $\frac{एवं सूची}{नियुक्ति} = \frac{100}{61} \Rightarrow$  विदेशी भाषाएँ, युह एवं शांति  
**अनु० - २४६** राष्ट्र सूची = 61 परमाणु जनी, रेकर्ड, वैदिक  
समवर्ती सूची = 52 वीमा, भठाल इनी, बंदरगाह  
प्रतिरक्षा

राष्ट्र सूची के विषय  $\Rightarrow$  कृषि, एलिस, कारागार, रक्षास्थान, शू-राजस्व  
स्थानीय स्वशासन

समवर्ती सूची  $\Rightarrow$  शिक्षा, मापदौल, कन, कन्यजीव, परिवार नियोजन  
विवाह, तलाक, सम्पत्ति व उत्तराधिकार

**आठवी अनुसूची -** संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख  
सूल संविधान में = 14 भाषाओं की [अनु० - ३५५, ३५१]

1 संस्कृत	1 उडु
2 तमिल	10 मराठी
3 तेलगु	11 असमिया
4 कन्नड	12 लोंगला
5 ठीया	13 कर्मीरी
6 मलयालम	14 गुजराती
7 हिन्दी	
8 पंजाबी	

वर्तमान में = १९ भाषाएँ हैं

१८वीं = ११ वे संविधान संस्थान १९६७ से = सिंहा भाषा जोड़ी

११ वे संविधान संस्थान १९९२ = कोकणी, शिंगलपुरी, नेपाली

१९ वे संविधान संस्थान २००३ = डोंगरी, कोडो  
संघाली, गैचली

**१ वीं अनुसूची** - प्रथम संविधान संस्थान १९५१ के माध्यम से जोड़ी

= भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान [अनु० ४१-B]

⇒ २००७ में SC ने निर्णय दिया की १ वीं अनुसूची के विषय में  
ज्ञापिक समीक्षा के अन्तर्गत आते हैं,

**१० वीं अनुसूची** - कल-बदल निषेद्ध Anti defecation

५२ वा - १९८५ जोड़ी (अनु० = १०२, १७।)

**॥ वीं अनुसूची** - ग्राम पंचायत के कार्यों, शास्त्रियों, स्त्रील  
७३ वीं १९९२-९३ ७१ कार्यों का उल्लेख है

अनु० २४३-२४३०

**१२ वीं अनुसूची** - नगर पंचायत  
१४ कार्यों का उल्लेख

अनु० २४३१ - २४३२७

- भाग -। (अनु० = 1-4)
- भारत संघ और उसका राज्यकान्त्र
- Union of India and its Territory

**अनु० ।(i) -** इंडिया अधीन भारत राज्यों का संघ होगा।

"India—that is Bharat" Shall be a Union of states

- लिखकर्ष** - ① भारत विभिन्न राज्यों के मूलभूत का कोई परिवर्णन नहीं है।  
 ② भारत संघ से अलग होने का किसी राज्य की कोई अधिकार नहीं है।

"इंडिया अधीन भारत"

"India—that is Bharat"

"भौविद्यान सभा" में  
देश के नाम को लैकर कर्वाया

↓  
India

↓  
भारत

① समकालीन विश्व में हमारे देश को India के नाम से जाना जाता है।

① प्राचीन संस्कृति और ग्रौवकशाली परम्परा को पुनर्स्थापित करने हेतु बनवाया गया है।

② हम हमारे अतीत को — समझता है

③ UN में हमारे देश के नाम से सम्बोधित किया जाता है,

प्राचीन-जनता विश्व कल्याण की भावना से जोड़ता है।

④ वर्तमान विश्व के साथ जो भी संघी समस्याएँ हुए हैं कहे India नाम से हुए हैं।

→ संविधान समा जब कोई भी निर्णय लेती ची तो वो वह निर्णय सर्वसम्मति से लेती ची परन्तु जब सर्वसम्मति नहीं बन पायी तो संविधान समा ने समांगीजन का सिद्धान्त अपनाया।

Q:- संविधान समा निर्णय लेते प्रमध कौन सा सिद्धान्त अपनाती था

Ans - सर्वसम्मति व समांगीजन की ही सिद्धान्त

**अनु० ।(३) → भारत के द्वेष की उ भागो में लाठी गया**

उन्न्य द्वेष जो	अर्जित किए जाए	संघ राज्य द्वेष	शास्यो का द्वेष
(४)	(५)	(६)	(७)
① बुद्धीमुखी	② नेत दिल्ली	③ अहमान निकौलस्	N जागाल०५
④ लद्दाखीप	⑤ वर्षीगढ़	⑥ खन्नुकश्मीर	O उडीसा
⑦ लद्दाख	⑧ दादरा नगर हैवली	⑨ + कमन शीप	P पंजाब
⑩ विहार	⑪ उत्तराखण्ड	⑫	R राजस्थान
⑬ गोवा	⑬ उत्तरपुर्द्धा	⑭	S सिक्किम
⑮ घुजरात	⑮ उत्तराखण्ड	⑯	T तमिल नाडू
⑯ हरियाणा	⑯ प० वैगाल	⑰	T तेलंगाना
⑰ हिमाचल पुर्द्धा	⑰	⑱	U उत्तरपुर्द्धा
⑱ झारखण्ड	⑱	⑲	U उत्तराखण्ड
⑲ कर्नाटक	⑲	⑳	W प० वैगाल
⑳ केरल	⑳	㉑	
㉒ महाराष्ट्र	㉒	㉒	
㉓ मध्यपुर्द्धा	㉓	㉓	
㉔ महाराष्ट्र	㉔	㉔	
㉕ मविपुर	㉕	㉕	
㉖ मंधालभ	㉖	㉖	
㉗ गिरोड़म्	㉗	㉗	

**अनु०-२** ⇒ संसद द्वारा निर्धारित (Restrictions) एवं शर्तें (Conditions)

जिन्हें कहे जाते हैं कि भारत संघ में कृष्ण का प्रवेश एवं स्थापना कर सकती है।

नये राज्य का प्रवेश = पहले से स्थापित हो चुके परन्तु भारत संघ का हिस्सा नहीं

जिन्हें अब 'भारत संघ में शामिल कर लिया'

जैसे = सिक्किम ⇒ राजतंत्र था (राजा का शासन था)  
 ↓  
 "गोरमाल"

36 वां संविधान संसाधन 1975 में सिक्किम को भारत संघ में शामिल किया

संविधानिक दृष्टिसे

नये राज्य की स्थापना = जो पहले से स्थापित नहीं हैं उन्हें भारत संघ के अन्तर्गत स्थापित किया।

राज्य का वर्जा दिया

जैसे ⇒ तेलंगाना = २ जून २०१५ को स्थापना की

**अनु० ३** ⇒ संसद विधि द्वारा

(A) - किसी राज्य में से उसका राज्य होने अलग करके

(A) (B) - किसी राज्य के भाग को दूसरे राज्य के भाग के ] ⇒ भागात्मक साथ गिलाकर नये राज्य का घोषणा

— दो मा अधिक राज्य या उनके भागों की गिलाकर

संसद किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है।

संसद किसी राज्य की सीमा को धरा व लें सकती है,

- 1- उत्तरपुण्ड्र से = १ नवम्बर २००० को  $\downarrow$  १३ पर्वतीय ज़िले अलग करके उत्तराखण्ड का निर्माण
- 2- अन्धेरी + साँचा

**अनु० -५** < अनु० ७ ] मैं जो भी परिवर्तन करूँ उसके लिए  
अनु० ३ ] संविधान संस्थान की आवश्यकता नहीं होती।  
ऐसा केवल साधारण बहुमत से करूँ सकती है।

अनु० ५ दमरे संविधान को एकात्मक संविधान बनाता है।

भाग - ।

अनु० ।-४

भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र

Union of India and its territory


अनु० - ।

अनु०(1)(ii)

अनु०(3)

इंडिया अर्थात् भारत राज्यों  
का स्कूल संघ होगा।

- ① भारत विभिन्न राज्यों के मध्य किसी  
समझौते का कोई परिणाम नहीं।
- ③ भारत संघ से अलग होने का  
किसी राज्य को अधिकार नहीं है।



संवैधानिक प्रक्रिया

अनु० २ = संसद एम्स निर्बंधनों (Ratifications) एवं शर्तों के साथ (Conditions)

जिन्हे वह उचित समझे

पहले से स्थापित तो है परन्तु  
भारत संघ में शामिल नहीं है।

- (i) संघ में किस राज्य का प्रत्यर्पण  
(ii) किस राज्य की स्थापना कर सकती है।

जो पहले से अस्तित्व में नहीं  
है परन्तु जिनको स्थापित  
किया जाएगा

अनु० - ३ संसद विधि द्वारा

- i) किसी राज्य में से उसका क्षेत्र अलग करके

आंगीलिक  
प्रक्रिया

- ii) किसी राज्य को अधना उसके भाग को अन्य के साथ समावृत्ति करके


3) क्यों या अधिक राज्यों की या उनके भागों को मिलाकर नये राज्य का निर्माण कर सकती है।

- संसद किसी भी राज्य के सीमा में परिवर्तन कर सकती है।
- देश में परिवर्तन कर सकती है।
- नाम में परिवर्तन कर सकती है।

अनु० ५ ⇒ अनु० ६ वे अनु० ३ के तहत संसद जो श्री प्राचीन लागु कर्त्ता को केवल ऐसा साधारण बहुमत से कर सकती है। विशेष बहुमत की कीड़ आवश्यकता नहीं

↳ संविधान संसाधन नहीं करना पैद़गा !

### -/- भारतीय राज्यक्रम का इकीकरण -/-



1) स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत में २ तरह की प्रशासनिक इकाईयाँ थीं।

देशी रियासतें  
में भारत के ५०% मू़़  
भाग पर विस्तृत थीं  
संख्या = ५५२

ब्रिटिश भारत के ग्रान्ति  
मुरब्ब प्रशासक  
वार्चिनर  
(कार्डकारिणी)  
मुरब्ब प्रशासक  
वीफ कमिशनर  
(कार्डकारिणी)

[२० फरवरी १९४७] ⇒ क्लीनेंट इटली

एक उद्घोषणा (Announcement) करता है -

देशी रियासतों को हम भारत और पाकिस्तान किसी एक  
के सुनुदि नहीं कर सकते,  
वह चाहे तो स्वतंत्र भी रह सकती है।

→ इस उद्घोषणा के बाद ⇒

त्रिवेदी  
मोपाल  
दंडराबाद

भारत के साथ इसलिए नहीं क्योंकि  
भारत में लोकसंतीकरण है,  
पाकिस्तान में = सामुदायिकता है।

• १८ जून १९४७ ⇒ जिन्ना ने कहा देशी रियासतें चाहे तो  
स्वतंत्र रह सकती हैं।


भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम १९४७] ⇒ देशी रियासतें

भारत पाकिस्तान


किसी एक के साथ विलय करेंगी।

## → रिपोर्टी मंत्रालय :-

- अनिरिक्ष प्रभार = सरदार वल्लभ भाई पटेल
- सचिव = वी पी मैनन



## → कश्मीर की समस्या एवं समाधान :-



- भवाल लाल नेहरू UN चैक ग्रा
- निर्णय दिया - 31 अक्टूबर 1947
- ① पुरुष विराम
  - ② पाकिस्तानी सेना 1/3 हिसे से Back
  - ③ भारतीय प्रशासन अमीनगढ़ ५०%  
जनमत संग्रह कराये

मुरल्य प्रशासक = छिंदु शाजा हरि सिंह १

प्रमुख सचिव - मैदा चन्द्र बहान

अधिकारी भनता = मुस्लिम (77%)

अन्य % = हिंदू, सिय, बौद्ध, अन्य

- कश्मीर ने स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया
- २२ अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी सेना (कबाहिली की वेजामूला) में आक्रमण कर भव्याचार करती है।  
(भनता पर अत्याचार)
- राजा हरि सिंह जगद्दर लाल नेहरू से सौ-सहाय्या की चांग करते हैं,
- १६ अक्टूबर 1947 = राजा हरि सिंह के विलय पत पर दृश्यालय किए
- २/३ दिसंबर १९४७ - भारतीय सेना अधिकार कर लेती है,
- १/३ दिसंबर १९४७ - पाकिस्तानी सेना का अधिकार
- ३० अक्टूबर 1947 = J.C. नेहरू UN (सम्युक्त राष्ट्र पुस्तिका)
- ३१ अक्टूबर 1947 = UN ने शुद्ध विदेश की घोषणा कर दी

## भारत संघ और उसका राज्य छेत्र - 3

हैदराबाद की समस्या एवं उसका समाधान -

जूबनगढ़

पश्चासक - मुस्लिम

जनता - हिन्दू

दिवान - शाहनवापा

शुत्रों

पश्चासक - मुस्लिम

जनता - हिन्दू

दिवान - शाहनवापा

शुत्रों

कश्मीर का प्रथक संविधान - कश्मीर की लोकप्रिय पार्टी - नेशनल कांग्रेस  
भारत के समक्ष शर्त रखी गई है।  
सरकार

1. कश्मीर का प्रथक संविधान
2. कश्मीर का स्थान का अपना विधानमंडल होगा।
3. कश्मीर की विशेष राज्य का दर्जा
4. कोई बाहरी व्यक्ति कश्मीर में बस नहीं सकता।

कांग्रेस ने इन सभी माँगों की स्वीकार कर लिया।

1951 - कश्मीर की संविधान सभा का गठन

1954. संविधान सभा ने विलय पत्र को स्वीकृति प्रदान की।

हैदराबाद - पश्चासक - मुस्लिम नियाम  
आधिकाशत; जनता - हिन्दू

भारत सरकार के साथ 1 वर्ष के लिए धरास्थिति समझी गई। आंर क्षण  
कि वह संवैधानिक संस्थाओं एवं लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करेगा

जनता ने भारत में शामिल होने हेतु आनंदोलन किया तो जनता  
पर अत्याचार किये गये - MIM (स्वतंत्र राजाकार सेनिकों का संगठन)  
↓ मजलिस - मुस्लिम दादुल - मुस्लिम

13 Sep 1948 - 'ऑपरेशन Polo' का आरम्भ

18 Sep 1948 - राजाकार एवं हैदराबाद के सैनिक कमांडर रानुज ने  
भारतीय कमांडर G.N. चौधरी के समक्ष आत्म  
समर्पण कर दिया।

झूनागढ़— पश्चासक - मुस्लिम (गेवाल)


जनता - हिन्दू

8 Nov की दीवान शाहनवाप झुट्टी ने लिल्य पत्र पर इस्तावर कर दिये और 9 Nov 1947 की झूनागढ़ भारतीय संघ का हिस्सा बना गया।

20 जलू 1948 — जनगत समृद्धि कराया गया

परिणाम - भारत के पञ्चांग ११.१.१. बीट

## भारत संघ और उसका राज्य-क्षेत्र - ५



1948 — फ्रांस और भारत में समझौता (जनमत संघ के आधार पर फ्रांसीसी उपनिवेशों का भविष्य तभ मिना था।

सबसे पहले जनमत संघ — 19 June 1949 की चट्टग्राम में हुआ।  
परिणाम — भारत के पक्ष में रहा।

20 Oct. 1955 — चट्टग्राम जी भारत के प्रशासन में शामिल हो चुका था।  
अब पश्चिमी बंगाल राज्य का हिस्सा बन गया।

यनम और माहे में भारत समर्थक समूह ने प्रशासन पर कब्जा कर लिया। — 1954 में

Oct 1954 — कराइकल और पुदुचरी में जनमत संघ कराया गया  
(परिणाम) — भारत के पक्ष में रहा

1 Nov. 1954 — की छन-चारों क्षेत्रों का व्यावधारिक नियंत्रण भारत सरकार की प्राप्त हो गया।

1956 — इन सभी क्षेत्रों का वैधानिक नियंत्रण फ्रांसीसी सरकार द्वारा भारत की पुदान कर दिया गया।

१५वाँ संविधान समीक्षा अधिकार १९६२ - पुरुषों की संघ राज्य की विभिन्न प्रकारों की स्थापना की।  
→ कराइकल  
→ चनूम  
→ माटे

पुर्तगाली उपनिवेशी का विलय- पुर्तगाल अपनी उपनिवेशी की राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक गानता था।

1951 - पुर्तगाल ने अपने शिविधान में रैशोधान करके इन चारों द्वितीय की उपनी राज्य का दर्जा दिया।

**सर्वप्रथम-** दादरा और नगर हवेली में जन आक्रोश भड़का ।  
भारत सरकारी संगठनों ने प्रशासन पर कहफा कर लिया ।

10<sup>th</sup> संविधान संशोधन 1961 — दादर आँगर नागर हैवली की संघ राष्ट्रीय क्षेत्र का दण्डि

15 August 1955 - 5000 अधिसंक्षिप्त आनंदोलन कारियों पर फायरिंग की गई।  
पिस्से 22 लोगों की मृत्यु ही गई।



10 Dec 1961 - भारतीय सेना का पुर्विश

19 Dec 1961 - पुर्तगाल ने आत्मसमर्पण

12 वाँ संविधान संशोधन 1962 - गोवा व दमन दीव की को संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया गया।

1987 - शीता की दमनदीव से पुथक कर राज्य का दर्जा दिया गया।

## भारत संघ और राज्य क्षेत्र - 5



भाग (क)	भाग (ख)	भाग (ग)	भाग (घ)
British Indian provinces	देशी रियासतों जिनका अपना स्वयं का विधानमण्डल था	British Indian Provinces जिन पर मुख्य आयुपत का उत्पादन	आजित किये जाएं अंडमान निकोबार
जिन पर गवर्नर का शासन भाग (क)			
1. पश्चिम बंगाल 2. महाराष्ट्र 3. झग्घई 4. बिहार 5. उड़ीसा	6. असम 7. मध्य प्रान्त 8. सुन्दर भान्त 9. पंजाब		
भाग (ख)	भाग (ग)		
1. हैदराबाद 2. जम्मू कश्मीर 3. सीराज्हू 4. मेसूर 5. राजस्थान 6. मध्य भारत 7. तावण कोर - कोचीन	1. अजमेर - मारवाड 2. कुर्ण 3. कूच बिहार 4. दिल्ली 5. अपाल 6. विलासपुर 7. हिमाचल 8. कर्छ	9. मणिपुर 10. त्रिपुरा	



### राज्यों का वर्तमान स्वरूप -

संविधान सभा ने

आधारी प्रान्त समिति अष्टयक - इस के द्वारा

वर्तमान चुनी तिथि - प्रशासनिक शिक्षाधिकारी (1948)

एकता व अत्यन्त आशिकि दृष्टि — गरीबी शुद्धमरी

आधारी आधारों पर राज्यों का सुनार्गठन की माँग Reasonable नहीं है।

J.V.P समिति दिसंबर (1948) - जाठित हुई

J- जवाहर लाल नेहरू

V- वल्लभ भाई पटेल

P- पट्टूशिस्ति रैग्या

सिफरिश हुई - April 1949

रिक्तियाँ समान छोने पर भाघारी आधार पर राज्यों का गठन किया 85  
जायेगा।

फिलहाल इस प्रश्न को टाल देते हैं।

19 Oct. 1952 — वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ता  
स्वतंत्रता सेनानी

पीटड़ी श्री रामलू — 'आगरा अनश्वन' 58 दिन बाद - मृत्यु

1 Oct 1953 — तेलगु भाषी - आन्ध्रप्रदेश की स्थापना

1963 — तमिलनाडु राज्य

## भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र - 6

भाषायी प्रान्त स्थगिति — अध्यक्ष — एस० कै० धर , 1948

भाषायी आधार पर राज्यों के गठन की माँग को अस्वीकार कर दिया।

तर्क — देश की एकता व अखण्डता

गरीबी, पुति व्याविति आय (आर्थिक सम्पन्नता)

प्रशासनिक अकुशलता

J.V.P. स्थगिति — पट्टूभिं स्थितिरूप्या  
तल्लग शार्फ पटेल  
जवाहर लाल नेहरू

गठन - दिसम्बर 1948  
स्थिरिति - अप्रैल 1949

अष्टी कुह वर्षी के लिए भाषायी आधार पर राज्यों के गठन की माँग की स्थगित कर देना चाहिए।

देश एकता, अखण्डता, सुरक्षा एवं आर्थिक सम्पन्नता आवश्यक हैं।  
यदि तेलगु भाषी लोग भी आन्ध्र राज्य की माँग कर रहे हैं, वह  
यदि चिन्नई (मद्रास) की माँग न करें तो आन्ध्र राज्य का गठन सम्भव है।

परिणाम स्वरूप 19 Oct. 1952 की वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकारी एवं स्वतन्त्रता सिनानी पोटटी श्री रामुलू अलग आन्ध्र राज्य की माँग की लिए आमरण अनशन प्रारम्भ कर देते हैं।

58 दिन बाद अनकी मृत्यु

1 Oct 1953 आन्ध्रप्रदेश राज्य का गठन

राज्य पुनर्गठन आयोग (1956) — तीन सदस्यी आयोग  
अध्यक्ष — जस्टिस फजल अली  
छद्यनाथ कुञ्जरू  
के सम. पणिवकर

स्थिरिति— 1. केवल भाषायी आधारों पर राज्य का पुनर्गठन नहीं ही  
एकता।

2. राज्यीय सुरक्षा, वित्तीय व उत्थासनिक कुशलता की भी उपान में<sup>87</sup>  
रखना चाहिए।
3. ऐसा कोई राज्य बनाना सम्भव ही नहीं है, जहाँ पर एक ही-  
भाषा-भाषी समूह के लिए निवास करते हीं क्योंकि वहाँ पर दूसरी  
भाषा बोलने वाले सदस्य भी अवश्य उपस्थित होंगे।
4. यदि किसी क्षेत्र में 70% से अधिक लोग एक ही भाषा बोलते हैं  
तो उसे भाषायी राज्य बनाया जा सकता है।
5. यदि किसी क्षेत्र में 30% से अधिक लोग किसी दूसरी भाषा  
को बोलते हों, तो उसे द्विभाषी राज्य बनाया जायेगा।



एक भाषा | भाषी राज्य गठित

सरकारी आदेश | नियम | विनियम पारित जारी होंगे - दोनों भाषाओं में  
(भाषायी अल्पसंख्यक)

भारत के राज्य क्षेत्र को 4 वर्गों में विभागित

- भाग(क)
  - भाग(ख)
  - भाग(ग)
  - भाग(घ)
- विभाजन के इस स्वरूप की समाप्त कर  
राज्य क्षेत्र का विभाजन

राज्यों का क्षेत्र ⑯

संघराज्य क्षेत्र ⑯

नेहरू - "यदि परिस्थितियाँ सामान्य होती ही में पहला व्यक्ति  
होता जी भाषायी आधार पर राज्य के गठन की  
माँग करता"

# भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र - ८

## राज्य पुनर्गठन आयोग


राज्य (१४)

- ① आंध्रप्रदेश
- ② असम
- ③ बंगलूरु
- ④ चंडीगढ़
- ⑤ जम्मू कश्मीर
- ⑥ पश्चिम बंगाल
- ⑦ बिहार
- ⑧ उड़िसा
- ⑨ मद्रास
- ⑩ मैसूरु
- ⑪ राजस्थान
- ⑫ केरल
- ⑬ गोवा
- ⑭ उत्तर प्रदेश

संघराज्य क्षेत्र - ६

- ① अण्डमान निकोबार
- ② लक्ष्मण निकोबार और अमीनी द्वीप
- ③ हिमाचल
- ④ मणिपुर
- ⑤ त्रिपुरा
- ⑥ दिल्ली

1956 के राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर भारत का राज्य क्षेत्र



1956 के बाद राज्य पुनर्गठन —


गुजराती ← बंगलूरु → मराठी भाषा  
गुजरात

1. बंगलौराज्य पुनर्गठन आधिनियम 1960 (गुजरात, महाराष्ट्र) <sup>15<sup>th</sup></sup>
2. नागालैण्ड राज्य पुनर्गठन आधिनियम 1962  
असम से नागालैण्ड की पुष्टि कर नागालैण्ड <sup>16<sup>th</sup></sup> राज्य की स्थापना
3. पंजाब राज्य पुनर्गठन आधिनियम 1966  
<sup>पंजाब</sup> <sup>17<sup>th</sup></sup> दिनांक संयुक्त राज्यानीचण्डीगढ़ (संघराज्य क्षेत्र)
4. हिमाचल प्रदेश पुनर्गठन आधिनियम 1970 - हिमाचल की संघराज्य क्षेत्र से राज्य का दर्जा दिया गया। <sup>→ असम के भीतर एक स्वामत्य राज्य पुष्टक करके मणिपुर त्रिपुरा</sup>
5. पूर्वोत्तर राज्य पुनर्गठन आधिनियम 1971 - मेघालय संघराज्य क्षेत्र से राज्य का दर्जा दिया गया।
6. 36वाँ संविधान संशोधन 1975 - सिक्किम की भारत संघ के अन्तर्गत अभिन्न अंग (22वाँ राज्य)
7. मिजोरम (UT) — राज्य
8. अरुणाचल प्रदेश (UT) 1986 - राज्य का दर्जा
9. दमन दीव से गोवा की पुष्टि राज्य का दर्जा - 1987
10. 1 नवम्बर 2000 मध्यप्रदेश से द्विसगढ़  
9 नवम्बर 2000 उत्तरप्रदेश से उत्तराखण्ड  
15 नवम्बर 2000 बिहार से झारखण्ड
11. 2 जून 2014 आन्ध्रप्रदेश से तेलंगाना राज्य
12. 31 Oct 2019
 

'भस्मूकेश्वर' विधानमण्डल	↓ लद्दाख	'कुक्कुट द्वारा शासित'
-----------------------------	-------------	------------------------
13. 26 January 2020 दमनदीव + दादरा नगर दिल्ली  
संघराज्य क्षेत्र

Special class

"संवैधानिक विकास"  
 (Constitutional Development)



-।- ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Background) :-

1773 का नियमक अधिनियम :- [इस समय ब्रिटिश प्रदेश में]  
 Regulating Act of 1773 = बोर्ड ऑफ गवर्नर



### कारण (Causes) ↳

- ① कंपनी की बिश्वासी आर्थिक स्थिति
  - ↳ ① कंपनी के अधिकारी / कर्मचारियों को निजि व्यापार करने की दूर
  - ② अधिकारी / कर्मचारियों का अप्रत्याचार / रिक्वेट खोरी
  - ③ हैंडरली के सफल अभियान (प्रथम मैट्सूर मुद्द 1767-69)
  - ④ 1770 वां बंगाल का भ्रीष्ण अकाल
  - ⑤ ग्रैंड इंडियन का लाभांश 60% से नहाकर 12-26% कर दिया
- ② ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु
  - ① ब्रिटिश सरकार अमेरिकी क्रांति से सबक लैते रहे।
  - ② जिस कारण ब्रिटिश सरकार एक उचित अवसर दी तलाश में थी।

③ कम्पनी की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हुई :-

- कम्पनी ने बैंक जाफ़ इंडिया से 10 लाख पौंड का उदार मांगा।
- कम्पनी पर प्रलैंग से ही बैंक का 60 लाख पौंड का कर्ज चा।
- 1767 से ब्रिटिश सरकार को उत्तिवधि 5 लाख पौंड से दूर गयी।


④ भित्ति सरकार कहती है -

- कम्पनी को 14 लाख पौंड देगी  $\Rightarrow 4\%$  वार्षिक ब्याज की दर पर
- कम्पनी पर Regulating Act लगा दिया

**प्रावधान (Provision) :-**

i बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया असेके अधिकारों में हृदि हुई।

"यैकला" उसकी कार्यकारिणी का गठन किया गया ५ सदाय ये कार्यकारिणी में



→ प्रत्येक सदाय ना कार्पोरल डर्विंग का होगा


→ गणपूर्ति = ३ सदाय

→ गवर्नर जनरल का केवल नियामित मत करने का अधिकार

Note { कलकत्ता को बसाया = चॉब चार्नक ने  
वर्किंग को बसाया = गराउड झाँगियर ने  
भूद्वाम को बसाया = फ्रांसिस डिनिल ने

→ अधिकारों में हृदि


भूद्वाम वर्किंग ]  $\Rightarrow$  फ्रेसिंसी - युद्ध एवं शांति



- 1 ⇒ कम्पनी के अधिकारी। कर्मचारियों के नियी व्यापार पर रोक लगा दी।
- 2 ⇒ रिक्वेट। भैट। उपहार नहीं ले सकते।
- 3 ⇒ उनका वैतन बढ़ा दिया गया।

⇒ इस अधिनियम से बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल = वॉर्न हेस्टिंग्स बना।  
 ⇒ इस अधिनियम से कैन्ट्रीकर्न में वृद्धि हुयी।

- ④ 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गयी।  
 प्रमुख न्यायाधीश = एलिजा डम्प



⇒

1781 का संशोधनात्मक अधिनियम

Act of Settlement

"बंगाल + ब्रिटिश एकट"

**कारण (Causes):-**

- ① सुप्रीम कोर्ट के अधिकार फ्लैट को सुनिश्चित करने हेतु
- ② किन कानूनों के आधार पर SC निर्णय देगा वह सुनिश्चित करने के लिए।

**प्रावधान Provisions :-**

- ① कम्पनी के अधिकारी/कर्मचारी अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए कम्पनी के अधिकारिता के अधीन नहीं हैं।  
ट्रस्टिग्रेट कार्यों के लिए अधीन हैं।
- ② अब गवर्नर जनरल और उनकी परिषद् द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को Review होते ही नहीं भेजा जाएगा।
- ③ कानून बनाते समय और व्यापक होते समय भारतीयों के द्वितीय कानून का हमान रखा जाएगा।
- ④ प्रांतीय न्यायालयों से अपील कर सकते हैं  $\Rightarrow$  गवर्नर जनरल  
 और उनकी परिषद् से  
 $\Rightarrow$  + ५०० पौँजी से  
 जमादा की अपील है  $\Rightarrow$  सभार माँर कौतुकिल  
 तो Direct से लिये अपील होती

## नागरिकता भाग-2 अनुच्छेद-(5-11)

### अनुच्छेद (5-8)

संविधान के लागू होने के समय किस-2 की भारत की नागरिकता प्रदान की भा सकती है

### अनुच्छेद (9-11)

नागरिकता के सम्बन्ध में संसद की अधिकार संक्षिप्तियाँ

अनुच्छेद-5 संविधान के लागू होने के समय भारत के राज्य क्षेत्र में निवास के आधार पर भारत की नागरिकता प्रदान 26 January 1950

- शर्तें—**
1. वह व्यक्ति भारत के राज्यक्षेत्र में जन्मा ही।
  2. माता-पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ ही।
  3. संविधान के लागू होने के कम से कम 5 वर्ष पहले से वह व्यक्ति सामान्य तौर पर निवास कर रहा ही।



अनुच्छेद-6 पाकिस्तान से भारत आने वालों के लिए नागरिकता का प्रावधान (19 July 1948)



### पहले

सामान्य प्रक्रिया के साथ भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी।

Reg. के लिए पंजाकरण आधिकारी के पास जाना

Reg. के Apply करना होगा लगातार 6 महीने भारत में stay करना होगा।

फिर भारत की नागरिकता मिलेगी।

अनुच्छेद-३ पहले भारत से पाकिस्तान की जाने वाले फिर पुनः पाकिस्तान से भारत की जीतकर आने वाले की नागरिकता

1 March 1947



पहले

सामान्य प्रक्रिया के  
मारा भारत की  
नागरिकता

वाद

स्थायी निवास प्रमाण  
पत्र लाना होगा  
Reg. के लिए Apply



करना होगा Register office  
जाकर  
6 महीने तक भारत में  
रहना होगा।

## नागरिकता Part-2

अनुच्छेद-9 किसी उन्नय देश की नागरिकता प्रदूषण करने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्ति ।

अनुच्छेद-10 भारत की नागरिकता का अर्जन और समाप्ति केवल संसद द्वारा निर्मित कानून के आधार पर होगा ।

- स्थानीय नागरिकता - केवल संघ की नागरिकता प्राप्ती की कोई नागरिकता नहीं होती
- दौलती नागरिकता -



अनुच्छेद-11 संसद की पर्याप्त शक्ति

नागरिकता के सम्बन्ध में नियम / कानून | विधि बनाने और उसमें संशोधन की शक्ति संसद की प्राप्त है।

अनुच्छेद-8 संविधान के लागू होने के समय भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर निवास कर रहे थे परन्तु भारतीय मूल के थे।

1. माता-पिता / दादा दादी जाना-जानी में से कोई एक भारत में जन्मा ही।
2. Indian Territory वही होगी जो Govt. of India 1935 में परिभ्राषित थी।
3. उसी देश के दूतावास में जाकर Registration के लिए Apply करवेंगे।



नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 —नागरिकता

प्राप्ति

1. जन्म से
2. वैशक्षण से
3. पंजीकरण से
4. देशकरण से
5. राज्य क्षेत्र के अर्जन से

समाप्ति

1. पर्यावरण
2. समाप्ति (परिलाग)
3. तंत्रित किया जाना

1. जन्म से — 26 जनवरी 1950 शा उसके बाद

भारत के राज्यक्षेत्र में जन्मा बच्चा, भारत की नागरिकता प्रदान की जायेगी। शर्त - माता-पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो।

अपवाद — 1. विदेशी राजदूतों के बच्चे जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मे हैं। उनको भारत की नागरिकता नहीं दी जायेगी।  
 2. शहू के अधीन भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मे बच्चे की भारत की नागरिकता नहीं दी जायेगी।

उदाहरण — दिविजय - 20 June 1993

जन्म - भारत - राज्य क्षेत्र  
 उत्तरपंथ - राज्य  
 अलीगढ़ - जिले  
 योगीपुर - ग्राम

माता-पिता दोनों ही भारत के नागरिक हैं।

2. वृण्कम से — बच्चा भारत के राज्यक्षेत्र से बाहर जन्मा है। उसके माता-पिता में से कोई एक भारत के नागरिक है।

उदाहरण — पिंका-चौपड़ा - निक्स लोनस  
 भारतीय नागरिक अंग्रेजी नागरिक  
 लेटी - मालती

मालती की भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी।

जन्म के ± साल के अतिर भारतीय दूतावास जाकर बच्चे का Reg. कराना होगा।

जीट - Citizenship Amendment Act -  
CAA - 1992 से पहले पिता का भारतीय नागरिक होना लकरी था।<sup>98</sup>  
↓ बाद माता भारतीय है और पिता विदेशी नागरिक है तो श्री  
बच्चे की भारत की नागरिकता गिर सकती है।

Rojgar With Ankit

## नागरिकता

3. पंजीकरण से - 1. भारतीयों के व्येबाहिक संवंधी  
 (by Registration) 2. भारतीयों का अल्प व्यस्क बच्चा  
 3. भारतीय मूल के व्यविति

Registrar office आकर Reg. Apply — नागरिकता के लिये

Minimum 5 से 7 वर्षीं तक भारत के राज्यक्षेत्र में निवास करने के बाद  
 नागरिकता मिल जायेगी।

4. देशीकरण से — तिदेशी मूल के व्यविति की  
 (By Naturalization) Conditions - 1. अपने देश की नागरिकता का व्याप  
 करना पड़ेगा।

2. वह किसी ऐसे देश से न ही भहाँ किसी भारतीयों की देशीकरण से  
 नागरिकता लेने से वंचित किया जाता है।

3. भारतीय संविधान के प्रति पूर्ण निष्ठा रखता है।

4. 7 वर्षीं अवृस्कृति में से किसी एक भाषा का ज्ञाता है।

5. पूर्ण घोग्यता, भायु शमता वाला व्यविति है।

Procedure — 1 वर्ष तक भारत में रहना होगा।

फिर Register office जायेगा। Reg. Apply.

फिर 11 वर्ष तक भारत में रहना होगा।

(1+11)  $\Rightarrow$  12 years      ↓ नागरिकता मिल जाएगी।

5. विदेश क्षेत्र के भारत के क्षेत्र में अर्जन द्वारा-

36वें राष्ट्रियान संशोधन 1975 से सिक्किम की  
 राज्य क्षेत्र में शामिल  
 22वाँ राज्य बनाया गया।

समस्त नागरिक उस क्षेत्र के भारत के अर्जन के परिणाम स्वरूप भारत  
 के नागरिक बन जायेंगे।



## नागरिकता की समाप्ति

1. परिवाग
2. पर्यावरण
3. वंचित करदेना

1. परिवाग— पूर्ण आगु | शोभगता | शगता वाला व्यविते  
स्वयं शोधना करदे कि मैं भारत की नागरिकता व्याग  
रहा हूँ।
2. पर्यावरण— किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत  
की नागरिकता स्वतः सुगात हो जाती है।
3. वंचित करदेना— Condition - 1. लगातार 7 वर्षों से अधिक भारत  
से बाहर निवास कर रहे हो।  
2. देश विरोधी गतिविधि में शामिल  
3. युद्ध के रुग्य शत्रु देश की मदद करने वाला व्यविते  
4. संविधान का अनादर करने वाला व्यविते | संविधान के प्रति निष्ठ  
आव नहीं रखता हो।  
5. अवैधरूप से भारत की नागरिकता प्राप्त की हो।

## मौलिक अधिकार

भाग-3

Art (12-35) अमेरिका के संविधान से गहन

1. मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय (enforceable) है। ताद योग्य है। न्याय योग्य है (justiciable) जिनके प्रावधानों की लागू करताया जा सके।
2. इनकी मूल प्रकृति नाकारात्मक है = राज्य के विरुद्ध व्यवितर्यों की (निषेधात्मक) अधिकार देते हैं।
3. असीमित नहीं है = युक्ति युक्त निर्बंधन आरेपित कर दिये गये हैं (Reasonable Restrictions)
4. निलम्बित किये जा सकते हैं। कुछ समय के लिए वापस ले लिए जाते हैं पुनः बठाली

Note Art - 20 / 21 को कभी भी निलम्बित नहीं किया जा सकता।  
परन्तु 44वें संविधान संशोधन 1978 से जोड़ गया।

मौलिक अधिकार — राज्य के विरुद्ध भारत के राज्य क्षेत्र के अतिर नागरिकों और नगर नागरिकों की पुष्ट ऐसे अधिकार है, जो व्यवितर्यों को रक्तज्ञता, समानता, गरिमापूर्ण जीवन धारण करने की गरंटी पुदान करती है। जिससे कि व्यक्ति सभी प्रकार की असुरक्षाओं से मुक्त होकर मपना सर्वांगीण विकास कर सकें।

मूल संविधान में 7 वर्ग हैं

परन्तु वर्तमान में उनके 6 वर्ग हैं।

1. समानता का अधिकार (14-18)
2. स्वतन्त्रता का अधिकार (19-22)
3. शोषण के विरुद्ध अधिकार (23-24)
4. धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार (25-26)
5. शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार (29-30)
6. सम्पत्ति वा अधिकार (31) → 44th संविधान संशोधन 1978 से
7. अंतर्राष्ट्रीय उचारिं का अधिकार (32) 300(a) में शामिल

# Rojgar with Ankit

Part-2.

## मौलिक अधिकार

अनुच्छेद-12 राज्य की परिभ्रान्ति (Definition of state)

**राज्य-** जिसके विरुद्ध व्यवितरीं (Citizen + Non Citizen) को अधिकार प्रदान किये गये हैं।

राज्य के अन्तर्गत -

1. भारत सरकार एवं संसद

2. राज्यों की सरकारें एवं विधानमण्डल

3. स्थानीय प्राधिकरण - ग्राम पंचायत और नगर पंचायत

1. जिला पंचायत

1. नगर निगम

2. दीन पंचायत

2. नगर पालिका

3. ग्राम पंचायत

3. नगर परिषद्

4. अन्य प्राधिकारी - ऐसा निकाय / संस्था जिसकी कोई सरकारी कार्य स्थान्तरित किया गया है।

ऐसी संस्था जो सार्वजनिक महत्व के कार्य करती है जिसके द्वारा लिये गए नियम जनता के हित

कोई भी ऐसी संस्था / निकाय जो अंशता और पूर्णतः सरकार द्वारा वित्तीय संषित है।

सार्वजनिक उपक्रम की कम्पनी

अनुच्छेद-13 अन्य विधियों से मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी

सुधार कीट की

↓  
13(1)

संविधान पूर्व विधियों से मौलिक अधिकारों की सुरक्षा गारंटी

↓  
13(2)

संविधान पश्चात विधियों से मौलिक अधिकारों की सुरक्षा गारंटी

↓  
13(3)

विधि शब्द के अन्तर्गत — संसद / SL द्वारा निर्मित कानून / नियम / विनियम पुस्तक / रीति अद्यादश / आदेश

↓  
संसद

↓  
state legislature

Note — संविधान संशोधन विधि के अन्तर्गत नहीं आता है।

# Rojgar with Ankit

## मौलिक अधिकार

L-3

राज्य के अन्तर्गत —

- व्याख्या - 1. सीसायटी रजिस्ट्रेशन एकट द्वारा स्थापित ऐसी सीसायटी व्यय - कुन्डा | राज्य सरकार
- 2. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (केन्द्रीय संगठन | संस्थारी)
- 3. वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (CSIR)
- 4. भारतीय खाद्य नियम् (FCI)
- 5. भारतीय साधियोंकी संस्थान (ISI)
- 6. भारतीय इस्पात वाधिकरण लिमिटेड (CSAIL)
- 7. राजस्थान विधुत बोर्ड
- 8. तेल और प्राकृतिक गैस कॉर्पोरेशन (ONGC)
- 9. अन्तर्राजीय विमान पत्तन वाधिकरण
- 10. LIC, IDBI, भायकर विभाग

Note - 1. न्यायपालिका (Judiciary) राज्य नहीं है

- 2. BCCI (राज्य नहीं है)
- 3. NCERT (राज्य नहीं है)
- 4. Private Companies (राज्य नहीं है)

अनुच्छेद - 33 पुलिस / सुरक्षा बलों / आसूचना संगठनों के कुछ मौलिक आधिकारी की सीमित करने की संसद की शक्ति।  
उदाहरण स्वरूप - Art - 19(1)(c) संघ संगम एवं सहकारी समिति बनाने का अधिकार है।

अनुच्छेद - 34 (Martial Law) जागू होने की स्थिति में संसद की सेना विधि मौलिक आधिकारी को नियमित रूप से सीमित करने की शक्ति प्राप्त है।

अनुच्छेद - 35 मौलिक आधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में संसद कानून बनाकर दण्ड निर्दिष्ट करेगी।

# Rojgar with Ankit L-4

समानता का अधिकार (14-18) -

अनुच्छेद - 14 विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण  
नागरिक  $\downarrow$  और नागरिक राजा के विवरण

“विधि के समक्ष समता” - हंगलैण्ड से  
कानून के समक्ष सभी समान हैं  
कोई भी व्यक्ति। संस्था कानून से  
बड़ा नहीं है।  
सभी कानून की परिधि के अन्तर्गत  
Equality before law  
प्री. डायर्स (Britain)

कानून सभी के लिए समान होना चाहिए  
जब आधार पर किसी भी उच्च मरणा  
निम्न मानकर कानून के समक्ष  
कोई अद्वाव नहीं करेगा।

अनुच्छेद - 15 धर्म, मूलवेश जाति, लिंग एवं जन्मस्थान आदि के  
आधार पर अद्वाव का प्रतिबंध

15(1) - राज्य अपने नागरिकों के साथ केवल धर्म, मूलवेश, जाति  
लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी एक आधार पर  
अद्वाव नहीं कर सकता।

15(2) - राज्य के साथ - 2 प्राइवेट व्यक्ति भी अद्वाव नहीं कर  
सकता। केवल धर्म, मूलवेश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या  
इनमें से किसी भी एक आधार पर

- ① सार्वजनिक स्थान  $\swarrow$  सरकारी  $\searrow$  निजी Hospital
- ② सरकार द्वारा वित्तपोषित स्थान - पार्क Hotel
- Restaurant
- Bus Stand
- Railway Station

# Rojgar with Ankit

सामान्य नियमों के अपवाद—

अनुच्छेद 15(3)— राज्य माहिलाओं और बच्चों के हित में विशेष प्रावधान कर सकता है और इसे अनु० 15 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।

अनुच्छेद 15(4)— पृथग् संविधान संशोधन 1951, अनु० 15(4) की जोड़ गया। राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के दिग्ंं के लिए विशेष रक्षणापाय कर सकता है।

अनुच्छेद (15(5))— 93वां संविधान संशोधन 2005

अल्पसंख्यक तरीके के शिक्षण संस्थानों की होड़कर राज्य किसी सभी सरकारी / निजी स्कूलों को SC/ST/OBC के लिए पुर्वेश में स्थान आरक्षित करना होगा।

(इसे केन्द्रीय शिक्षण संस्थान अधिनियम 2006 के नाम से जाना जाता है)  
(पुर्वेश में छूट / आरक्षण)

अनुच्छेद 15(6)— 103वें संविधान संशोधन EWS के लिए विशेष उपबन्ध है।

अनुच्छेद -16 लोकनियोजन के विषय में अवसर की समानता

अनुच्छेद 16(1) राज्य के अधीन नियुक्ति एवं नियोजन के सम्बन्ध में सभी जागरिकों की अवसर की समानता हो।

अनुच्छेद 16(2) राज्य नियोजन के सम्बन्ध में केवल धर्म, मूल्यवश जाति, लिंग, जन्म स्थान, वंशांकम् और निवास स्थान पा इनमें से किसी भी एक आधार पर कोई भेद भाव नहीं कर सकता।

सामान्य नियमों के अपवाद—

अनुच्छेद 16(3) राज्य नियोजन के सम्बन्ध में निवास स्थान सम्बन्धि जाति आरोपित कर सकता है।

अनुच्छेद 16(4) सरकारी नौकरी में आरक्षण भाई

# Rojgar with Ankit

L-6

अनुच्छेद 16(5) सरकार हारा वित्त पीडित किसी धार्मिक संस्थान में केतल उसी धर्म के लोगों की नियुक्ति किया जा सकता है। अन्य धर्म के लोगों की नियुक्ति का प्रावधान नहीं हो सकता।

अनुच्छेद 16(6) 1975 के लिए सरकारी नीकरी में विशेष प्रावधान 103वें एवं विद्यान एवं शिक्षण के माध्यम से जोड़ा है।

अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मुलन

इसका विस्तर 15(2) में है।

राज्य के साथ-साथ प्राइवेट व्यक्ति भी अदेशाव नहीं कर सकता है।

अनुच्छेद-18 उपाधियों का अंत

18(1) - राज्य किसी भी व्यक्ति को कोई उपाधि नहीं दे सकता है। विद्या। सिना सम्बन्धी सम्मान दे सकता है।

18(2) - भारतीय नागरिक किसी भी विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं ले सकता है।

18(3) - कोई भी विदेशी नागरिक जो राज्य के अधीन Employment और Appointment में है। वह राज्यपति की सम्मति के बिना किसी भी विदेशी राज्य से कोई उपाधि मृदृण नहीं कर सकता।

18(4) - भारतीय। विदेशी राज्य के अधीन नियोजन विना राज्यपति की सम्मति के कोई अंत, उपलब्धि सम्मान मृदृण नहीं कर सकता - विदेशी राज्य से

## स्वतन्त्रता का अधिकार (19-22)

1. समाँसु आरोपित की गयी है
2. उचित निवेदन (Reasonable Restrictions)
3. असीमित नहीं है।

अनुच्छेद - 19 भाषण एवं मामिलाविति की स्वतन्त्रता सहित अन्य अधिकार सीमांकन

- 19(1)(a) - भाषण एवं अभिव्याख्या की स्वतन्त्रता का अधिकार - 19(2)
- 19(1)(b) - शोतिपूर्ण एवं दृष्टियार रहित सम्मेलन का अधिकार - 19(3)
- 19(1)(c) - संघ संगम एवं सहकारी समिति बनाने का अधिकार - 19(4)
- 19(1)(d) - भारत के राज्य क्षेत्र में अवाध संचरण का अधिकार - 19(5)
- 19(1)(e) - भारत के राज्य क्षेत्र में बसने का अधिकार - 19(5)
- 19(1)(f) - सम्पति का अधिकार - 44 वाँ संविधान संशोधन 1978 से हवा दिया
- 19(1)(g) - कोई भी व्यक्तिय या असाधिकारी अपनाने का अधिकार - 19(6)

सहकारी समिति की - 19वें संविधान संशोधन

19(2) - राज्य की सुरक्षा

देश की एकता व सम्मुख्यता

लोकसदाचार

अपराध उद्दीपन

मानवानि

द्यायालय की अवमानना

शिष्टाचार एवं सदाचार

विदेशी राज्यों के साथ मौतीपूर्ण सम्बन्ध

19(3) - लोकव्यवस्था

19(4) - लोकव्यवस्था, सदाचार, भारत की एकता व सम्मुख्यता

19(5) - साधारण जनता के हित में

किसी अनुसुचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए

19(1)(f) सम्पत्ति का अधिकार खरीदने  
दारण करने  
वेचने  
पर्यावरण संशोधन के माध्यम से हवा दिया।  
1978

19(1)(g) कोई भी व्यक्तिय करने का अधिकार - आजीविका के साधन की Reasonable Restrictions - 19(6) अपनी का अधिकार

1. सरकार एकाधिकार
2. तकनीकी योग्यताएँ
3. सार्वजनिक जनता के निम्ने

अनुच्छेद 20 - अपराधों के लिए दोष सिद्धि के सम्बन्ध में संरक्षण (Protection in respect of conviction for offences)

1. भूतलक्षी दंडिक विधियों से संरक्षण
2. दोषे के संबन्ध में संरक्षण | एक अपराध में स्वरूप एक बार प्राप्ति का प्रावधान
3. अपने विरुद्ध गवाही देने के संरक्षण  
शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जायेगा।

अनुच्छेद 21 प्राण व दैविक स्वतन्त्रता का अधिकार (Right to life and personal liberty)

Explanations of personal liberty

1. अपने पसंद के साथी से विवाह का अधिकार
2. निजता का अधिकार
3. आश्वस्य का अधिकार
4. भ्रातृता का अधिकार
5. सीने का अधिकार
6. पर्यावरण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार  
प्रदूषण
7. बिजली पाने का अधिकार
8. चिकित्सा सुविधा पाने का अधिकार
9. विदेशी यात्रा करने का अधिकार
10. आजीविका का अधिकार

## Rojgar with Ankit

अनुच्छेद 21(A) — ७६ वाँ संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से लीजा  
गया है।

(6-14) वर्ष आगे के लक्ष्यों की जि शुल्क प्राप्तिमिल शिक्षा का  
आधिकार।

अनुच्छेद-22 कुद द्वारा जैं गिरफतारी और निरीध से संक्षण

गिरफतारी = (फुलिस की गिरफत में है)

यह आवश्यक नहीं की आप अपराधी हैं। क्योंकि अभी अपराध सिद्ध नहीं हुआ।

निरीध

दण्डात्मक निरीध

निवारक निरीध

निवारक निरीध — कोई Unlawful Activity ही ही उससे पहले ही Detention में लोगों की लियी जा सके।

1. अपनी गिरफतारी का कारण जानने का अधिकार
2. अपने निकट संबंधी की तुरन्त सूचित करने का अधिकार
3. 24 घण्टे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार
4. अपने पसंद के तकील से अपना मामला प्रस्तुत करने का अधिकार
5. Judicial Magistrate police Custody 15 दिनों तक करने के लिए

दण्डात्मक विरीध — Unlawful Activity ही पुकी है

गिरफतार - 1. evidence है।

2. संदेह है।

अनुच्छेद (23-24) शोषण के विरुद्ध अधिकार

अनुच्छेद 23- मानव का दुर्लभ, बेगार और बलात्कार का प्रतिष्ठित (राज्य + प्राइवेट व्यक्ति)

बेगार - work without pay काम करवाने के बाद आपके पारिषद्धिक न दिया जाय।

बलात्कार - मन नहीं है, काम करने का मन के विरुद्ध काम करतामा जाना

## Rojgar with Ankit

- 23(1) — मानव का दुर्लभार, बिगार और बलात्कार एक व्यापक अपराध है।
- 23(2) — राज्य सर्वजनिक प्रयोगन के द्वारा कार्य करा सकता है।  
इसे अनुच्छेद 23 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।  
लेकिन राज्य धर्म, मूलतंत्र, जाति और वर्ग के माध्यम पर कोई अदेशावधि नहीं की गयी।
- अनुच्छेद - 24 कारणानी आदि में वालकों के नियोजन का प्रतिषेध (Heavy Duty Work) जन का खातरा है।
- जैसे - घनदान में  
अटटा उद्योग  
झलियाह ताला उद्योग  
फिरोजाबाद का कस्तूर उद्योग

# Rojgar with Ankit

## धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार (25-28)

प्रस्तावना - स्वतन्त्रता

विश्वास - आंतरिक स्वरूप

धर्म - पथ (संग्रहाय) = द्विषु | मुख्लिग | सिक्ख | हिन्दू | जैन | बौद्ध |

उपासना - पूजा प्रदर्शनी

(बाह्य स्वरूप) सबकी धार्मिक गान्यताँर सेवा रिवाज उच्चाँर  
क्रियाकलाप

आंतरिक

बाह्य

अनुच्छेद 25 - अन्तःकरण की स्वतन्त्रता (आंतरिक स्वरूप)

किसी भी धर्म की मानने अथवा न मानने की स्वतन्त्रता

आचरण करने की स्वतन्त्रता (बाह्य स्वरूप)

पचार पुसार करने की स्वतन्त्रता

अनुच्छेद 26 - धार्मिक कार्यों के प्रबन्धन की स्वतन्त्रता

उदाहरण स्वरूप - 1. जैन

बादरा ज्योतिलिंग (महाकाल ज्योतिलिंग)

मंदिर परिसर (ईजारी दर्शनार्थी दर्शन करने)

प्रबन्धन - शुभेश

निकास

आरती - किटनी समय

पुसाद

मंदिर समिति धरा

स्थापत्य कार्य

2. माता वैष्णो देवी (जम्मू कश्मीर) प्रबन्धन - माता वैष्णो देवी

मंदिर परिसर

शुभेश

निकास

आरती

पुसाद

मैत्रेन बोर्ड

स्थापत्य कार्य

# Rojgar with Ankit

L-11

अनुच्छेद-27 किसी भी धार्म की आश्रिति के लिए कर (Tax) नहीं देनी की रुतन्तता

धार्मिक संस्थान | निकाय

आय = जितने भी राशनों से प्राप्त (कर मुक्त होती है)

अनुच्छेद-28 कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा देने की रुतन्तता

श्रेणी (Category)

A

ऐसे शिक्षण संस्थान जो पूर्णतः राज्यनिधि से वित्त पोषित हैं (सरकारी स्कूल) धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती।

B

निजी शिक्षण संस्थान जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है

C

ऐसे शिक्षण संस्थान जो पूर्णतः राज्य वित्तीय सहायता प्राप्त प्राप्त होने की धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है जो पूर्णतः राज्य वित्तीय सहायता प्राप्त होने के लिए (मदरसा) धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है

D

जो पूर्णतः राज्य वित्तीय सहायता प्राप्त होने के लिए (मदरसा) धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है

अनुच्छेद-29 कारबाहों आदि में बच्चों के नियोजन का उत्तिष्ठान 15वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चे

1. परिसंकटमय स्थान पर कार्य नहीं करेंगे।

घनन

अदिक्षित कालीन उद्योग

सुरंग

इट भट्टों पर कार्य

अलीगढ़ का ताला उद्योग

फिरोजाबाद का कोंच उद्योग

2. Heavy duty work

3. जानमाल लोट्टी

अनुच्छेद (29-30) शिक्षा और संस्कृति सम्बन्धी जाइकार

अनुच्छेद-29 जिसकी भी अपनी विशेष भाषा, लिपि संस्कृति को उसे बनाए रखने का पूरा अधिकार होगा।

# Rojgar with Ankit

अनुच्छेद - 30 अल्पसंख्यक लगी ली शिक्षण संस्थानों की खोपना  
और प्रशासन करने का उद्दिकार।

# Rojgar with Ankit

L-12

अनुच्छेद-32 संवैधानिक उपचारी का अधिकार

1. मौलिक अधिकार (प्र-30) के प्रत्यन की गारंटी दीती है।  
↓ Enforce | justiciable
2. मौलिक अधिकार   
 नागरिक ग्राज्य  
 ग्राज्य प्राइवेट व्यवितीय
3. यह स्वयं भी ऐसा मौलिक अधिकार है। वर्णकि यह भी आग-3 अनु. (12-35) के अन्तर्गत आता है।
4. यह अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का रक्षक है। और स्वयं भी एक मौलिक अधिकार है।
5. मौलिक अधिकार की Art.-32 - सुषीम कोर्ट (SC)  
लोगूर Art. 226 - उच्च न्यायालय (HC)

बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)

परमादेश (Mandamus)

प्रतिषेध (Prohibition)

उत्प्रवण (Certiorare)

अधिकार चून्हा (Quo-warranto)

बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) अर्थ - शरीर प्राप्त करना


1. यह रिट न्यायपालिका के प्रारा ही जारी की जाती है।
2. जब 24 घण्टे से अधिक किसी की अवैध रूप से केवल में रखा गया है।
3. स्वयं चिह्नित व्यविति या अन्य के प्रारा भी दायर की जा सकती है।

परमादेश (Mandamus) अर्थ - हम आदेश देते हैं कि

1. न्यायपालिका इस रिट के माध्यम से ऐसे सार्वजनिक। लोक प्राधिकारी की अदिश देगी। जिसने अपने सार्वजनिक कर्तव्य की करने से इनकार कर दिया है।
2. यह रिट केवल सरकारी व्यविति के विरोध जारी की जा सकती है। प्राइवेट व्यविति के विरोध नहीं।

## Rojgar with Ankit

प्रतिषेध (Prohibition) रोकना व्यवहारी कार्यवाही की बिना में रोकना।  
उत्प्रेषण (Certiorari) कार्यवाही समाप्त हो चुकी हो। फैसला सुनाया जा सकता।  
 यह दोनों ही रिटॉन्यायपालिका ये सम्बन्धित हैं।  
 यह रिटॉन्याय <sup>Higher judiciary</sup> के द्वारा <sup>Lower judiciary</sup> के विरोध  
 जारी की जाती है।



Lower judiciary → सुनवाई के द्वारा

प्राकृतिक न्याय के नियमों का उल्लंघन

अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर आकर Act कर रही हैं।  
 अनेत्रिक कार्यवाही  
 दोषपूर्ण कार्यवाही

Higher Judiciary द्वारा समाप्त कर दिया जायेगा तथा पूरा  
 मामला HJ अपने संबोध में लेकर स्वयं सुनवाई करेगी।

अधिकार प्रदान (Quo-Warranto) आपका प्राधिकार क्या हैं।

लोक प्राधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर आकर कार्य करता है।  
 अवैध तरीके से सार्वजनिक पद की धारण कर लिया है।

# Rojgar with Ankit

118

## राज्य के नीति निर्देशक तत्व

भाग-4

अनुच्छेद - (36-51)

1. राज्य पर आरोपित किये गये कर्तव्य हैं।
2. संविधान में उल्लिखित हैं।
3. अप्रवर्तनीय हैं - Non justiciable  
Non enforceable
4. वह आयर्लैण्ड के संविधान से ग्रहण किये गये हैं।

DPSP (36-51)

36-राज्य की परिभाषा	37 केवल भाग-4 के लिए	38 (1) W	38 (2) I	39 (1) कानूनी	40 VP	41 WEP	42 Pregnant	43 MinWages	44 P	45 H	46	47	48	49	50	51
		39 (a) L	39 (b) D	43 (1)	43 (2)	43 (3)	43 (4)	43 (5)								48(1)
DPSP अप्रवर्तनीय हैं।	फिर भी देश के	(c) C	(d) P	44	45											
शासन में मूलमूल्य हैं।		(e) H	(f) C													

36— राज्य की परिभाषा (अनु० 12 में)

भारत सरकार एवं संसद

राज्यों की सरकार एवं विधानमठल  
स्थानीय प्राधिकारी

अन्य प्राधिकारी

केवल भाग-4 के प्रयोजन हैं।

37 — DPSP → अप्रवर्तनीय  
→ अताद्योग्य  
→ न्याययोग्य नहीं हैं।

देश के शासन में मूलमूल्य हैं।

प५० संविधान संशोधन से अनु० 38 की भाषा में संशोधन  
(1978)

# Rojgar with Ankit

38(1)- Welfare (लोककल्याण)

राज्य लोककल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनायेगा जिससे सामाजिक, अर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो।

38(2)- I - Inequity (असमानता)

राज्य आय, सुविधा और जावसर की असमानता को समाप्त करेगा।

39(a) - L - livelyhood (आपीविका)

पुरुषों एवं महिलाओं की आपीविका के पर्याप्त साहानी का आविकार

39(b) - D - Distribution (वितरण)

समाज के भौतिक एवं ज्ञानीय संशोधनों का उचित स्वामित्व एवं वितरण

39(c) - C - Centralization (केंद्रीकरण)

अर्थव्यवस्था में धन और उत्पादन के साधनों का आविकारी केंद्रीकरण

39(d) - P - Pay (वेतन)

पुरुषों व महिलाओं की समान कार्य के लिए समान वेतन

39(e) - H - Health (पुरुष, महिला व स्वच्छी)

भूमिका आयु व शक्ति के आधार पर पुतिकूल रोजगार में जनि से बचाना

39(f) - c - children (बच्चों)

बच्चों की भारिमा के साथ विकास का जावसर देना और उत्तीक उकार के शोधण से बचाना

39(g) - 42 वाँ संविधान संशोधन 1976

समान जावसर के आधार पर न्याय देना

नि शुल्क कानूनी सहायता देना जिससे गरीबी की अन्धार का शिलार नहीं देना।

40 - ग्राम पंचायतों की स्थापना और उन्हें शासन की रूक्षार्थी रूप कार्य करने की शक्ति प्रदान करना। (लोकतात्त्विक विकेन्डीकरण - सामाजिक रक्षासन)

41 - शुद्धापा, बमिरी की स्थिति, अशवतता की स्थिति ग्रे लोकसहायता शिक्षा काम प्राप्त करने का जावड़ि

# Rojgar with Ankit

## 42. Pregnant

काम की ज्याय संगत एवं मानवीचित दर्शाएँ। निःशुल्क प्रसूति सुविधा उपलब्ध कराना

## 43 - Min. Wages.

निर्वाचित योग्य मजदूरी मिलनी चाहिए। अतकाश की व्यवस्था ही।  
कुटीर उद्योगों की स्थापना!

## 43(a) - 42 वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा

उद्योग के प्रबलान में समिकों के भाग लेने की स्वतंत्रता।

## 43(b) - 97 वें संविधान संशोधन 2011 से जोड़ा।

सहकारी समितियों का - एवं दृष्टिकोण गठन

स्वायत् संचालन  
लोकतांत्रिक नियंत्रण  
पैशोवर प्रबन्धन

## 44 - Equal (पैरा)

एक समान नागरिक संस्थिति को सम्पूर्ण राज्य क्षेत्र में लागू करना  
(एक मात्र राज्य - गोवा)

नागरिक कानूनों में धर्म के आधार पर किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं

## 45 - 06 वाँ संविधान संशोधन 2002 से आषा में संशोधन

6 वर्ष से कम आयु के शिशु एवं बच्चों की देखभाल का प्रयास  
अनु-2(A) में जोड़ - 6-14 वर्ष के आयु के बच्चों की निःशुल्क प्राष्ठमिक शिक्षा अधिकार

11 वाँ मौलिक कर्तव्य - 6-14 वर्ष के आयु के बच्चों की बेट्टर शिक्षा के लिए बेट्टर शिक्षा - डाम्भिकावक | माता-पिता

## 46 - (fourty Six)

SC/ST = अनुसूचित जाति | जनजाति एवं मन्य पिंडा तर्फ के हितों की रक्षा की जायेगी।

## 47 - मादक पदार्थों का निषेध | पीघाइर स्तर की बढ़ाना, लोकस्वास्थ की बढ़ाना।

48- घणिमान्त्र के प्रति दयाभाव

दुष्टार पशु की रक्षा (गाय-बहू) इत्या का नियंत्रण, पशुओं की जरूरतों में रुक्षार

48(1)- 42 वाँ संविधान संशोधन 1976

पर्याकरण का संरक्षण त संवर्धन | बन त नवजीवीं की रक्षा करना।

49- (shine)

राष्ट्रीय हित के स्मारकों का संरक्षण त संवर्धन

50- ग्रामपालिका का कार्यपालिका से प्रशासनकरण

51 - अन्तर्राष्ट्रीय शांति त सुरक्षा ली अभिवृद्धि

# Rojgar with Ankit

## मौलिक कर्तव्य Fundamental Duties

- मूल रंगिनीन में नहीं थे - 42 वाँ रंगिनीन रंगशीलन 1976 थे जोड़ा गया
- खमिति - सरदार स्वर्ण सिंह खमिति की सिफारिशों के आधार पर शामिल किया गया।
- सीवियत संघ के रंगिनीन थे ग्रहण किया थे।
- सरदार स्वर्ण सिंह - मौलिक कर्तव्यों की भी रंगिनीन 39 शामिल किया जाना - चाहिए।
- अधिकार और कर्तव्य दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अतः उनका प्रयोग साथ-2 करना - चाहिए।
- मूल रंगिनीन 5 तक संख्या - 10
- 11 वाँ मौलिक कर्तव्य - 86 वाँ रंगिनीन रंगशीलन 2002

1. A) रंगिनीन का पालन करें उसके आदर्शी, सरथाओं, राष्ट्रीय छवियों और राष्ट्रीय गान का सम्मान करें।
2. B) Bhagat Singh.  
स्वतन्त्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आनंदीलन को पुरित करने वाले उच्च आदर्शों की छत्ती में खेजीरह रेखों और उनका सम्मान करें।
3. देश की सम्पुर्णता और एकता की रक्षा करें और उसे असुरुच बनाएं रखें।
4. देश की रक्षा करें और आकृतान किये जाने वाले राष्ट्र की सेवा करें।
5. सभी लोगों में समरसता और समान भावना का विकास करें। सभी श्रेदशात् धर्म, भाषा, वर्ग क्षेत्र तथा रेसी प्रथाओं का त्याग करें, जो गहिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हैं।
6. हमारी गौरवशाली परम्परा का महल समीक्षा और बनाएं रखें।
7. प्राकृतिक पर्यावरण का सुरक्षण सब संवर्धन जिसके अन्तर्गत, तन वन्यजीव, नदी, झील शामिल हैं।

# Rojgar with Ankit


8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद, ज्ञानार्थन और सुधार की आवश्यकता के विकास करें।
9. सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा करें और दिल्ली से दूर रहें।
10. व्यवित्रित और सामूहिक जातिविधियों के सभी क्षेत्रों में आगे की ओर बढ़े जिससे राष्ट्र निरंतर उन्नति करें।
11. 86 वाँ संविधान अधिनायन 2002 से जोड़ा 6-14 वर्ष की आयु के बच्चे, उनका संरक्षण स्वेच्छा विकास

# Rojgar with Ankit


1-124

संघ (भाग-5) अनु (52-151)

शासन संस्था



संघ (भाग-5)



अध्याय-1 कार्यपालिका → राष्ट्रपति एवं 3पराष्ट्रपति (52-73)

→ मंत्रिपरिषद् एवं प्रधानमंत्री (74-75)

→ महान्यायकादी (76)

→ कार्यसंचालन (77-78)

# Rojgar with Ankit

125

## भारत का राष्ट्रपति

अनुच्छेद 52- भारत का एक राष्ट्रपति होगा ।

पद - संविधान के आधारभूत द्वौची के अन्तर्गत आता ही

राज्यप्रबोधक (Head of State) होगा - 'देश का शासन उसी के नाम से सम्बन्धित होगा ।

'देश का प्रथम नागरिक' होता है


पद लिया - अमेरिका

नाममात्र की कार्यपालिका है - ब्रिटेन संविधान से

अनुच्छेद - 53 कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित ही होंगी जिनका प्रयोग वह स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थों के द्वारा करेगा ।

अनुच्छेद - 54 राष्ट्रपति का निर्वाचित मण्डल

NCT Delhi विधानसभा के निर्वाचित पुकुचरी सदस्य भी बॉट करेंगे



राज्य विधान परिषद के सदस्य (MLC) - Vote नहीं कर सकते !

1/6 मनोनित  
(Nominated)

5/6 निर्वाचित  
(Elected)


# Rojgar with Ankit

संघ

L-2

अनुच्छेद - 55 राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति

निर्वाचन



राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति - एकल संकायीय मत पद्धति  
 (आयर्लैण्ड संविधान से)  
 ↓  
 आनुप्रातिक प्रतिनिधित्व  
 अप्रत्यक्ष मतदान  
 गुप्त रीति

Note - 1997 में राष्ट्रपति पद की जमानत राशि 2500 रुपये से बढ़कर 15000 रुपये कर दी गयी।

एक अध्योदेश के माध्यम से अनुमोदक और प्रस्तावकों की संख्या 10 से बढ़कर 50 कर दी गई।

1997 (Ordinance)

Before	After
10 - अनुमोदक	50 - अनुमोदक
10 - प्रस्तावक	50 - प्रस्तावक
जमानत राशि - 2500	15000

→ A (आनन्द कुमार)	1204	⇒ Win
→ B (बृज मीठा)	1200	सत्राधिक वीट
→ C (चंद्रपाल)	1100	
→ D (दुर्गेश)	800	
→ E (ईश्वरी प्रसाद)	500	

MLA  
विधानसभा

मतदाता सं = 5000

प्रत्यक्ष निर्वाचन

राष्ट्रपति के चुनाव वोटों की संख्या  
वोटों का मूल्य

वोटों की संख्या— कुल डाले गये वैलिड (Valid) वोटों का जिसकी भी सर्विधि 50% + 1 मत प्राप्त होता है।

Vote डालने के साथ-साथ choice भी fill करना है।

	काजल	अभिषेक	रानी	असलम
प्रथम	④ 1	① 3	① 2	② 4
द्वितीय	+1 3	4	1	2 ③
तीसरा	⑤ 2 + ↙ 1	1	3	4
चौथा	3	2	4	1
पाँचवा	1	2 — ③	3	4
छठा	1	4	2 — ②	3
सातवा	4	2	3	1
आठवा	1	3	4	2

कुल मतदाता संख्या = 8

वैधमतों की संख्या = 8

Vote Count = 50% + 1

$$\frac{8}{2} + 1 = ⑤$$

वोटों का मूल्य —

विधायक के मत का मूल्य (MLA) Member of Legislative Assembly

$$= \frac{\text{राज्य की समुदायप्रसंग्या}}{\text{राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य}} \times \frac{1}{1000}$$

Example - उत्तरप्रदेश के एक विधायक के मत का मूल्य

$$= \frac{2000000000}{403} \times \frac{1}{1000}$$

$$= 496$$

सभी राज्यों की विधानसभा के सभी MLA के बीत Value का योग

$$\text{एक संसद के मत का मूल्य} = \frac{\text{संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या}}{(CLS+RS)} \\ (543 + 233)$$

अनुच्छेद-56 राष्ट्रपति का कार्यकाल

राष्ट्रपति पदबृहण की तरीख से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहेगा।

1 जून 2020  $\longrightarrow$  31 दिसंबर 2025  
राष्ट्रपति पद

वह चाहे ती समय से पहले ही अपना पद त्याग सकते हैं।  
मामला - उपराष्ट्रपति

(अपने इस्तान्धर सहित जैव धारा)

56(1)- कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी तब तक पद धारणा करेगा जब तक कि उनका उत्तराधिकारी पद घटणा न कर ले।

$\downarrow$   
पहली बार महाभियोग शब्द का-introduced

उसे कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी उसके पद से दूरा जा सकता है।

## Rojgar with Ankit

अनुच्छेद-५७ राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकता है।

जितनी बार भी राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार पुरस्कृत कर सकता है।

विजय - राष्ट्रपति बन सकता है (जितनी बार भी)

5-5 वर्ष के कार्यकाल के उपरान्त

अनुच्छेद-५८ योग्यताएँ:

1. वह भारत का नागरिक हो (यह आवश्यक नहीं कि जन्म से)

2. वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।

3. वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो।

MP (Lok Sabha)

1. वह पागल हैं व दीवालिया न हो।

2. चुनाव सम्बन्धी किसी अपराध के कारण चुने जाने के आधिकार से वंचित न किया गया हो।

3. गंभीर अपराध में सजायाफता न हो।

अनुच्छेद-५९ राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें

1. वह किसी लाभ के पद की धारण न करता हो।


2. संघ सरकार मंत्री

राज्य सरकार

राज्यपाल

उपराष्ट्रपति

सांसद विधायक



अनुच्छेद-६० शपथ। प्रतिक्षान सुषिम कोटि के मुख्य न्यायाधीश।

अनुपस्थिति - तरिघ्ठत्म न्यायाधीश।

संघ

L-4

अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग

राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल खाता होने से पहले ही पद से हटने की पुष्टिया।

**पुष्टिया**— अमेरिका के संविधान

**आधार**— संविधान का आतिकृतिगत

**प्रस्ताव**— रांगल्प प्रस्ताव - LS/RS (दोनों में से किसी भी सदन

**संज्ञाना**— 15 दिन पूर्व में सबसे पहले लाया जा सकता है।

**शर्त**— यदि LS में लाया गया तो = कुल सदस्य संख्या का  $\frac{1}{4}$   
OR

यदि RS में लाया गया तो = कुल सदस्य संख्या का  $\frac{1}{4}$

दूसरा सदन (RS/LS) राष्ट्रपति पर लंगे आरोप की जाँच करता है।

↓  
**आरोप** में सच्चाई (महाभियोग की पुष्टिया शुरू)

जिस भी सदन में सबसे पहले प्रस्ताव लाया गया था महाभियोग की पुष्टिया भी वही से प्राप्त = LS

कुल सदस्य संख्या  $\frac{2}{3}$   
से पारित

RS  
कुल सदस्य संख्या  $\frac{2}{3}$   
से पारित

राष्ट्रपति अपना पद छाली कर देगा।

अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही अगले राष्ट्रपति के नूनाव करा लिये जायेंगे।

## भारत का उपराष्ट्रपति

अनुच्छेद 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा।

**पद**— अमेरिका के संविधान से गृहण किया है।

# Rojgar with Ankit

131

अनुच्छेद 64 वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है।

राज्यसभा का साक्षय नहीं है। तो राज्यसभा में तीटे देने का अधिकार नहीं है।

उसे गणराज्यक तीटे देने का अधिकार - गत बराबर होने की स्थिति में

अनुच्छेद 65 उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का निर्वहन

1. उपराष्ट्रपति आधिकतम 6 महीने तक राष्ट्रपति के पद की धारण कर सकता है। वर्षों के राष्ट्रपति के पद की रिवति के 6 महीने के अन्दर चुनाव करा लिये जायेंगे।
2. जब वह राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करता है। तो वह राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करता एवं राष्ट्रपति के समान ही वेतन, भवति और सुविधाएँ प्राप्त होती हैं।

# Rojgar with Ankit

132

खंड

L-5

अनुच्छेद 66 — उपराष्ट्रपति का निर्वाचन

निर्वाचन मण्डल

लोकसभा

निर्वाचित

मनीनीत

104 काँ संविधान संशोधन

2 Anglo Indian की  
विवरण समाप्त

राजसभा

निर्वाचित

मनीनीत

12 सदस्य

राष्ट्रपति द्वारा १०८

सांविधानिक

कला

विद्यान

समाजसेवा

विधान सभा सकर्त्ता को Vote  
करने का Right नहीं है।

निर्वाचन पद्धति — एकल संकेतनीय मत पद्धति  
आनुपातिक पुतिनीधिल  
अपलक्ष्य मतदान  
गुप्त रीति

अनुच्छेद 67 — उपराष्ट्रपति का कार्यकाल

- पदवृष्टि की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करते हैं।
- वह राष्ट्रपति की सम्बीधित अपने दस्तावेज सहित लेण द्वारा समग्र से पहले भी अपना पद व्याप्त करते हैं।
- कार्यकाल समाप्त होने से पहले उनकी दत्तया भी ना सकते हैं।  
आधार- सावित कदाचार  
असमर्थता

संकल्प प्रस्ताव — १५ दिन पूर्व जारिया

वह प्रस्ताव सिर्फ राजसभा में सबसे पहले लाया जाएगा

कुल सदस्य संख्या  $\times \frac{1}{4}$

लोकसभा (समान पुक्ति)

मतदान — तृतीय प्रकार (विशिष्ट बहुमत)

उपस्थित और मतदान का  $\frac{2}{3} =$  संख्या  
(कुल सदस्य संख्या  
के जाथी से अधिक है)

Note- महाभियोग

(तृतीय प्रकार का  
विशिष्ट बहुमत)

कुल सदस्य  $\times \frac{2}{3}$

# Rojgar with Ankit

Example - राज्यसभा

$$\text{कुल सदस्य संख्या} = 245$$

$$\text{उपस्थित} = 231$$


$$\text{मतदान} = 210$$

$$210 \times \frac{2}{3} = 140$$

$$\frac{245}{2} = 122.5 (\text{.5 से } +) \\ = 123 \text{ Vote}$$

$140 > 123$   
राज्यसभा से रूपीकृत  
लोकसभा


पद से द्वारा देगी।



52	भारत का एक राष्ट्रपति होगा
53	कार्यपालिका की सम्पूर्ण शक्ति राष्ट्रपति में निहित
54	राष्ट्रपति का निर्वाचित मण्डल
55	राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति
56	राष्ट्रपति का कार्यकाल
57	राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकता है
58	योग्यताएं
59	राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें
60	शपथ / प्रतिज्ञान
61	राष्ट्रपति पर महाभियोग
62	राष्ट्रपति के कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही अगले राष्ट्रपति का उच्ज्ञान
63	भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा
64	उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सम्भापति होता है
65	उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का निर्वाचन
66	उपराष्ट्रपति का निर्वाचन
67	उपराष्ट्रपति का कार्यकाल

# Rojgar with Ankit



६४	उपराष्ट्रपति की पदावधि समाप्त होने से पहले निर्वाचन
६९	उपराष्ट्रपति हारा 'शापण या उत्तिका'
७०	अब्द आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वाचन
७१	राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से सम्बन्धित विषय → निर्वाचन जनकी
७२	राष्ट्रपति की छावट की शाविति



राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन सम्बन्धित विषय का निपटारा-सुषिग्र कोट

अनुच्छेद-७३ संघ की कार्यपालिका शाविति का विस्तार

अनुच्छेद-७४ कार्यपालिका की समस्त शावितीयों का प्रयोग राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद् की सलाह पर करते हैं




## Rojgar with Ankit

75(1) - प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं।

लोकसभा में लहुमत दल का नेता है।

संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य है।




## Rojgar with Ankit

75(1) - पुष्टानंगमत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं।

लोकसभा में सदस्यता दल का नेता हो।

संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य हो।



- राज्यसभा के सभी सदस्य राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा नियुक्त होते हैं X (निर्वाचित होते हैं)
- राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा जो छि साहित्य, कला, विज्ञान एवं माजसेवा के क्षेत्र से आते हैं, नियुक्त, किये जाते हैं। मनोनित किये जाते हैं।
- भारत के पुष्टानंगमत्री बनाने के लिए लोकसभा का सदस्य होना आवश्यक है। X (दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो।)
- लोकसभा सदस्य को ही राष्ट्रपति मंत्री पद पर नियुक्त करते हैं। X (राज्यसभा / लोकसभा कोई भी)

75(2) — मंत्री राष्ट्रपति के प्राप्त पर्याप्त पद धारण करते हैं।

मंत्री की नियुक्ति - राष्ट्रपति (परागश्च - पुष्टानंगमत्री से लेगा और बाह्य है)

पदमुक्ति - राष्ट्रपति

संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन की सदस्यता एवं विवेकी शाविति से - मंत्री पद के लिए दोनों में से किसी एक सदन 6 महीने के भीतर की सदस्यता

## Rojgar with Ankit

75(3) - मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से लोकसभा के पाति उत्तरदायी होती है।

**मंत्रिपरिषद्** लोकसभा / राज्यसभा

Council of Minister

**कैबिनेट मंत्री**  
राज्यमंत्री  
उपमंत्री

आकार वज़

कैबिनेट मंत्री

1. सूखसे उच्च दर्जा प्राप्त मंत्री
2. वेतन / सुविधाएँ अन्य से अधिक
3. कार्यपालिका में मुख्य अधिक
4. रस्बसे गोपय

निमिला राजितारमण

**मंत्रीमंडल**

कैबिनेट मंत्री

कार्यपालिका से सम्बन्धित सभी  
महत्वपूर्ण निषेध लेती है

वित्त मंत्रालय (Finance Ministry)

राज्य मंत्री

उपमंत्री

1. कैबिनेट मंत्री से  
निचले दर्जे के मंत्री

अनुराग ठाकुर

निर्धारित

**नियुक्त (Appointed)** - शर्तों की पूरा किया है।

**मनोनीत (Nominated)** - कोई निर्धारित शर्त न है, योग्यता पूरी करता है।

**निर्वाचित (Elected)** -

# Rojgar with Ankit

महान्यायवादी (अनु०-७६)  
(Attorney General of India)

1. यह भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि परामर्शदाता होता है।
2. भारत सरकार का तकलील होता है।


योग्यताएँ — सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश चुने जाने की योग्यता स्फूट होती है।

नियुक्ति — राष्ट्रपति द्वारा

कार्यकाल — संविधान में इनके कार्यकाल के बीच में कोई उल्लेख नहीं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्याप्त पद धारण करते हैं।

पदमुक्ति — राष्ट्रपति

वेतन भर्ते — संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश के एमान वेतन



अनु० ४४ — संसद के दोनों सदनों में संदेश भेज सकता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में उपस्थित आवश्यक देसे सकता है।

मत (Vote) नहीं कर सकता है।

↓ संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है।

भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी न्यायिक क्षेत्र में अपना मामला प्रस्तुत कर सकते हैं।

# Rojgar with Ankit

(विटेन)

1. महान्यायपादी (AGI)

पद - विटेन

2. निम्न सदन - House of Commons  
का सदस्य दोगई

3. House of Commons में Vote लेने  
का अधिकार है।

4. विदेश सरकार का वकील

(भारत)

नहीं दोगई।

(कुप्रीम कोर्ट के बजे के समक्ष  
शोर्यतार)

वोट का Right नहीं है। क्योंकि यह  
किसी भी सदन का सदस्य नहीं है।  
भारत सरकार का वकील

अनु० ७७ — मानवीयों के बच्चे कार्यों का बढ़वारा राष्ट्रपति करते हैं।  
(वाद्यकारी प्रमर्श - PM)

कृषिनेटमंत्री  
राज्यमंत्री  
उपमंत्री

नियुक्ति-राष्ट्रपति [LS|RS]  
निधरिण - PM

संसद - डामितशाह - गृह मंत्री  
सासाद - राजनाथ - रक्षा मंत्री  
सासाद - निमिला सीतरगण - वित्त मंत्री

अनु० ७८ — पुष्टानमंत्री से अपेक्षा  
राष्ट्रपति को कार्यपालिका सम्बंधी कार्यों की जानकारी  
देते हैं।

# Rojgar with Ankit

संसद (Parliament)  
अनुच्छेद - ७९

संघ - २  
अंग - ३

मिले के रूपिधान से — उच्च सदन

निम्न सदन

राष्ट्रपति

1. संसदीय व्यवस्था
2. संसदीय विशेषाधिकार
3. द्विसदन वाद
  - (i) House of Lords
  - (ii) House of Commons

संसद (अनुच्छेद ७९)

उच्च सदन  
राज्यसभा


निम्न सदन  
लोकसभा

## राज्यसभा का गठन

1. भाजपा - रामलाल (विजयी)
2. कांगड़ा - पप्पू सिंह
3. आप - केजरीवाल
4. एपा - अमितजहांगढ़

बहुमत - कुल सीटों का ५०% + १  
२१० सीटें - भाजपा

BJP - २१०  
Cong. - ४०  
एपा - ७५  
लसपा - ३१  
आप - १  
अन्य -



जनता (मतदाता) १८+ आयु - मतदाता सूची में नाम

३१ सीटें = १ सदस्य राज्यसभा

संसद  
गठन - ७९

शिक्षित /  
गणमान्य व्यक्ति  
१२ सदस्य - साहित्य  
कला  
विज्ञान  
समाज सेवा


उच्च सदन  
राज्यसभा  
सितींग सदन  
अपृथक्ष सदन  
सदस्य - अपृथक्ष  
राज्यों का सदन

निम्न सदन  
लोकसभा  
पृथक्ष सदन  
जनता द्वारा पृथक्ष निर्वाचित  
जनता का सदन


सामाजिक व्यवस्था  
धर्म सदस्य

# Rojgar with Ankit

## राज्यसभा संख्या ८०



## लोकसभा संख्या ८१



NCT Delhi - विधानमंडल - ६९वाँ संविधान संशोधन १९९२  
NCT Delhi - ⑦

पुढ़ुचरी - विधानमंडल - १५वाँ संविधान संशोधन १९६२ - ①

अष्टमान एवं निकोबार - ①

लक्ष्मीप - ①

जम्मू कश्मीर - ५ विधानमंडल

लद्दाख - ①

चट्टिगढ़ - ①

द्वंगवील + दादर नागर इतेली - २

Art-331 राष्ट्रपति द्वारा

# Rojgar with Ankit

अनुच्छेद-४२ प्रत्येक जनगणना के बाद सीटी का पुनः समायोजन (क्योंकि सीटी का निष्ठारित जनसंख्या के आधार पर होता है) ८५वाँ राजिकाल संशोधन २००२-१९७१ की जनगणना के आधार पर नहीं जनसंख्या नीति २००० के तहत २०२६ तक सीटी की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

परिस्थिति आयोग के माध्यम से


अनुच्छेद-४३ सदनों की अवधि

(गठन-१३ May 1952) लोकसभा  
अस्थाई सदन  
विधानित | भाँग किया जा सकता है  
कार्यकाल = ५ वर्ष  
सदस्य = ५ वर्ष

लोकसभा के पुथम आम चुनाव  
(२५ Oct 1951 - २१ फरवरी १९५२)

राज्यसभा (गठन- १३ May 1952)  
स्थायी सदन  
विधानित | भाँग नहीं किया जा  
सकता है  
कार्यकाल नहीं है  
सदस्य = ६ वर्ष

$\frac{1}{3}$  सदस्य प्रति २ वर्ष बाद  
अवकाश घटाण करते हैं।



# Rojgar with Ankit

राज्यसभा सदस्य = 245

243  
३

(1952)  
४२ सदस्य

a.

(1954)

४२ सदस्य

B

(1956)

४२ सदस्य

x

(1958)

४१ सदस्य

कार्यकाल - ६ वर्ष  
अवकाश प्रदान करेगे

(1960)

b  
कार्यकाल - ६ वर्ष

अवकाश प्रदान करते हैं।

(1962)

कार्यकाल - ६ वर्ष

अवकाश प्रदान करते हैं।

(a) (1964) (b)  
6

(b) (1966) (c)  
6 24

(c) (1968) (d)  
6 21

अनुच्छेद- ८५ संसद के सदस्यों की शीघ्रताएँ

① लोकसभा

25 वर्ष की आयु

राज्यसभा

30 वर्ष की आयु

② वह भारत का नागरिक ही।

③ संघ | राज्य | स्थानीय प्राधिकरण में कोई लाभ का पद धारण न करता ही।

④ मानसिक विकृति | दिवालिया न ही।

⑤ किसी गंभीर अपराध में सलायाप्ता न ही।

⑥ पुनाव सम्बन्धी किसी अपराध के कारण पुने जीने के अधिकार से बंचित न किया गया ही।

## Rojgar with Ankit

अनुच्छेद-४५ सत्र, सत्रावसान रुवं विधिटन


सत्र - संसद के दो सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक का अन्तराल नहीं होना चाहिए।

अथात् 1 तर्फ़ में न्यूनतम् 2 सत्र होने चाहिए

बजट सत्र

मानसून सत्र

शतिकालीन सत्र



कार्यवाही प्रारम्भ - आदृत करना }  
कार्यवाही समाप्त - सत्रावसान } राष्ट्रपति

↓ रुक्त की समाप्ति की घोषणा

पुश्च बैठक — सत्र — — — आंतिम बैठक — दीर्घविकाश — — — पुश्च बैठक  
कार्यवाही प्रारम्भ — कार्यवाही समाप्त — कार्यवाही प्रारम्भ  
9 Dec 2023 2 Mar 2024 → परिसान अधिकारी

स्थगन (Adjournment) — लोकसभा कार्यवाही चल रही है |  
विधायक पर चर्चा | शून्यकाल | प्रश्नकाल

माननीय संसद ① दंगा | गैर अनुशोधनात्मक कृत्य

② राष्ट्रीय महल का विषय चर्चा होना आवश्यक है।

सदन की नियमित कार्यवाही पर रीक

विधिटन / भौंग — कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही उसी भौंग कर देना।

↓ लोकसभा  
राज्यासभा का नहीं होता है।

भौंग की घोषणा — राष्ट्रपति

मंत्री - योगपत्र - राष्ट्रपति

PM - योगपत्र - राष्ट्रपति

सम्पूर्ण मंत्रीपरिषद् भौंग  
सरकार / कार्यपालिका

## Rojgar with Ankit

अनुच्छेद-४६ राष्ट्रपति दोनों ही सदनों में संदेश और भाषण दिने का अधिकार है।

अनुच्छेद-४७ राष्ट्रपति का विशेष आवश्यकाधन - दोनों सदन एक साथ लेंठते हैं।

1. जहाँ लोकसभा गठित होती है।
2. प्रत्येक नव वर्ष के बाद जब भी दोनों सदन आरम्भ हो।

अनुच्छेद-४८ सदनों में मोतियों रखने वालों द्वारा आधिकार

# Rojgar with Ankit

147

## संसद के अधिकारी

अनुच्छेद-८९ राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति

अनुच्छेद-९० उपसभापति का पद रित होना, पदलाभ एवं पद से हटाया जाना।

अनुच्छेद-९१ सभापति के पद एवं कर्तव्यों का पालन उपसभापति या अन्य के हारा किया जाये।

अनुच्छेद-९२ जब सभापति एवं उपसभापति की पद से हटाये जाने का सम्बल्प विचाराधीन हो तब उनका पठासीन न होना।

अनुच्छेद-९३ लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष

अनुच्छेद-९४ लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष-पद रित होना, पदलाभ या पद से हटाया जाना।

अनुच्छेद-९५ अध्यक्ष के पद एवं कर्तव्यों का पालन उपाध्यक्ष या अन्य हारा

अनुच्छेद-९६ जब अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की पद से हटाये जाने का सम्बल्प विचाराधीन हो, तब उनका पठासीन न होना।

पुमाली बहुमत - कुल न पदाधिकारियों की प्रभावी बहुमत से हटाया जाता है।

पुमाली बहुमत - कुल सदस्य संख्या - रिवितियों का बहुमत

Ex - राज्यसभा = 250 (कुल सदस्य संख्या)

उनुपस्थित - उनके पद रित नहीं माने जाते ७४।

• रिवितियाँ 5 व्यागपत्र

2 मृत्यु

3 निवाचिन रद्द


2 सदस्यता खत्म

# Rojgar with Ankit

148

वर्तमान रुपा = 245 शिवितियाँ = 12

233 का बहुमत  $\frac{233+1}{2} =$



अनु० ४७ राज्यसभा < सभापति  
उपसभापति

- 64 - उपराष्ट्रपति राज्यसभा का एक दिन सभापति होता है।
- वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है।  $\Rightarrow$  संकल्प - 15 दिन पहले
  - लोट डालने का अधिकार नहीं होता है।  $\Rightarrow$  राज्यसभा में एक पुष्टि
  - नियांयिक वीट दे सकता है।  $\Rightarrow$  कुल सदस्य =  $\frac{1}{4}$  उपस्थित, मतदान
  - स्वयं की उसके पद से हवाये जाने का संकल्प हो तो वह वीट दे सकता है।

उपसभापति — राज्यसभा के सदस्यों के मध्य से चुना जाता है।  
कार्यकाल - 6 वर्ष  
त्यागपत्र - सभापति

पुश्चावी बहुमत द्वारा उसके पद से हवाया जाता है।

नई लोकसभा गठन पहली बैठक के उपरान्त धराशाही - अपने मध्य से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं।

चुनी गयी स्पीकर - Appointed by President

↓ पहली बैठक की अध्यक्षता और सदस्यों की पद ए गीपीनयता की स्थपथ की दिलाना।

# Rojgar with Ankit

पीठासीन अधिकारी → उस सदन की बैठकों का संचालन करता है।

→ सदन में अनुशासन तथा रखता है।

→ सदस्यों की आपना गत पुस्तुत नुसीने का अधिकार


→ सदस्यों के विवरण अनुशासनात्मक कार्यवाही भी कर सकता है।

→ दक्षिणी दीप्ति में बैठक व्यापति की अनुशासन में रहने के।

बैठने के लिए बील सकते हैं।

→ कार्ड भी सदस्य यदि 60 दिनों तक लगातार बिना रुचित किये अनुपस्थित है, तो उसकी सदस्यता भी रद्द कर सकते हैं।

अनुदेद-97 संसद के अधिकारी



अनुदेद-98 संसद का सचिवालय


(99-100) कार्यसंचालन

अनुदेद-99- सदस्यों के सारा ली जाने वाली शपथ एवं प्रतिक्रिया

अनुदेद-100 सदनों में मतदान

रिप्रेटेंटों के बावजूद भी सदनों के कार्य करने की शाविते।

गणपूर्ति (Quorum) —



अनुदेद-101-104) सदस्यों की नियमितता

अनुदेद-101

संघनी का नियमित होना।

योग्यता  
मूल्य  
निवाचन

सदस्यता समाप्त  
रद्द

# Rojgar with Ankit

अनुच्छेद-102 नियोगियतारे

1. वह पागल अप्पता दिलिया न है।
2. किसी गंभीर अपराध में खजायापता न है।
3. -पुनाव सम्बन्धी किसी अपराध के कारण -कुनौ जाने के मुद्दिकार से लंचित न किया गया है।

अनुच्छेद-103 नियोगियताओं से सम्बन्धित विषयों पर विनिश्चय

104

अनुच्छेद ११ के अधिनि शपथ न लेते हुए और शोग्य न होते हुए भी एक्साम में उपस्थित होने। आग लेने। मतवारने का अधिकार

### अनुच्छेद (105-106) सांसदी का विशेषाधिकार

अनु० 105 — सांसद - सदन - बात → मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।  
उनके विरुद्ध  
में ↓ की आधार बनाकर

सांसद के विरुद्ध यदि दिवानी मुकदमा चल रहा है। तो गिरफ्तारी - सब के प्रारम्भ होने के ५० दिन पहले तथा सब के समाप्ति होने के ५० दिन बाद तक गिरफ्तारी नहीं हो सकती।

यदि कौजावारी मामले में गिरफ्तारी होनी है - और सब नहीं चल रहा तो गिरफ्तारी ही जायेगी।

और यदि सब चल रहा है तो पुलिस की पीठासीन अधिकारी से अनुमति लेनी होगी।

अनु० 106 — सांसदी के किन एवं भौति

भाग - 5 संघ (52-151)

- कार्यपालिका (52-73)
- विद्यायिका (79-122)
- राष्ट्रपति की विद्यायी शावित्रियाँ (123)
- रुपग्रह की (124-147)
- CAG (148-151)

# Rojgar with Ankit

अनुच्छेद-106 सांसदी के लिए रूप्त भवते

अनुच्छेद - (107-111) विद्यायी प्रक्रिया

अनुच्छेद (112-117) वित्तीय मामलों से साबण्डित प्रक्रिया

अनुच्छेद (118-122) साधारण प्रक्रिया


अनु. 110 - धन विधीयक

अनु. 117 - वित्त विधीयक

अनु. 112 - वाधिक वित्तीय विवरण

## साधारण विधीयक

राज्यसभा या लोकसभा किसी में भी पहले लाया जा सकता है।  
साधारण लक्ष्यमत



राज्यसभा / लोकसभा - 1. पारित  
2. पुर्णविचार  
3. आधिकतम 6 महीने तक रोक सकता है।  
यदि 6 महीने के लिए रोक दिया तो संयुक्त अधिवेशन (अनु. 108) के तहत, अध्यक्षता - लोकसभा अध्यक्ष

## धन विधीयक (अनु. 110)

लोकसभा में सबसे पहले लाया जायेगा - राब्दपति की पूर्वस्तिकृति धन विधीयक है या नहीं पुमाणित - लोकसभा अध्यक्ष साधारण लक्ष्यमत

राज्यसभा - 1. पारित  
2. पुर्णविचार  
3. आधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है।  
इसके लिए संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है।

## वित्त विधीयक (अनु. 117)

लोकसभा में सबसे पहले लाया जायेगा।

साधारण लक्ष्यमत

# Rojgar with Ankit

राज्यसभा - 1. पारित

2. पूर्णविचार

3. 75 दिनों तक रोक सकती है।

इस पर संयुक्त अधिवेशन नहीं है।

राष्ट्रपति - एकीकृति

## एविशान संशोधन विधीयक

लोकसभा | राज्यसभा दोनों में से भी किसी भी सदन में सबसे पहले लाया जा सकता है।

राष्ट्रपति - एकीकृति देने के लिए बाह्य

लोकसभा | राज्यसभा — 1. पारित

2. पूर्णविचार

3. संयुक्त अधिवेशन नहीं

प्रथम प्रकार का विशेष बद्धमत

## सदन की कार्यवाही

लोकसभा } 11: AM — 12 PM — प्रश्न काल  
राज्यसभा } 20 तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

तारांकित प्रश्न — 230 अतारांकित प्रश्न

Note - राज्यसभा में एक सासंद आधिकातम 3 प्रश्न पूछ सकता है। जबकि लोकसभा में एक सासंद केवल 1 प्रश्न पूछ सकता है। राज्यसभा में प्रतिदिन 15 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जबकि लोकसभा में प्रतिदिन 20 प्रश्न पूछे सकते हैं।

अतारांकित प्रश्न — लोकसभा में एक सदस्य 5 प्रश्न पूछ सकता है। कुल 230 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। राज्यसभा में सदस्य कितने भी प्रश्न पूछ सकता है। और आधिकातम 160 प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

12 pm — 1 pm शून्यकाल

1 pm — 2 pm Lunch

विधायी कार्य 6 PM लोकसभा

5 PM राज्यसभा

# Rojgar with Ankit

अनुच्छेद-123 राष्ट्रपति की विद्यायी शक्तियाँ

↓ अध्यादेश जारी करने का अधिकार (विशेष अवस्था में)

- संसद का कोई भी एक सदन सत्र में नहीं है।
- राष्ट्रगद्वल का विषय पर कानून आठूँगाक है।

अध्यादेश जारी करके कानून बनाने का अधिकार है।

अगर लोकसभा भंग है तो 6 महीने के अतिर राज सत्र में उम्मेजा।  
(म्योकि 2 सत्र के बीच 6 महीने से अधिक का अन्तराल नहीं होना चाहिए।)

लोकसभा भंग - 6 महीने के अतिर घुटाव

अध्यादेश - Maximum कब तक संसद की स्वीकृति के बिना कानून बना रखना क्षमता है। 6 महीने +

संसद के दोनों सत्र सदन में उगा जाते हैं।

+ 6 सप्ताह के अतिर दोनों सदनों की स्वीकृति

6 महीने + 6 सप्ताह

राष्ट्रपति की शक्तियाँ —

- कार्यपालिका सम्बद्धी
- विद्यायी शक्तियाँ
- न्याय सम्बद्धी शक्तियाँ
- वित्तीय शक्तियाँ
- व्यापार सम्बद्धी शक्तियाँ
- उपातकालीन शक्तियाँ

कार्यपालिका सम्बद्धी शक्तियाँ — शासन करने से सम्बद्धित शक्तियाँ

# Rojgar with Ankit

155

53 — कार्यपालिका की समस्त शावित्रीं राष्ट्रपति में निहित होगी। जिनका प्रयोग या तो वह स्वयं करेगा या अपने अधीनिस्थीं के द्वारा करेगा।

54 — राष्ट्रपति कार्यपालिका संघबंधी सभी आनियों का प्रयोग मंत्री परिषद् के सलाह पर करता है।

राष्ट्रपति मंत्री परिषद् की रालाह मानवों की वाद्य है ?

42 वाँ संविधान संशोधन 1976  
YES

44 वाँ संविधान संशोधन 1978  
पुनर्विचार | छठीय मात्रा - YES

77 — मंत्रियों के बच्चे कायी का बटवारा राष्ट्रपति करते हैं।

78 — प्रधानमंत्री से अपेक्षा की जाती है कि वह कार्यपालिका संघबंधी सभी किया कलापों से समय -2 पर राष्ट्रपति को अवगत कराए। संत राष्ट्रपति किसी मंत्री द्वारा पूछे गये प्रश्न का जवाब उससे संबंधित मात्रे से देने के लिए आवश्यक नह रखते हैं।

75(1) — प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं।

75(2) — मंत्री राष्ट्रपति के उसादपर्यन्त पद धारण करते हैं।

राष्ट्रपति की नियुक्तियाँ संबंधी अधिकार भी प्राप्त हैं

- |   |   |
|---|---|
| 1. प्रधानमंत्री                         | 9. गुरुज्यो निर्वाचित आयुक्त व डॉन्य चुनाव आयुक्त |
| 2. मंत्री                               | 10. विदेशी में राजदूतों की नियुक्ति               |
| 3. महान्यायवादी                         | 11. राज्य में राष्ट्रपाली की नियुक्ति             |
| 4. CAG                                  |   |
| 5. Supreme Court और High Court के judge |   |
| 6. संघ लोक सेवा   संयुक्त लोक सेवा आयोग |   |
| 7. भाषा आयोग                            |   |
| 8. वित्त आयोग                           |   |

# Rojgar with Ankit

79 — राज्यपति संसद का आगिना अंग है।

कोई भी विधीयक राज्यपति की रक्षिता के लिए कानून नहीं बन सकता।

85 — सत्र, सत्रावसान एवं विदेश की शिखणा राज्यपति करते हैं।

कुछ विशेष प्रकार के विधीयकों की प्रस्तुत करने से पूर्व राज्यपति की पूर्व रक्षिता अवश्यक होती है।

78 — नए राज्यों का निर्गमन

तर्मान राज्यों की स्थिति आदि में पारित्यन

86 — राज्यपति की सदनों में संदेश देने या भेजने एवं आषण देने का अधिकार

87 — राज्यपति का विशेष आजिमाधन

81(1) — राज्यपति राज्यसभा में 12 सदस्यों की चुनी नियमित करते हैं।

- व्याहित्य
- कला
- विद्यान्
- समाजसेवा

123 — राज्यपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है।

## रौप्य शक्तियाँ (Military Power)

- राज्यपति तीनों सेनाओं का सर्वीच्छ सेनापति है।
- युद्ध एवं शाति की शिखणा का अधिकार
- रक्षाबलों की विनियोजित करने का अधिकार
- 114(3) — राज्यपति विधि के प्राधिकार के लिए रेसा कुछ नहीं कर सकता जिसमें धन-व्यय होता है।

## वित्तीय शक्तियाँ (Financial Power)

112 — लोकसभा में वित्त मंत्री के माझ्यक से बजट प्रस्तुत करते हैं।

110 — धन विधीयक पर अपनी पूर्व रक्षिता देते हैं।

# Rojgar with Ankit

157

CAG तथा वित्त अधिकारी दोनों जापनी लाइंसिंग रिपोर्ट राष्ट्रपति के माध्यम से संसद में प्रस्तुत करते हैं।

267 — डाकसिग्नल गिरी पर राष्ट्रपति का ही नियन्त्रण होता है।

## न्यायिक शक्तियाँ (Judicial Power)

राष्ट्रपति — सुभिम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति

72 — राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति भी प्राप्त है।

## आपातकालीन शक्तियाँ (Emergency Power)

1. 352 — मुद्द, बाह्य न्याकमण एवं सशस्त्र विभीषि के माध्यम पर  
आपात की उद्घोषणा करते हैं।  
राष्ट्रीय आपात - समूर्ण भारत के राज्य क्षेत्र में / किसी एक क्षेत्र  
आंतरिक अव्याप्ति → सशस्त्र विभीषि को  
प५ वाँ संविधान योशीधन १९७८ से शामिल

2. 356 — संवैधानिक तंत्र के विफल होने के माध्यम पर  
उद्घोषणा  
राष्ट्रपति शासन

3. 360 — वित्तीय संकट के संग्रह राष्ट्रपति के द्वारा  
वित्तीय आपात काल

राष्ट्रीय आपात — 3 बार { 1962 - इण्डी-चीन मुद्द  
1971 - इण्डी पाक मुद्द  
1975 - आंतरिक अव्याप्ति

राष्ट्रपति शासन — सबसे पहले - पंजाब — भारत सरकार के विरुद्ध  
सर्वाधिक - उत्तर उपदेश  
सबसे लम्बे समय तक - अम्मू कश्मीर

# Rojgar with Ankit

स्वितरी की शक्ति — 1. जब लोकसभा में किसी भी राजनीतिक दल की स्पष्ट बहुमत न हो तब उस स्वितरी की शक्ति प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी राजनीतिक दल के नेता की प्रशान्नता नियुक्त करके अपना बहुमत स्थिर करने के लिए लोल सकते हैं।

2. बहुमत दल का नेता ने ही परामर्श संसद के दोनों सदनों में से किसी की सदस्यता नहीं है। प्रशान्नता = 6 महीने

## अनुच्छेद - 358

352 - आपात की उपचाधिका

356

360

359 लागू हुआ तो — राष्ट्रपति किस-किस मौलिक अधिकार को निलम्बित कर सकते हैं  
20/21 को छोड़कर

358 लागू — एकी मौलिक अधिकार  
स्वतः निलम्बित

अनुच्छेद - 20/21 को छोड़कर  
पूर्वां संविधान संशोधन से यह प्राविधान शामिल किया गया है

## भारत का नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)

भाग - 5 अनुच्छेद (140-151)

“डॉ. अमिराव डमोइकर जी ने CAG की संविधान में सबसे महत्व का अधिकारी बताया है क्योंकि वह सार्वजनिक धन का रक्षक है”

## योग्यता

अनुच्छेद 148 — भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक योग्यता — संविधान में इनकी योग्यता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।

## नियुक्ति — राष्ट्रपति द्वारा

(राष्ट्रपति के पुस्तक पर्याप्त पद धारण नहीं करते)

# Rojgar with Ankit

**कार्यकाल** — 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरा हो।

**त्योगपत्र** — राज्यपत्र

कार्यकाल की समाप्ति से पहले होता है — साबित कदाचार  
असमर्थता

ठीक उसी प्रकार की पुष्टिया से होया जायेगा और सुधार कीट।  
इसकीट के जज की भाँति

आधार - साबित कदाचार एवं असमर्थता

15/RS — संकल्प प्रस्ताव

स्विचना - 14 दिन पहले

ध्र. — सर्वप्रथम लोकसभा —  $\frac{1}{4}$  गठबांध संकल्पित RS —  $\frac{1}{4}$  गठबांध संकल्पित  
जाँच समिति — 2 SC के जज  
1 HC के जज

धारोप में सच्चाई तो यह प्रस्ताव उसी संघ में जार्हा विलम्ब  
आया था।

अस्थित और मतदान के  $\frac{2}{3}$  सदस्य — दोनों सदनों के  
अब राज्यपत्र के पास जायेगा — Removal.

अनुच्छेद - 149 — अधिकार एवं कर्तव्य

बजट (वित्तीय वर्ष) — मंत्रालय

विशाग

वित्त (कार्ड) — मार्यिक स्तर पर  
सुमिक्षा

- कितना
- किसीं
- आधिकारी
- क्या
- आय = ?

केन्द्र सरकार      राज्य सरकार  
 ↘ मंत्रालय ↘  
 वित्त मंत्रालय ]  
 परिवहन मंत्रालय ]  
 शिक्षा मंत्रालय ]  
 ग्राम मंत्रालय ]

a  
b  
c  
d

# Rojgar with Ankit

## संवैधानिक विकास

- |   |   |
|---|---|
| 1. 1773 का रेग्युलरिंग एक्ट<br>2. 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम<br>(एवत ऑफ सेलमेंट)<br>Bengal judiciary Act<br>3. पिटस का 1784 का हिंदि एवत<br>4. 1786 का संशोधनात्मक अधिनियम | शिंद्हा इस्ट इंडिया कम्पनी पर<br>शिंद्हा सरकार का नियन्त्रण स्थापित<br>करना।<br>कम्पनी की खराब होती आधिक<br>स्थिति को सुधारने हेतु कदम उठाना। |
|---|---|

### 1786 का संशोधनात्मक अधिनियम —

कारण क्रान्ति के रेग्युलरिंग एवत की कमियों को दूर करने के लिए

- ② कम्पनी में पुष्टासनिक उस्तुविधा व्याप्त है, उसे दूर करने के लिए
- ③ कम्पनी की स्थिति में अभी तक कोई वास्तविक सुधार  
नहीं आया था।

④ कार्नवालिस की बंगाल का गवर्नर जनरल बनाकर भारत जैने हेतु,  
यह संशोधन अधिनियम पारित किया गया।

प्रावधान — ① विशेष अवस्था में कार्नवालिस की अपनी परिषद्  
के नियम को रद्द करने का माधिकार मिला। यह एक  
विशेष अधिकार था जिसे VETO कहा गया।

② बंगाल के गवर्नर जनरल के साथ-2 उसे मुख्य सेनापति का  
पद भी मिला।

### वाटर एवत —

1793	} अधिकारपत्र
1813	
1833	
1853	

1793 का वाटर एवत — शिंद्हा सरकार द्वारा शिंद्हा इस्ट इंडिया  
कम्पनी की उगले 20 वर्षी तक के लिए  
भारत में व्यापार करने का अधिकार!


## Rojgar with Ankit

- ② कानूनिक दिया गया वीटी पालर आगे बढ़े गवर्नर जनरल + मङ्गस त वर्कर उर्फ़ि रोड़ेरी के गवर्नरें को भी दिया गया।
- ③ बोर्ड ऑफ़ कंट्रील के राशी सदस्यों का तेज़ अब भारतीय राजकीय से दिया जायेगा (१९११ के ग्रासन अधि. तक)
- ④ ५०० एक्ट एस्टलिंग से आणि तेज़ ताले घड़ों पर केवल अनुचंडित स्पिल सर्वेट ही नियुत किये जायेंगे।

## सुप्रीम कोर्ट, भाग-5, अध्याय-4

अनुदेव (124-147)

### Government (शासन)



### अनुदेव-124 सुप्रीम कोर्ट का गठन

व्यवस्था (Qualification)— 1. वह भारत का नागरिक हो।  
2. किसी भी High Court में लगातार 5 वर्षों तक जज रहा हो।  
OR

किसी भी High Court में लगातार 10 वर्षों तक Advocate रहा हो।  
OR

राष्ट्रपति की नजरीं में पारंगत विधिवेत्ता हो।

नियुक्ति (Appointment)— मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं।

अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करते हैं।  
कोलंजियम पुणाली के आधार—नियुक्ति

# Rojgar with Ankit

163

कार्यकाल — 65 वर्ष की आयु, तक अपने पद पर बना रहेगा।  
 ↓                                  ↓  
 मुख्य न्यायाधीश      अन्य न्यायाधीश

त्यागपत्र — वह नहीं हो सकते हैं पहले भी अपना पद त्याग  
 राष्ट्रपति की देना होगा।

Note — पद रखने वाले शिक्षियता की शपथ - राष्ट्रपति

पद से हटाया जाना — आधार- साहित कदाचार,  
 असमर्थता

संकल्प - लोकसभा / राज्यसभा  
 सुनना - 14 दिन पहले

प्रस्ताव पद उस सदन की कुल संख्या  $\times \frac{1}{4}$  की Voting.  
 1 दोनों सदनों से पास

जांच समिति - 2SC के Judge, IHC का जज

सच्चाई पाने पर जांच समिति further proceed कर देती है।

दोनों सदनों के उपस्थित और मतदान सदस्य का  $2/3$  घटुमत  
 राष्ट्रपति - Sign.

अनुच्छेद-125 न्यायाधीशों के वेतन, भता, पेशान

मुख्य न्यायाधीश = 2.80 L रु. / मासिक

अन्य न्यायाधीश = 2.50 L रु. / मासिक

वेतन, भता, पेशान = भारत की संघित निधि पर भारित है।  
 इनके कार्यकाल के पाराने उसमें कोई कठोरी नहीं जारी की जाएगी।

अनुच्छेद-126 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश (ECJ) - राष्ट्रपति हारा

समकक्ष योग्यता और मुख्य न्यायाधीश समान आधिकार

अनुच्छेद-127 तदर्थ न्यायाधीश

# Rojgar with Ankit

164

अनु० 126 कार्यकारी गुण - यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं

अनु० 127 तदर्श - यायाधीशों की नियुक्ति का प्रवाहान

यायाधीश के राजकक्ष योग्यता

नियुक्ति - गुण्य यायाधीश (राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति)

अनु० 128 सुषुप्ति कोर्ट यायाधीशों की उपरिक्ति (सुषुप्ति कोर्ट की कार्यपुणाली में)

नियुक्ति - गुण्य यायाधीश (राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति)

अनु० 129 सुषुप्ति कोर्ट का आधिकार यायालय होना।

↓ कार्यपुणाली (काद किस)

आधिकार - As a Record संरक्षित रख सकती है।

अनु० 130 सुषुप्ति कोर्ट का स्थान

अनु० 131(क) निरसित

SC

अनु० 132 आधिकारिता HC 1. दीवानी  
2. कींजदारी

अनु० 133 स्पिविल ग्रामलौं में अपील

अनु० 134 अपील के लिए प्रमाण पत्र

अनु० 135 सुषुप्ति कोर्ट का फ़ैडरल यायालय होना (रेंटीव यायालय)  
केंद्र व राज्यों के बीच होनी लाले Dispute

अनु० 136 अपील के लिए विशेष इजाजत

अनु० 137 आदेशी | फैसलों का पुनर्विलोकन

अनु० 138 सुषुप्ति कोर्ट की आधिकारिता में वृद्धि

अनु० 139 कुद याचिका | रिट निकालने ली Supreme Court की शक्ति

# Rojgar with Ankit

अनु० १५० सुणि कोट की आनुषांसिक शावित्र्याँ

अनु० १५३ सुणि कोट से सलाह लेने की राष्ट्रपति की शक्ति

१. संविधान पूर्व  $\rightarrow$  SC  $\rightarrow$  बाध्य है।

२. संविधान पश्चात्  $\rightarrow$  SC  $\rightarrow$  बाध्य नहीं है।

राष्ट्रपति - SC की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है।

# Rojgar with Ankit

166

राज्य

वर्तमान में High Court की संख्या = 25

1. बांग्ला High Court      स्थापना = 1862  
मुख्यपीठ = मुमर्द  
विचार = पटाखी, ओरंगाबाद नागपुर  
Jurisdiction - गोवा, महाराष्ट्र, दादरा नगर हवेली, दमन दीत
2. कलकत्ता हाईकोर्ट      स्थापना - 1862  
मुख्यपीठ - कलकत्ता प्रॉटेल्स्टर  
विचार - अडमान संविधान सभा, कलकत्ता  
Jurisdiction - अडमान संविधान सभा, कलकत्ता
3. मद्रास हाईकोर्ट      स्थापना - 1862  
मुख्यपीठ - चென्ऩई  
विचार - मदुरई  
Jurisdiction - पुதுचेरी तमில்நாடு
4. इलाहाबाद हाईकोर्ट      स्थापना - 1866  
मुख्यपीठ - पुयागराम  
विचार - लखनऊ  
Jurisdiction - उत्तर प्रदेश
5. कर्नाटक हाईकोर्ट      स्थापना - 1884  
मुख्यपीठ - बंगलुरु  
विचार - धारवाड, गुलबग्हाँ  
Jurisdiction - कर्नाटक
6. पटना हाईकोर्ट - स्थापना - 1916  
मुख्यपीठ - पटना  
Jurisdiction - बिहार

## Rojgar with Ankit

7. गुजराती ईर्कोटि स्थापना - 1948  
 मुख्यपीठ - गुजराती  
 बंच - कोहिमा, आसौल, हिटानगर, असग  
 नागालैण्ड, गिजीरग, अखण्डाचल पुद्दी
8. उड़रिया स्थापना - 1949  
 मुख्य परिवर्तन - कटक  
 उड़रिया
9. राजस्थान ईर्कोटि स्थापना - 1949  
 मुख्यपीठ - जोधपुर  
 बंच - जयपुर राजस्थान
10. मध्यप्रदेश ईर्कोटि स्थापना - 1956  
 Seat - गोबलपुर  
 बंच - गतालियर नवदीर  
 Jurisdiction - मध्यप्रदेश
11. केरल ईर्कोटि स्थापना - 1958  
 Seat - एनकुलम  
 बंच - कवारती  
 Jurisdiction - केरल, कक्षीय
12. गुजरात ईर्कोटि स्थापना - 1960  
 Seat - अदमदाबाद गुजरात
13. दिल्ली ईर्कोटि - स्थापना - 1966  
 Seat - दिल्ली
14. हिमाचल ईर्कोटि स्थापना - 1971  
 Seat - शिमला  
 हिमाचल

# Rojgar with Ankit

168

15. पंजाब एवं हरियाणा High Court — स्थापना - 1975

Seat - चंडीगढ़

Jurisdiction- हरियाणा, पंजाब - चंडीगढ़

	High Court	स्थापना	Seat	Bench	Jurisdiction
16.	सिक्किम	1975	गंगटोल	—	सिक्किम
17.	दूर्दिसिंगढ़	2000	बिलरापुर	—	दूर्दिसिंगढ़
18.	उत्तराखण्ड	2000	नौनीताल	—	उत्तराखण्ड
19.	झारखण्ड	2000	राँची	—	झारखण्ड
20.	त्रिपुरा	2013	ओगरतला	—	त्रिपुरा
21.	मेघालय	2013	शिलांग	—	मेघालय
22.	तेलंगाना	2019	హైదరాబాద	—	तेलंगाना
23.	मणिपुर	2013	इम्फाल	—	मणिपुर
24.	जम्मू कश्मीर	2019	जम्मू कश्मीर लद्दाख	—	जम्मू कश्मीर
25.	आन्ध्रप्रदेश	2019	अमरावती	—	आन्ध्रप्रदेश

## राज्य

शाग-6 अनुच्छेद (152-237)

- साधारण (152)
- कार्यपालिका (153-167)
- राजा का विद्वानमण्डल (168-212)
- राज्यपाल की विद्यायी शान्तियाँ (213)
- उच्च न्यायालय (214-232)
- अधीनिस्थ न्यायालय (233-237)

### कार्यपालिका (153-167) -

अनुच्छेद-153 राज्यों के राज्यपाल  
(प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा)

अनुच्छेद-154 राज्य की समस्त कार्यपालिका सम्बद्धी शाविति राज्यपाल में निहित होगी, जिनका प्रयोग या तो वह स्वयं करेगा या अपने अधीनिस्थीं द्वारा करेगा।

अनुच्छेद-155 राज्यपाल की नियुक्ति - राष्ट्रपति द्वारा

अनुच्छेद-156 राज्यपाल का कार्यकाल  
वह पदगृहण की तरीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद पर बना रहेगा। ऐसमें से पहली भी अपना पद ध्याग सकता है।

ध्यागपत्र - राष्ट्रपति की उस्ताद्दर सहित लेख द्वारा

पदच्युति - राष्ट्रपति

अनुच्छेद-157 राज्यपाल की योग्यताएँ

1. वह भारत का नागरिक हो।
2. वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।

अनुच्छेद - 158 राज्यपाल पद के लिए शर्तें

1. राज्य विद्यानगर्डल का सदस्य चुने जाने की क्षमता
2. लेन्ड सरकार | राज्य सरकार | सशानीय प्राधिकरण के मध्ये न कोई भाग का पद धारणा न करता है।

अनुच्छेद - 159 राज्यपाल के छारा ली जाने वाली शपथ एवं प्रतिशान  
उच्च न्यायालय - मुख्य न्यायाधीश  
↓ वरिष्ठतम् न्यायाधीश

अनुच्छेद - 160 कुछ आकर्मिकताओं में राज्यपाल के पद एवं कर्तव्यों का निर्वहन

अनुच्छेद - 161 क्षमादान (राज्यपाल)  
की शक्ति — निलंबन  
परिहार  
लघुकरण

मृत्युदण्ड की माफ X

अनुच्छेद - 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार

अनुच्छेद - 163 राज्यपाल की सलाह देने के लिए एक मन्त्रिपरिषद् होगी, जिसका मुख्यमंत्री होगा।

अनुच्छेद - 164 मंत्रियों के बीच में अन्य उपकन्ध

अनुच्छेद - 165 राज्य का महाधिकर्ता (Advocate General of State)  
राज्य का प्रथम विधि परामर्शदाता एवं तकील होता है  
सरकार

योग्यता - उच्च न्यायालय का न्यायाधीश चुने जाने की योग्यता रखता है।

कार्यकाल - राज्यपाल के प्रसादपूर्ण पद धारणा करता है

नियुक्ति - राज्यपाल

वेतन निश्चित नहीं है (एडिक्ट के बजे के समान वेतन मिलता है)

अनुच्छेद-164(1) मुख्यमंत्री की नियुक्ति - राज्यपाल


अनुच्छेद-164(2) मंत्री राज्यपाल के पुसाद पर्वत पद धारणा करते हैं।

अनुच्छेद-164(3) मंत्री परिषिद्ध सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी


अनुच्छेद-166 राज्य की सरकार का कार्यसंचालन

अनुच्छेद-167 ~~संघनीय गैंग महाशिवरात्रि जांग मंत्रियों के अधिकार~~  
मुख्यमंत्री के कर्तव्य राज्यपाल को समय -2 कार्यपालिका सम्बन्धी पुँजी की जानकारी देते रहे।


## राज्य का विधानमंडल




अनुच्छेद-169 विधानपरिषद् का सूचना / समाप्ति



# Rojgar with Ankit



Art. 333 राज्यपाल को विधानसभा में एंगलो इंडियन मनोनीत १०५ में संविधान संशोधन से समाप्त



अनुच्छेद - १७२ सदनों की अवधि

विधानसभा - उस्थायी सदन ५ वर्ष  
विधिति / भाग की जा सकती है

विधानपरिषद् - उस्थायी सदन  
समाप्त किया जा सकता है  
विधिति / भाग नहीं किया जा सकता।

# Rojgar with Ankit

अनुच्छेद-१७३ सदस्यों की वैधताएँ विधानसभा  
विधानपरिषद्

1. वह भारत का नागरिक हो।
2. MCA = 25 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए।  
MLC = 30 वर्ष
3. संघ सरकार / राज्य सरकार / स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा कोई लाभ का पद धारण न करते हो।
4. वह पांगल या दीवालिया न हो।
5. गंगीर अपराध में संभायाफता न हो।
6. चुनाव सम्बद्धि किसी अपराध के कारण चुने जाने के विचित्र न किया गया हो।

अनुच्छेद-१७४ सत्र, सत्रावसान व विधेय  
आहूत करना राज्यपाल  
सत्रावसान धोषणा (समाप्ति)  
स्थगन - प्रियासीन अधिकारी

अनुच्छेद-१७५ सदनों में संदेश भेजने व भाषण देने का  
राज्यपाल का अधिकार

अनुच्छेद-१७६ राज्यपाल का विशेष अभिभाषण (संयुक्त बैठक)

1. प्रत्येक नव वर्ष के बाद जब भी सत्र पारम्परा हो।
2. नई विधानसभा गठित हो।

अनुच्छेद-१७७ सदनों में मंत्रियों एवं महाप्रिवता के अधिकार  
राज्य विधान मॉडल के अधिकारी

अनुच्छेद-१७८ विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष

अनुच्छेद-१७९ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पदव्याप्त  
और पद से हटाया जाना

# Rojgar with Ankit

174

अनुच्छेद-180 अध्यक्ष के रूप में उपाध्यक्ष या अन्य की शावति

अनुच्छेद-181 जब अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की पद से हटायी जाने का संकल्प विचारधीन पीठारीन नहीं होते।

अनुच्छेद-182 विधानपरिषद् का सभापति और उपसभापति

अनुच्छेद-183 सभापति और उपसभापति का पदरित होना, पद लाग और पद से हटाया जाना।

अनुच्छेद-184 सभापति के रूप में उपसभापति या अन्य की शावति

अनुच्छेद-185 जब सभापति और उपसभापति को पद से हटायी जाने का संकल्प विचारधीन है तब पीठारीन नहीं होती है।

अनुच्छेद-186 सदस्यों के वेतन एवं भत्ते  
विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और सभापति और उपसभापति

MLA  
5वर्ष  
(विधानसभा का कार्यकाल)

MLC  
6 वर्ष (विधानपरिषद् स्थायी सदन है)  
 $\frac{1}{3}$  पुति 2वर्ष बाद आवकाश घटान करते हैं।

अनुच्छेद-187 राज्यविधानमण्डल का सचिवालय

अनुच्छेद-188 सदस्यों के हारा ली जाने वाली शपथ एवं उत्तिकान

अनुच्छेद-189 सदनों में मतदान, सदनों में रिवितीयों के होते हुए गी उनके कार्य करने की शावति, Quoram गणपूर्ति

अनुच्छेद-190 सदस्यों की नियमितांश सदस्यों की वह मूलतम लंजिनके उपस्थित होने से सदन की कार्यवाही प्रारंभ होती है।

कुल सदस्य संका  $\frac{1}{10}$  वां भाग होती है।

# Rojgar with Ankit

175

## अनुदेद-194 सदस्यों के विशेषाधिकार शान्तियाँ


1. सदन में वाक् स्वतन्त्रता। उनके बिलाफ़ किसी कोई में केस जैसी किया जा सकता।
2. पीवानी मुकदमा में गिरफ्तारी Before 40 सज के प्रारम्भ दिने के 40 दिन पहले

After 40 सज की समाप्ति

कोजदारी मुकदमे में गिरफ्तारी की जा सकती है।  
सदन में पीठासीन अधिकारी से अनुमति लेकर

## अनुदेद-195 माननीय सदस्यों के वेतन एवं अन्ते

### विधीयक के सम्बन्ध में सदनों के अधिकार



धन विधीयक — साधारण अनुमति राज्यपाल की पूर्व अनुमति

सत्रपूर्णम — विधानसभा

उमानित — विधानसभा अध्यक्ष

विधानपरिषद — स्वीकृति

max - 14 दिन के लिए रोक

राज्यविधानमंडल में संविधान संशोधन विधीयक नहीं जाये जा सकते

अनुदेद-213 राज्यपाल की विधायी शाविते (अध्यादेश जारी करने की शाविते प्राप्त हैं)

# Rojgar with Ankit

एक सदन है तो - सज में न ही  
 दी सदन है तो - कोई भी एक सज में न ही  
 राज्यीय | राज्यमहल पर काशुन बनाना = अनिवार्य  
 राज्यसूची विधि  
 आधिकारिक - काशुन  
 आधिकारिक अवधि - 6 ग्राह

# Rojgar with Ankit

High Court (उच्च न्यायालय)

शाह-6 अद्याय-5 अनुच्छेद (214-232)

अनुच्छेद-214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय  
1 मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य न्यायाधीश द्वारा  
अन्य न्यायाधीशों की संख्या का निश्चिरण सर्वांग करती है।

अनुच्छेद-215 उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय द्वारा।  
कार्यतात्त्व की As a Record संरक्षित रख  
सकता है।  
अधिनिस्थ न्यायालय - मार्गदर्शक का कार्य

अनुच्छेद-216 उच्च न्यायालयों का गठन

अनुच्छेद-217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें  
मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति - राष्ट्रपति  
परामर्शी - SC के मुख्य न्यायाधीश + राज्यपाल  
अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति - राष्ट्रपति  
परामर्शी - SC के मुख्य न्यायाधीश + राज्यपाल + HC  
के मुख्य न्यायाधीश

HC के न्यायाधीश बनने के लिए शीघ्रता —

1. वह भारत का नागरिक है।
2. 10 वर्षीय तक लगातार किसी भी हाईकोर्ट में राइटोरेट रहा है।
3. 10 वर्षीय तक भारत के राज्य छात्र में किसी भी न्यायिक निकाय में न्यायिक पद पर रहा है।

कार्यकाल — वह 62 वर्ष की आयु तक उपर्युक्त पद पर रहेगा।

समय से पहले त्याग पत्र - राज्यपाल

समय से पहले उसके पद से हटाना - भाष्ठार - सालित कदाचार

Process - सुषिर्मिल के न्यायाधीश की हताने द्वारा  
असमर्थता

स्कॉल्पा प्रस्ताव — सूचना 14 दिन पहले

जाँच समिति → संसद में Process → उपरिषित और गतवान  
2 SC + 1 HC  $\frac{2}{3}$

अनुच्छेद-218 उच्चतम न्यायालय की सम्बलिष्ट कुछ प्रावधानों का  
इकाई पर लाहू होना।

अनुच्छेद-219 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों प्रारंभी जनि वाली  
शापश एवं प्रतिक्रिया - संघगाल

अनुच्छेद-221 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वितरण एवं अन्ते  
मुख्य न्यायाधीश — 2.50 लाख  
अन्य न्यायाधीश — 2.25 लाख

अनुच्छेद-223 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश — मुख्य न्यायाधीश की  
नियुक्ति = राष्ट्रपति अनुपस्थिति में

अनुच्छेद-224 अपर न्यायाधीश और कार्यकारी न्यायाधीशों की  
नियुक्ति का प्रावधान  
इकाई में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं होती  
Appoint - High Court — उपराजमहाव द्वे  
अतिरिक्त बीज्ञ होते।  
मुख्य न्यायाधीश — पूर्व स्वीकृति → राष्ट्रपति

## संघ राज्य क्षेत्र (Union territory)

शाग - ८

(239- 242)


अनुच्छेद-239(1) संघ राज्य क्षेत्र

अनुच्छेद-239(2)(ज) संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन - राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से ही प्रशासन संचालित होगा।

प्रशासक का नाम - उपराज्यपाल

मुख्य अधिकारी - राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के नाम से संचालित होता है

(ii)



अनुच्छेद-239(क) संघ राज्य क्षेत्रों में विधानमण्डल रूपं मंत्रिपरिषद् का स्थापन

पुदुचेरी - १५वें राज्यविधान संविधान के माध्यम से 1962 में  
विधानमण्डल की स्थापना  
मंत्रिपरिषद् → मुख्यमंत्री → मुख्यमंत्री

(क)(ख)

६१वें संविधान संगीयन

दिल्ली - राज्यपत्रिय राजस्वानी क्षेत्र  
विधानगांडल, मन्त्रिपरिषद्

बहुमत दल - सरकार

नीता  
मुख्यमंत्रीनिम्नविते राज्यपत्रि द्वारा  
उनम् गोंत्रिगों की निम्नविते राज्यपत्रि  
मुख्यमंत्री के परामर्श पर करता है।

मन्त्रिपरिषद्

मन्त्रिगों की सम्मान  
विधानसभा के सदस्यों की संख्या  
से डाक्टिक नहीं

NCT Delhi

विधानसभा = 72

 $72 \times \frac{1}{10} = 7.2$ 

= ७ मंत्री पद

239(क)(ख) का प्रावधान

उपराज्यपाल

रैपोर्ट

राज्यपत्रि मनुभव द्वारा जाए कि  
सम्बन्धित संघ राज्य क्षेत्र में संवैधानिक तंत्र विफल हो  
चुका हो इस स्थिति में वहाँ का उत्तरासन गा  
ते स्वयं लेंगे या उपराज्यपाल को सांपर्देंगे।239 (ख) उपराज्यपाल को मध्यादेश जारी करने की शुरूआत  
जब विधानसभा सत्र में जा ले।अनुच्छेद - 240, कुछ संघ राज्यों क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की  
राज्यपत्रि की शुरूआत

अनुच्छेद - 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय

उपवस्था - सुसंदर करेगी।

↑ तिथि द्वारा नगा High Court बना  
एकत्री है।

सम्बन्धित राज्य

संघ राज्य - न्यायालय उपस्थित High  
Court का दर्जा

अनुच्छेद - २४२ नवे संतिकान राजीवन रो १९५६ के पारा निरसित कर दिया गया।

## पंचायत

शासन - १

Apt. 40 - ग्राम पंचायतों का गठन और उनके शासन की ईकाई के रूप में स्थापित किया जाए। (राज्य के नीति निर्देशक तत्व)

लोकतात्रिक विकासकरण - कार्य सञ्चालन (प्रशासन) लोकतात्रिक मूलधी का निर्वहन

प्रशासन का आधार गाँव दीना सबसे ↓ निचला स्तर - ग्राम से घाटिए। ↓ पिला ↓ राज्य ↓ केन्द्र


स्थानीय स्वशासन (Local Self Gov.)

↓ Ex- ग्राम पंचायत

Condition —

वहाँ का मतदाता ही।

(ग्राम पंचायत - मतदाता सदृशी में नाम)



"वहाँ के locals के पारा अपना प्रशासन स्वयं सञ्चालित करना"

विकास - सम्भावनाएँ बढ़ जाती हैं।

समस्याएँ (स्थानीय) - Overcome

परामर्शिता

जिविवदेही

स्थानीय स्वशासन एवं लोकतात्रिक विकासकरण को स्थापित करने

वाले संस्थान - पंचायती राज संस्थान

व्यवस्था - पंचायती राज व्यवस्था

# Rojgar with Ankit

## ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Background) —

पचासवीं राज संस्थाओं द्वारा महलपुर्फ़ समितियाँ !

1. बलवंत राय समिति (1951)

2. आशोक महता समिति (1977)

3. जी नी के राव समिति (1985)

4. एल एग सिंधवी समिति (1986)

5. धी. के. थुमन समिति (1988)

1. मेडी (1872) - भारत में स्थानीय रखासन की व्यवस्था  
जावश्यन है।

↓ पर्वपुष्पम् इसी के समय 1872 में भारत में जनगणना

2. रिप्ल (1881-82) — भारत में स्थानीय रखासन की स्थापना  
स्थानीय रखासन का जनक द्वारा एक प्रताव

स्थानीय रखासन का प्रताव

1. तालुका बोर्ड } स्थानीय प्रशासन की संशोधने के लिए  
2. गिला बोर्ड } उत्तरदायी थी।

संविधान सभा निर्माण कार्यप्रणाली — गांधीवादी विचारक

भाग-4

अनुच्छेद-40 में

ग्राम पचासवीं की स्थापना की बात की।

आचार्य महारायण अवृताल

लोकतांत्रिक विकेन्द्रिकरण की

स्थापित करने की बात की

सातवीं अनुसूची

संघ सूची (100)

राज्य सूची (61) — पचासवीं राज

समवर्ती सूची (62)

पचासवीं राज एवं सामुदायिक विकास मन्त्रालय — पचासवीं संसदी  
श्री रुस के द्वारा

सामुदायिक विकास कार्यक्रम — 2 Oct 1952

ग्रामीण विकास — ग्रामीण अर्थव्यवस्था ↑

अवयव-5 डिक्षा, रसायन, रोजगार संघन

# Rojgar with Ankit

रुक्षता  
पैगल

राजदीप युसूर रोता कार्गङ्ग - 2 Oct 1963  
अमेरिका के फोटो-फाइलेन अराफल

# Rojgar with Ankit

184

पंचायती राज व्यवस्था — स्थानीय सत्रासन की स्थापित करने  
देकु अपनायी गयी व्यवस्था  
↓ संस्थान — पंचायती राज संस्थान  
लोकतात्त्विक विकास करना स्थापित करना चाहते हैं।

बलवंत राध मेहता समिति — गठन - 1956

स्थानिकी = ? स्थानिकी = 1957

1. सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय पुसार सेवा कार्यक्रम की असफलताओं को जाँच करने देकु इस समिति का गठन किया।
2. भारत में पंचायती राज व्यवस्था की किस उकार से स्थापित किया जा सकता है।

स्थिरिशीं — स्थानीय सत्रासन की स्थापित करने के लिए पंचायती राज संस्थानों का गठन आवश्यक है।

सर्वंचना — निस्तरीय सर्वंचना की

ग्राम पंचायत

द्वितीय पंचायत

जिला पंचायत  
मुख्य कार्यकारी  
उपाधिकारी - DM

विकास कार्य - द्वितीय संसाधनों की आवश्यकता  
पंचायती की

कर, शुल्क रखने दुनी लगाने का अधिकार

सर्वपुरम् प्रायोगिक तौरे तर पंचायती व्यवस्था को आन्ध्रप्रदेश में लागू किया — 1958

वास्तविक रूप से सर्वपुरम् इस व्यवस्था को 2 Oct 1959 की राजस्थान के नामोंर पिले के बगतरी नामक गाँव में लागू किया गया। जवाहर लाल नेहरू द्वारा उद्घाटन आनंदप्रदेश में 31 Oct 1959 में लागू किया गया।

# Rojgar with Ankit

185

1960 में तिनि राज्यों में लागू किया गया।

K - कर्नाटक

A - आनंद प्रदेश

T - तमिलनाडु

अशोक मेहता समिति —

गठन - 1977

जनता पार्टी की सरकार  
के द्वारा इस समिति  
का गठन

→ यह 13 सदस्यी समिति थी।

→ पचायती का स्वरूप और क्रियावयन

→ द्विस्तरीय पचायती व्यवस्था का गठन

→ मण्डल पंचायत

जिला पंचायत

सभ्से निचला स्तर

जिला स्तर

(10-15) गाँवों का समूह

(15-20) उमार की बनस्थिया

→ राजनीतिक दल - चुनाव चिह्नों का प्रयोग - पचायती के चुनाव में  
सहभागिता

→ भारत निर्वाचन आयोग - देवरेख अन्य संस्था - पचायती का चुनाव

→ पचायती की वित्तीय स्थिरता मिलनी - चाहिए।

कर  
चुनी  
शुल्क

→ (3-4) गाँवों पर न्याय पंचायत

जी. वी. के. राव समिति —

गठन - 1985

योजना आयोग की सिफारिशों के

→ आधार पद समिति का गठन

→ 4-स्तरीय पचायती राज संस्थाओं के गठन की बात की।

→ मामपंचायत → मण्डल पंचायत → जिला पंचायत → राज्य पारिषद्

→ नियमित चुनाव - प्रधान निर्वाचन  
आयोग

जिला विकास आयोग

(जिला के समस्त विकास के  
कार्यों का प्रशारी)

→ भारक्षण = SC/ST भारक्षण

→ वित्तीय स्थिरता - प्रधान आयोग

## I.M. सिंधी एमिटि — गठन - 1986 (लक्ष्मी मल)

- पंचायती की संविधानिक दर्जा देने की बात की  
 → पंचायती से संबद्धित मामलों को हल करने के लिए एक  
 राज्य स्तर पर एक संस्था होनी चाहिए  
 “न्यायिक प्राधिकरण”  
 → राज्य निर्वाचन आयोग - पंचायती के नियमित चुनाव के लिए  
 → राज्य वित्त आयोग - वित्तीय स्थिरता  
 → आरक्षण - SC/ST महिला

## पी० कु० थुंगन एमिटि — गठन - 1988

- पंचायती की संविधानिक दर्जा प्राप्त  
 → राज्य निर्वाचन आयोग } } संचना = केंद्र के समान शक्तिशाली  
 → राज्य वित्त आयोग }  
 → आरक्षण की व्यवस्था  
 → पंचायत व्यवस्था - कुद्दु भावधान अनिवार्य भावधान - पंचायती कागजन  
 — ऐटिकल भावधान,

Bill राजिव गांधी (1989) में  
ग्राम पंचायत (64<sup>th</sup>) लोकसभा राज्यसभा  
X

नगर पंचायत (65<sup>th</sup>) ✓ X

पी० वी० नरसिंह राव (1992) में  
न३वाँ संविधान संशोधन 1992 - ग्राम पंचायत लोकसभा राज्यसभा  
22 Dec 23 Dec

न५वाँ संविधान संशोधन 1992 - नगरपंचायत 22 Dec 23 Dec

लागू ग्राम पंचायत - 24 April  
नगर पंचायत - 1 June राष्ट्रपति  
20 April की दी दोनों की स्वीकृति

24 April - पंचायती राज दिवस (2010 से मनाना शुरू)

# Rojgar with Ankit

## पंचायती का वर्तमान रूपरेप्र

ग्राम पंचायत

73 वाँ संविधान संशोधन (1992-93)

नगर पंचायत

74 वाँ संविधान संशोधन (1992-93)

ग्राम पंचायत संरचना —

भाग - १

(243 - 2430)

16 अनुच्छेदों में

विस्तार 29 कार्यों का

अनुसूची - 11वीं

ग्राम पंचायत

उल्लेख

भाग - १(क)

(243P - 243ZG)

18 अनुच्छेदों में

विस्तार 18 कार्यों का

अनुसूची - 12वीं

नगर पंचायत


उल्लेख

ग्राम सत्र - ग्राम पंचायत

जिला सत्र - जिला पंचायत


ग्राम सभा - 243(A)

पिकास ब्लॉक सत्र - क्षेत्र पंचायत



# Rojgar with Ankit

188



# Rojgar with Ankit

189

243(D) पंचायती का आरक्षण

$$\text{महिलाओं} = \frac{1}{3} \text{ आरक्षण}$$

$SC/ST =$  उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण

$$\downarrow \text{इस वर्ग की महिलाओं} = SC/ST \text{ आरक्षण} = \frac{1}{3}$$

$$\begin{array}{l}
 \text{ग्राम पंचायत - चुनाव} \\
 \swarrow \qquad \searrow \\
 \text{पुश्टान} \qquad \qquad \qquad UR = 1000 - 300 \text{ पुरुष} \\
 UR \qquad \qquad \qquad SC = 500 \qquad \qquad \qquad 300 \text{ महिलाओं की सं} \\
 UR \qquad \qquad \qquad ST = 100 \\
 \hline
 \qquad \qquad \qquad 1600 \text{ कुल राख्या}
 \end{array}$$

UR  
 UR  
 UR-female  
 SC  
 UR  
 UR-female  
 SC

243(I) - राज्य वित्त आयोग

पृथ्वीके 5 वर्ष बाद इसका गठन — राज्यपाल द्वारा

243(K) - राज्य निवाचिन आयोग

मुख्य निवाचिन आयुत

नियुक्ति = राज्यपाल

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित चुनावों से संचालन  
नगर पंचायत से सम्बन्धित चुनावों से सम्पादन

पद से हटाये जाने का आधार - सालित कदाचार  
असर्गण्ठान

सूचना - 14 दिन पहली

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के छोरे पुक्किया के द्वारा इनकी  
इनके पद से हटाया जाता है

(i) मतदाता सूची तैयार करना

(ii) आचार संहिता का निर्माण

(iii) मतदाता केंद्रों की बनाना

# Rojgar with Ankit

190

## नगर पंचायत

आग - १८५

(243 P - 2 G)


जनसंख्या के आधार पर नियंत्रण

↓  
नगर पंचायत परिषद  
होटे कर्स्बे  
नए - २ नगरों के रूप स्थापित  
जनसंख्या का आकार कम

↓  
नगर पालिका परिषद  
मध्यम जनसंख्या वाले  
नगर  
नगरों के रूप में बहुत  
पहले ही स्थापित

↓  
नगरनिगम परिषद्  
बहुत जनसंख्या  
वाले नगर  
जनसंख्या - १०लाख  
से अधिक

जनसंख्या के  
आधार पर वर्ड  
का नियंत्रण



## संविधानिक आयोग

निवन्धिन आयोग — आग - १५

अनुच्छेद - (324 - 329(A))

ठाठन - 25 जनवरी 1950

25 January - राष्ट्रीय मतदाता दिवस

भारत निवन्धिन आयोग — संसद का -  
संचालन संपादन नियंत्रण

लोकसभा  
राज्यसभा  
विधानसभा  
विधानपरिषद्

राष्ट्रपति  
उपराष्ट्रपति

# Rojgar with Ankit

भारत निर्वाचन आयोग - 25 Jan. 1950

गठन के समय सरचना - एक सदस्यीय = मुख्य निर्वाचन आयुक्त

61 वाँ संविधान संशोधन (1988-89)

प्रस्क्र मतदाता की आयु 21 वर्ष से धराकर 18 वर्ष कर दी।

**सार्वभार्तीय प्रस्क्र मताधिकार - 18 वर्ष मतदाता**

1989 - भारत निर्वाचन आयोग की सरचना

तीन सदस्यीय - मुख्य निर्वाचन आयुक्त

अन्य निर्वाचन आयुक्त

मतदाताओं की संख्या में हाइटि

निर्वाचन आयोग पर भार बढ़ा

**1989-90** - यह व्यवस्था चली

अगली बार सरकार बदली और यह व्यवस्था पुनः एक सदस्यी  
कर दिया गया। (1990-93) तक चला।

**1993** → पुनः एक बार निर्वाचन आयोग की तीन सदस्यी कर दिया गया

① मुख्य निर्वाचन आयुक्त

② अन्य निर्वाचन आयुक्त

नियुक्ति - राष्ट्रपति

लेकिन राष्ट्रपति के पूर्सादपर्यन्त पद धारण नहीं करते हैं

पद से मुक्ति - सावित कदाचार

असंगठित

सुषुप्ति कोई की जज की भाँति इनके पद से हटाया  
जारहगा।

कार्यकाल —

मुख्य निर्वाचन आयुक्त

6 / 65

6 वर्ष का कार्यकाल परन्तु इसी बीच  
यदि 65 वर्ष की आयु शुरी कर लेता है

मैं उसे अपने पद से हटना होगा।

अन्य निर्वाचन आयुक्त

6 / 62

6 वर्ष का कार्यकाल परन्तु इसी  
बीच 62 वर्ष की आयु पूरा  
कर लेता है तो उसे अपने  
पद से हटना होगा।

## Rojgar with Ankit

संविधान में इसकी वीणता के लिए मैं कीई उल्लेख नहीं किया गया हूँ।

अन्य निर्वाचन आयुक्त की राष्ट्रपति द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्शी से घटाया जाता हूँ।

# Rojgar with Ankit

193

लोक सेवा आयोग  
Public Service Commission ( 315 - 323 )

बाग - 14

( 315 - 323 )

संघ लोक सेवा आयोग आध्यक्ष, सदस्य नियुक्ति - राज्यपति संसद - संसद	राज्य लोक सेवा आयोग आध्यक्ष, सदस्य राज्यपाल संसद - State legislature	संघूत लोक सेवा आध्यक्ष, सदस्य राज्यपति संसद संसद
---	---	---

**राजिकासिक पुष्टभूमि** — सर्वप्रथम 1919 के भारत शासन अधिनियम (मान्टेग्रू - वेस्टफोर्ड आधिनियम) लोकसेवा आयोग की स्थापना की गयी।

लोक सेवकों के लिए परीक्षा — संचालन  
रापाद्धन

ली आयोग | शाही आयोग सिफारिशों के आधार पर 1926 में लोकसेवा आयोग का गठन किया गया।

1935 का भारत शासन अधिनियम — संघ लोक सेवा आयोग

संघ लोक सेवा आयोग | राज्य लोक सेवा आयोग —

Qualification — आयोग के उचित सदस्य कम से कम ऐसे हों जिन्होंने न्यूनतम 10 वर्षों तक संघ | राज्य सरकार के अधीन नीकरी की हो।

कार्यकाल - UPSC अध्यक्ष 6 वर्ष का कार्यकाल

SPSC सदस्य 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पुराई

SPSC — 6 वर्ष का कार्यकाल

62 वर्ष की आयु जो भी पहले पुराई।

पद्धति — आधार - स्थानित कदाचार  
असमर्थता

सुषुप्ति कोई जाँच करेगा — राज्यपति हरा रखेगा।

# Rojgar with Ankit

194

राज्यपति रुपुणि लोटी का निष्पत्र मानवि के लिए वाद्य है।

Limitation - सेवनिवृत्त होने के बाद खंड या राज्य के मध्यम  
किसी अन्य नियोजन के पात्र नहीं होगी।

पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है। - कार्यकाल छूटा होने के बाद नियुक्ति।

Promotion हो सकता है। - राज्य लोक सेवा आयोग  
Member \_\_\_\_\_ chairman UPSC  
अन्य SPSC Member Chairman  
Member Member

Chairman - chairman ✓  
M.✓  
UPSC  
C.✓  
M.✓  
संयुक्त PSC  
C.✓  
M.✓

## वित्त आयोग (Finance Commission)

अनुच्छेद - 280

→ प्रत्येक 5 वर्षीय पर राज्यपति द्वारा एक वित्त आयोग का गठन किया जायेगा।

→ अष्टदिन्यायिक संस्था है।

केन्द्र                  राज्य

राजस्व खबानीत

वाद-विवाद निपटारा

करों से उत्तर होने वाली भाव

गैर कर आय

राजस्व आय

पूँजिगत आय

राज्यों के लिए - केन्द्र से

Grants की सिफारिश।

# Rojgar with Ankit

- अध्यक्ष एवं 5 सदस्यी आयोग ( १ अध्यक्ष , ५ सदस्य)
- नियुक्ति - राज्यपाल
- अध्यक्ष - जिसे सावित्री लाली का अनुभव है।
- १ सदस्य - उच्चान्यायालय के गणाधीश के समकक्ष थीं।  
 २. - सरकार के तित एवं लेखांडों का ज्ञान  
 ३. - वित्तीय एवं पुश्चासनिक अनुभव है।  
 ४. - भारिक मामलों का ज्ञानकार
- वर्तमान में १५ वाँ वित्त आयोग - (2020-25)  
 गठन - 27 Nov. 2017  
 अध्यक्ष - N.K. Singh  
 सदस्य - शक्तिकांत दास  
 अनुप सिंह  
 रमेश चन्द्र  
 अशोक लाहडी

## राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति रुप जाति आयोग

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि - 1978 में कैबिनेट प्रस्ताव के रूप में गैर संवैधानिक आयोग की स्थापना हुई।

अनुसूचित जाति रुप जनजाति आयोग।

65 वाँ संविधान संशोधन 1990 - संवैधानिक निकाय का दर्जा  
(लक्ष्यदस्यीय आयोग)

नाम - राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति रुप जाति आयोग

89 वाँ संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति रुप राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोगीं को पुण्यम् कर दिया।

अनुच्छेद- 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

अनुच्छेद- 338(A) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

संरचना - 5 सदस्यीय

नियुक्ति - राष्ट्रपति द्वारा

1 अध्यक्ष - SC से ही

सामाजिक व राजनीतिक कार्यकर्ताओं  
केन्द्रीय कैबिनेट मंत्री के समान

1 उपाध्यक्ष - केन्द्रीय राष्य मंत्री के  
समान दर्जा

3 सदस्य - सचिव के समान दर्जा

सदस्य और उपाध्यक्ष में से  
न्यूनतम 2 लोग SC से ही

कार्यकाल - 3 वर्ष

पुनः नियुक्त हो सकते हैं।  
परन्तु 2 बार से ज्यादा / अधिक नहीं।

5 सदस्यीय

राष्ट्रपति द्वारा

ST से ही।

सामाजिक व राजनीतिक कार्यकर्ता  
केन्द्रीय कैबिनेट मंत्री के  
समान  
केन्द्रीय राष्यमंत्री के समान दर्जा

सचिव के समान दर्जा

सदस्य और उपाध्यक्ष में से  
न्यूनतम 2 लोग ST से ही।

3 वर्ष

पुनः नियुक्त  
दो बार से अधिक नहीं।

# Rojgar with Ankit

केन्द्र एवं राज्य सम्बन्ध

भाग - 11

अनु० (245-263)

पिधायी सम्बन्ध  
कानूनों के निमित्त से सम्बन्धित  
सम्बन्ध  
अनुच्छेद (245-255)

प्रशारणिक सम्बन्ध  
कानूनों को लागू करने एवं  
प्रशासन से सम्बन्धित सम्बन्ध  
अनुच्छेद (256-263)

अनु० 245 - संसद और राज्य विधानगण्डल द्वारा बनाये जाने वाली  
विधियों के विस्तार के बारे में - पर्चा  
संसद द्वारा निर्मित कानून - भारत के राज्यक्षेत्र में लागू  
राज्य

राज्य विधानमण्डल द्वारा निर्मित कानून केवल उसी राज्य की  
territory में लागू होगा।

अनु० 246 - विषय वस्तु  $\Rightarrow$  किन-2 विधियों पर काँॅन-2 कानून बनायगा

नवीनी  $\left\{ \begin{array}{l} \text{संघ सूची} = 100 \text{ संसद} \\ \text{राज्य सूची} = 61 \text{ राज्य का विधानमण्डल} \end{array} \right.$   
अनुसूची  $\left\{ \begin{array}{l} \text{समवर्ती सूची} = 52 \text{ (दोनों कानून बना सकते हैं)} \end{array} \right.$

किसी भी एक विधि पर दोनों कानून बनाते हैं तो  
संसद के द्वारा निर्मित कानून ही गान्य होगा।

अनु० 247 - संसद की आतिरिक्त न्यायालयी की स्थापना करने की  
शर्त प्राप्त है।

अनु० 248 - अवधिकार विधियों पर कानून बनाने का अधिकार संसद  
की प्राप्त है।

अवधिकार विषय  $\Rightarrow$  ऐसी विषय जिनकी पर्चा न संघ सूची, राज्य सूची  
न समवर्ती सूची में है।

अवधिकार शावित्री का केन्द्र में निहित होना - कोड़ा से

अनु० 249 - राज्य सूची  
विषय - राज्य संशोधन विषय की राज्यीय महत्व होना

उपस्थित झाँर गतदान करने वाले सदस्यों के  $2/3$  बहुमत से

कानून बनाने का आधिकार संसद की प्राप्त ही जाता है।

अनु० 250 — आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषय पर संसद की कानून बनाने का उपाधिकार <sup>किसी भी</sup>

अनु० 251 — संसद ने राज्य सूची के विषय पर कानून बनाया <sup>अ०-२५१ या २५०</sup> राज्य विधान मण्डल के द्वारा <sup>निमित्त</sup> कानून लागू नहीं होगा।

अनु० 252 — दो या अधिक राज्यों के अनुरोध पर संसद द्वारा कानून बनाना।

अनु० 253 — अन्तर्राष्ट्रीय कररिए की प्रभावी करने का आधिकार संसद की प्राप्त है।

अनु० 254 — संसद और राज्य विधान मण्डल द्वारा निमित्त कानूनों में असंगति है।  
संसद द्वारा निमित्त कानून ही मान्य होगा।

अनु० 263 — अन्तर्राष्ट्रीय परिषद

अनु० 262 — अन्तर्राष्ट्रीय नदी इत्यादि के जल के विवाद की लेकर कोई गतिरोध है तब उसके निपटारे का प्रावधान है।  
सरकारिया आयोग 1980 की सिफारिशों के आधार पर इसका गठन किया गया।

अध्यक्ष = प्रधानमंत्री

सचिव = सभी राज्यों के मुख्यमंत्री

+ कृष्णनेट मंत्री ⑥

स्थापी समिति भी होती है

अध्यक्ष - हृष्टमंत्री + 8 राज्यों के मुख्यमंत्री सदस्य होते हैं

आपातकालीन उपबन्ध

भाग - १४

अनुच्छेद - (352-360)

राष्ट्रीय आपात = 352

राज्यपति शासन = 356

वित्तीय आपातकाल = 360

## Rojgar with Ankit

अनुच्छेद- 352 राज्यीय डापात की उद्घोषणा

सम्पूर्ण भारत के राज्य क्षेत्र में गा उरके किसी भी एक गांगे  
किस स्थिति में - शुद्ध

वाहन आकृत्य

‘पहले आन्तरिक —> सशस्त्र विद्वीं - पर्यावरण रांचीधान  
अपूर्णता शाल्व था’

कौन = ? राष्ट्रपति

(मंत्रिमण्डल के लिखित परामर्श पर)

पर्यावरण रांचीधान 1978

‘मंत्रिमण्डल’ शब्द का प्रयोग रांचीधान में केवल एक ही रूपान  
पर हुआ है - Art. (352) लागू - 350 - Auto Suspension  
359 - राष्ट्रपति द्वारा.

उद्घोषणा अधिकतम् 1 महीने तक चलेगी। Art. 20/21 - X

1 महीने के बाद - LS की स्वीकृति उपस्थित और मतदान 2/3  
बहुमत

6 महीने तक

प्रत्येक 6 महीने बाद Review

यदि लोकसभा अंग ही तो नई लोकसभा गठित होने के 30 दिन  
के बाद अनुमति

तीन बार

1. Oct 1962 (Indo-China War)
2. Dec 1971 (Indo-Pak War)
3. June 1975 (आन्तरिक अशांति)

अनुच्छेद- 356 राज्यीय सीर्विशानिक तंत्र के विफल होने के आधार पर  
राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा

उद्घोषणा - राष्ट्रपति (राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर)  
↓ मंत्रीपरिषद् के लिखित परामर्श पर

अनु- 250 लागू हो जायेगा - राज्यसूची के विषय पर संसद  
कानून बनाती है

358 लागू - रवता निलमित

359 राष्ट्रपति कॉन - 2 मीलिंग आष्टकार निलमित करेगा।  
१०/११ निलमित नहीं होगी।

उद्घोषणा - राष्ट्रपति शासन

2 गांवों तक

Review - एसेंड प्रार

LS/RS - 50% बहुगत (उपस्थित और मतदान)

6 गांवों तक राष्ट्रपति शासन = एसेंड प्रार

Review

LS/RS = 50% बहुमत

आधिकतम् ३ साल तक

# Rojgar with Ankit

## \* 1784 का पिटस का इंडिया एक्ट \*

पृष्ठशुमि - मराठा युद्धों से कम्पनी को पुनः आधिक धति हुई।

- कम्पनी ने फिर से बैंक ऑफ इंडिया से लाने की माँग की
- सरकार अब कम्पनी पर और आधिक नियन्त्रण स्थापित करना चाह रही थी।
- 1773 के एक्ट की कमियों की दूर करने के लिए लाया गया था। कम्पनी पर नियन्त्रण स्थापित करने वेतू दो समितियाँ बनाई गई थीं।

पक्ष समिति

सुप्रीम कोर्ट व गवर्नर जनरल  
व उसकी परिषद् के आपसी  
समझदौं की जांच करेगी।

गुप्त समिति

मराठा युद्ध के कारणों की  
जांच करती है।

## पिटस के इंडिया एक्ट से पहले के विधीयक —

1. इण्डिया का विधीयक
2. फॉक्स का इंडिया बिल

## इण्डिया Bill —

- यह गुप्त समिति का मध्यका था।
- यह कम्पनी पर पूर्णिम केन्द्रीय नियन्त्रण स्थापित करने की बात थी।
- इसने कम्पनी को पुनः उदार देने की माँग का समर्थन किया।

## फॉक्स Bill —

- इस बिल की एडमण्ड वर्क और फिलिप लोसिस ने तैयार किया था।
- कम्पनी की ऐनिक और राजनीतिक शक्ति की एक बोर्ड की सेप्टें देना चाहिए इस बोर्ड में न कमिशनर होंगे।
- यह विधीयक द्विचार Parliament के निम्न सदन (House of Commons) में तो पारित हो गया परन्तु House of lords में पारित नहीं हो सका।

# Rojgar with Ankit

- पृथम व अंतिम अवसर ऐसा अवसर था जब किरी भारतीय विषय पर द्वितीय सुरक्षार्थी गिरी हो।
- अगला प्रधानमंत्री विलियम पिट बना उसने पहली ही House of Lords के सदस्यों की अनुमति प्राप्त कर ली।
- पिटस का इंडिया बिल —

विलियम पिट ने इस बिल की सुरक्षा में एक बड़ी से पहली बड़ी कम्पनी के विश्वास की जीत लिया।

Board of Control नामक एक नई संस्था बनायी जानी की तात की गई नियामक बोर्ड। नियंत्रक बोर्ड भी कहा जाता है।

Board of Control      ⑥ सदस्यी संख्या

① राज्य सचिव

① चांसलर, ऑफिसर ऑफिसियल

⑤ प्रिवी काउंसिल के सदस्य

इस संस्था की अध्यक्षता राज्य सचिव करेगा।

1784 के पिटस इंडिया एक्ट से कम्पनी पर दोहरा नियंत्रण स्थापित हो गया।

कोर्ट ऑफ डीपर्वर्स

सदस्य संख्या = 24

नियुक्ति सम्बन्धी कार्य।

प्रधानमंत्री कार्य

बोर्ड ऑफ कंट्रील

6 सदस्यी संख्या

सैनिक व असौनीक मामले

राजनीतिक मामले

परिवर्तन

बंगाल का गवर्नर जनरल  
कार्यकारिणी

- सदस्यों की संख्या को 4 से घटाकर 3 कर दी गयी।
- नियमित अभी भी बहुमत के आधार पर दीत था।
- गवर्नर जनरल की नियायिक तीट देने के अधिकार था।
- बंगाल और मद्रास गवर्नर और उनकी Council की पूर्णतः बंगाल के गवर्नर जनरल के उम्मीद दिया।

## Rojgar with Ankit

बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बंगाल के गवर्नर जनरल की तरपर शुल्कों का आधिकार दिया गया।

### Board of Control

पुथम ठाईक्ष - हेनरी डंडास  
आन्तिम ठाईक्ष - एलन बरी

### पार्टर एक्ट

‘आधिकार पत्र’ - विद्रिश सरकार द्वारा ईस्ट इण्डिया कम्पनी की दिये गये प्रशासन एवं व्यवस्थी आधिकार

### “1813 का पार्टर एक्ट” - \*

ब्रिटेन में आंधीगिक कृषि सम्पन्न हुई

पूँजीपति वर्ग का उदय

ब्रिटिश संसद पर दबाव डाला

भारत जैसा मुनाफे का बाजार सभी के लिए छोला जाये।

नेपोलियन की महारौपिय संस्था

### प्रावधान - \*

1. कम्पनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ और भारतीय बाजार सभी के लिए छोला दिए गए अपवाद स्वरूप - चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार कम्पनी करती रहेगी।
2. भूराजख कर रख व्यापारिक कर की अलग-2 कर दिया गया।
3. विलियम विल्वर कोर्स के नेटून में ईसाई धर्म के प्रचारकों की भारत आने की छूट दी गई।
4. भारतीयों में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए 1 लाख रुपये का श्रीत्याहन राशि

# Rojgar with Ankit

## 1833 का चार्टर एकट

- कम्पनी के समस्त व्यापारिक रुक्माधिकार की समाप्त कर दिया गया।
- व्याय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर रोक
- कम्पनी अब पूर्णतः राजनीतिक संस्था बन गयी। और अगले 20 वर्षों के लिए उसे भारत का उत्थासन दे दिया गया।
- जब तक कृउन कम्पनी के समस्त पूँजी रुपॉक की 200% के मूल्य पर नहीं घरीद लेती तब तक वह अपने बीयर हील्डर की 10.5% का Dividend देती रहेगी।

## → प्रावधान →

- बंगाल का गवर्नर जनरल → भारत का गवर्नर जनरल हो गया।
- बम्बई + मद्रास ऐसीडैसी को → बंगाल ऐसीडिंसी के अधीन कर दिया गया।
- बंगाल का गवर्नर जनरल = 3 सदस्य + 1 सदस्य (विधि सदस्य)  
अस्थायी सदस्य  
विधि सम्बद्धी मामले में ही  
participate करेगा।  
लेकिन सरकार ने हर बैठक में  
बैठने की अनुमति
- विधि आयोग का गठन किया गया।  
अध्यक्ष - मैकाले
- दास पुण्य को समाप्त किया जायेगा  
लेकिन 1843 में एलनबरी के समय में समाप्त  
नी गयी।

## 1853 का चार्टर एकट

- अब चार्टर की Reverso नहीं किया जायेगा और कार जब चाहि तब कम्पनी से भारत का उत्थासन दिन सकती है।

## Rojgar with Ankit

- ५ सदस्यी = स्थापी कर दिया गया।
- कोर्ट ऑफ डॉयरेवर्स के आधिकारी में कमी की गई।
- नियुक्ति सम्बन्धी आधिकार उससे छीन लिये। वहीं कि नियुक्तिगाँ  
अब प्रतियोगी परीक्षामी के माध्यम से होगी।
- कोर्ट ऑफ डॉयरेवर्स की सख्ती की २५ से घटाकर १४ कर  
दिया गया।
- १७ में से ६ सदस्य क्लाउन ब्लार मनीजित होंगी।
- इसी खट से १८५१ में पंजाब उर्द्दीपुरी की स्थापना ओर  
वहाँ उपराज्यपाल पद का गठन

# Rojgar with Ankit

## \* 1784 का पिटस का इंडिया एक्ट \*

पृष्ठशुमि - मराठा युद्धों से कम्पनी को पुनः आधिक धति हुई।

- कम्पनी ने फिर से बैंक ऑफ इंडिया से लाण की माँग की
- सरकार अब कम्पनी पर और आधिक नियन्त्रण स्थापित करना चाह रही थी।
- 1773 के एक्ट की कमियों की दूर करने के लिए लाया गया था।
- कम्पनी पर नियन्त्रण स्थापित करने वेतू दो समितियाँ बनाई गई थीं।

पवर समिति

सुप्रीम कोर्ट व गवर्नर जनरल  
व उसकी परिषद् के आपसी  
समझदौँ की जाँच करेगी।

ग्रृह समिति

मराठा युद्ध के कारणों की  
जाँच करती है।

## पिटस के इंडिया एक्ट से पहले के विधीयक —

1. इण्डिया का विधीयक
2. फॉक्स का इंडिया बिल

## इण्डिया Bill —

- यह ग्रृह समिति का मध्यका था।
- यह कम्पनी पर पूर्णिम केन्द्रीय नियन्त्रण स्थापित करने की बात थी।
- इसने कम्पनी को पुनः उदार देने की माँग का समर्थन किया।

## फॉक्स Bill —

- इस बिल की एडमण्ड वर्क और फिलिप लोसिस ने तैयार किया था।
- कम्पनी की ऐनिक और राजनीतिक शक्ति की एक बोर्ड की सेप्टें देना चाहिए इस बोर्ड में न कमिशनर होंगे।
- यह विधीयक द्विचार Parliament के निम्न सदन (House of Commons) में तो पारित हो गया परन्तु House of lords में पारित नहीं हो सका।

# Rojgar with Ankit

- पृथम व अंतिम अवसर ऐसा अवसर था जब किरी भारतीय विषय पर द्वितीय सुरक्षार्थी गिरी हो।
- अगला प्रधानमंत्री विलियम पिट बना उसने पहली ही House of Lords के सदस्यों की अनुमति प्राप्त कर ली।
- पिटस का इंडिया बिल —

विलियम पिट ने इस बिल की सुरक्षा में एक बड़ी से पहली बड़ी कम्पनी के विश्वास की जीत लिया।

Board of Control नामक एक नई संस्था बनायी जानी की तात की गई नियामक बोर्ड। नियंत्रक बोर्ड भी कहा जाता है।

Board of Control

⑥ सदस्यी संख्या

① राज्य सचिव

① चांसलर, ऑफिसर एजेंट

⑤ प्रिवी काउंसिल के सदस्य

इस संस्था की अध्यक्षता राज्य सचिव करेगा।

1784 के पिटस इंडिया एक्ट से कम्पनी पर दोहरा नियंत्रण स्थापित हो गया।

कोर्ट ऑफ डीपरेन्स

सदस्य संख्या = 24

नियुक्ति सम्बन्धी कार्य

प्रधानमंत्री कार्य

बोर्ड ऑफ कंट्रील

6 सदस्यी संख्या

सैनिक व असौनीक मामले

राजनीतिक मामले

परिवर्तन

बंगाल का गवर्नर जनरल  
कार्यकारिणी

- सदस्यों की संख्या को 4 से घटाकर 3 कर दी गयी।
- नियमित अभी भी बहुमत के आधार पर दीत था।
- गवर्नर जनरल की नियायिक तीट देने के अधिकार था।
- बंगाल और मद्रास गवर्नर और उनकी Council की पूर्णतः बंगाल के गवर्नर जनरल के उम्मीद दिया।

## Rojgar with Ankit

बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बंगाल के गवर्नर जनरल की तरपर शुल्कों का आधिकार दिया गया।

### Board of Control

पुथम ठाईक्ष - हेनरी डंडास  
आन्तिम ठाईक्ष - एलन बरी

### पार्टर एक्ट

‘आधिकार पत्र’ - विद्रिश सरकार द्वारा ईस्ट इण्डिया कम्पनी की दिये गये प्रशासन एवं व्यवस्थी आधिकार

### “1813 का पार्टर एक्ट” - \*

ब्रिटेन में आंधीगिक कृषि सम्पन्न हुई

पूँजीपति वर्ग का उदय

ब्रिटिश संसद पर दबाव डाला

भारत जैसा मुनाफे का बाजार सभी के लिए छोला जाये।

नेपोलियन की महारौपिय संस्था

### प्रावधान - \*

1. कम्पनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ और भारतीय बाजार सभी के लिए छोला दिए गए अपवाद स्वरूप - चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार कम्पनी करती रहेगी।
2. भूराजख कर रख व्यापारिक कर की अलग-2 कर दिया गया।
3. विलियम विल्वर कोर्स के नेटून में ईसाई धर्म के प्रचारकों की भारत आने की छूट दी गई।
4. भारतीयों में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए 1 लाख रुपये का श्रीत्याहन राशि

# Rojgar with Ankit

## 1833 का चार्टर एकट

- कम्पनी के समस्त व्यापारिक रुक्माधिकार की समाप्त कर दिया गया।
- व्याय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर रोक
- कम्पनी अब पूर्णतः राजनीतिक संस्था बन गयी। और अगले 20 वर्षों के लिए उसे भारत का उत्थासन दे दिया गया।
- जब तक कृउन कम्पनी के समस्त पूँजी रुपॉक की 200% के मूल्य पर नहीं घरीद लेती तब तक वह अपने बीयर हील्डर की 10.5% का Dividend देती रहेगी।

## → प्रावधान →

- बंगाल का गवर्नर जनरल → भारत का गवर्नर जनरल हो गया।
- बम्बई + मद्रास ऐसीडैसी को → बंगाल ऐसीडिंसी के अधीन कर दिया गया।
- बंगाल का गवर्नर जनरल = 3 सदस्य + 1 सदस्य (विधि सदस्य)  
अस्थायी सदस्य  
विधि सम्बद्धी मामले में ही  
participate करेगा।  
लेकिन सरकार ने हर बैठक में  
बैठने की अनुमति
- विधि आयोग का गठन किया गया।  
अध्यक्ष - मैकाले
- दास पुण्य को समाप्त किया जायेगा  
लेकिन 1843 में एलनबरी के समय में समाप्त  
नी गयी।

## 1853 का चार्टर एकट

- अब चार्टर की Reverso नहीं किया जायेगा और कार जब चाहि तब कम्पनी से भारत का उत्थासन दिन सकती है।

## Rojgar with Ankit

- ५ सदस्यी = स्थापी कर दिया गया।
- कोर्ट ऑफ डॉयरेवर्स के आधिकारी में कमी की गई।
- नियुक्ति सम्बन्धी आधिकार उससे छीन लिये। वहीं कि नियुक्तिगाँ  
अब प्रतियोगी परीक्षामी के माध्यम से होगी।
- कोर्ट ऑफ डॉयरेवर्स की सख्ती को २५ से घटाकर १४ कर  
दिया गया।
- १७ में से ६ सदस्य लूअर ब्लार मनीनीत होंगी।
- इसी खट से १८५१ में पंजाब उर्द्दीपुरी की स्थापना और  
वहाँ उपराज्यपाल पद का गठन

## \*- 1858 का भारत शासन अधिनियम \*

1. कम्पनी से भारत का पुश्चासन दिन रीषें ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथों में ले लिया।
2. गवर्नर जनरल अब वायसराय के रूप में भी भूमिका निभायेगा।  
गवर्नर जनरल = कार्यपालिका का प्रमुख.  
वायसराय = क्राउन का प्रतिनिधि
3. 1784 से चला आ रहा दोहरा नियन्त्रण अब समाप्त हो गया।  
Court of Directors, Board of Control दोनों संस्थाओं की समाप्त कर दिया।
4. भारत राज्य सचिव और उसकी परिषद्  
15 सदस्यी संस्था  
प्रमुख = भारत राज्य सचिव  
भारत राज्य सचिव का दर्जा = कैबिनेट मंत्री के समकक्ष  
परिषद् = 15 सदस्य  
9 सदस्य = ऐसे होंगे ① जिन्होंने न्यूनतम 10 वर्ष तक भारत में  
सेवा की हो।  
② भारत से आये हुए उन्हें 10 वर्ष से अधिक भी न हुआ हो।  
इस पूरी परिषद् का वेतन 1919 तक भारतीय राजकीय से दिया।  
जाता था जिसे दीमचार्जिंग कहा जाता था।

## \*- 1861 का परिषद् अधिनियम \*

- केन्द्रीय विधान परिषद् का गठन किया गया और कानून बनाने में  
भारतीयों का सहयोग लिया गया।  
तीन भारतीयों की शामिल किया गया
1. वनारस के राजा
  2. पटियाला के राजा
  3. सरदिनकर राव

- गैर सरकारी सदस्य भी थे।
- बहुमत सरकारी सदस्यों के पास था।
- पहली बार बजट प्रस्तुत किया गया।
- गैर सरकारी सदस्यों की बजट पर पुश्न पूढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया।
- अर्थशास्त्री विल्सन द्वारा आयकर लगाया गया।
- गवर्नर जनरल की अध्यादेश भारी करने की शक्ति प्राप्त हुई।  
आधिकारिक अवधि = 6 माह थी।
- पहली बार विभागीय प्रणाली लागू की गयी।  
(भारत में मंत्रीमण्डल की जनक कष्ट जाती थी)  
(कानूनों की लागू करने के उद्देश्य से विभागीय का गठन किया गया)
- गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 5 वाँ सदस्य जोड़ दिया गया।
- कानून बनाने की शक्ति का विकेंडीकरण किया गया।  
बम्बई और मणास ऐसिडेंसी को पुनः कानून बनाने का अधिकार दिया गया।

## — 1892 का परिषद् अधिनियम —

- गैर सरकारी सदस्यों के मधिकारों में वृद्धि
- बजट पर पुश्न पूढ़ने का अधिकार दिया गया।
- सरकारी नीतियों पर भी पुश्न करने का अधिकार
- सार्वजनिक इति के विषयों पर भी पुश्न पूढ़ सकते हैं।
- पुश्न पूढ़ने पर उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हैं।
- पुरुष पुश्न नहीं पुष्टा जा सकता है।
- बहुमत सरकारी सदस्यों को है।

## Rojgar with Ankit

- तीन भारतीयों को केन्द्रीय विधान परिषद् में शामिल किया गया  
 गोखले  
 बुनर्जी  
 मेहता
- पहली बार निर्वाचित पद्धति का प्रयोग किया गया।
- परन्तु निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया।

→- 1909 का परिषद् अधिनियम →-

मार्ले - मिण्टी सुधार अधिनियम

भारत राज्य सचिव गवर्नर जनरल

केंद्रीय विधान परिषद् की सदस्य संघों की बढ़ा दिए गये = 60

(60)

33 सदस्य मनोनीत

27 सदस्य निर्वाचित

5 शास्त्रीय मनोनीत

28 साधारण मनोनीत

- इस अधिनियम से पहली बार सामुदायिक निवाचन उठाली की शुरूआत हुई।

धर्म के आधार पर सर्वों का भारक्षण

- इस एकट की बनाये जाने में

⑥ मुसलमान

शोपाल कृष्ण गोखले का

Representative > Voter

योगदान माना जाता है।

⑥ जमीनदारों

- केंद्रीय विधानपरिषद् के सदस्यों के अधिकारों में सृष्टि

बजट पर पूर्ण पूछने का अधिकार मिल गया।

सार्वजनिक मैट्ट्रिक के विषयों पर भी पूछन पूछा जा सकता है।

- वायसराय की कौसिल में एक भारतीय सदस्य की शामिल किया गया - स्टेन्ड उसाद सिंह (पहले भारतीय)

- भारत राज्य सचिव कार्यकारिणी दी भारतीय

के सी गुप्ता

संयुक्त सेन विलग्रामी

## Rojgar with Ankit


### → 1919 का भारत शासन अधिनियम →

मॉन्टेग्यू - चैरसफोड़ी अधिनियम

भारत राज्यसंचित गवर्नर जनरल

- इस एकट से साम्पुदायिक निवाचन प्रणाली का विस्तार किया गया, और सिंगों को भी उसमें जोड़ दिया गया।

- छोटी सी विधान परिषद की छिस्पनीय कर दिया गया।



- प्रान्तों में छैद्य शासन लागू किया गया

आरक्षित  
प्रशासन = गवर्नर  
महत्व के विषय

इस्तोतंत्रित  
प्रशासन = मंत्री परिषद

- भारत राज्य संचित और उसकी परिषद का वेतन मंग्रेजी रावकोष से दिया जाना लगा।

भारत राज्य संचित — Rights / Dutys की इस्तोतंत्रित → भारतीय उच्चायुक्त पद का सूचन

### → 1935 का भारत शासन अधिनियम →

प्रान्तों में छैद्य शासन समाप्त कर दिया गया

↓ केन्द्र में छैद्य शासन स्थापित किया गया

कुछ प्रान्तों के विधानमण्डल की छिस्पनीय कर दिया गया।  
बंगाल, बंगलौर, मुमास. संयुक्त प्रान्त

# Rojgar with Ankit

- शक्तियों के वितरण की 3 सूचियाँ - राधा सूची - 59  
राज्य सूची - 54  
समवती सूची - 36
- राधा लीला सेवा ग्रामीण का गठन  
संघीय न्यायालय (10ct 1937) से कार्य करना पारम्परा  
प्रमुख न्यायाधीश = मॉरिस एवायर
- इसी अधिनियम से वर्मा की भारत से भलग किया गया।
- वृहद् संविधान — 14 भाग  
321 अनुच्छेद  
10 परिषिल्ट
- अविशिल्ट विधीयों पर कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल  
+ परिषद् को दिया गया।

“दासता का चाटर”

जवाहर लाल नेहरू

“अनेकों क्वेकों वाली इंजन की गाड़ी”

# राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

स्वायत्त विधिक संस्था

स्थापना = 12 अक्टूबर 1993

मानवाधिकार संरक्षण आषिनियम 1993

Tag line - सर्वे भव-तु सुखिनः

पेरिस समेलन October 1991

पहल अध्यक्ष = श्री रंगनाथ मिश्र जी

वर्तमान अध्यक्ष = श्री अरुण कुमार मिश्र

नियुक्ति = राष्ट्रपति (ठाठित समिति की सिफारिशों के आधार पर)

कार्यकाल = 3 वर्ष / 70 वर्ष की आयु जी श्री पहले पूरा ही।

## अधिकार संव शक्तियाँ

उमुख जारी - मानवाधिकारों से सम्बन्धित मुद्दों पर सरकार की परामर्श देना।

- यह परामर्श दाती संस्था है इसलिए इसे दण्ड देना का अधिकार नहीं है
- यदि 1 वर्ष पुराना मामला हो तो सरकार की सहमति से परामर्श कर सकता है
- इसकी लोक न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं
- मानवाधिकार आयोग पुत्रिवर्ष अपनी रिपोर्ट के द्वारा सरकार की सापेक्ष है

## राष्ट्रीय पिछ़ा वर्ग आयोग (NCBC)

- सामाजिक ज्ञान और आधिकारित मंत्रालय
- सेवानिक निकाय
- सेवानिक वर्ग - 102 ताँ राष्ट्रीय संशोधन 2018
- अनुच्छेद-338B के अन्तर्गत इसी सेवानिक निकाय बनने का प्रावधान है।
- राष्ट्रीय पिछ़ा वर्ग आयोग 1993 के प्रावधानों के अनुसार इसका गठन किया गया है।
- मुख्य कार्य - पिछ़ा वर्ग के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक हितों की रक्षा करना और सलाह देना
- 340 - राष्ट्रपति सामाजिक और शाक्तिक रूप से पिछ़े वर्गों की जांच के लिए एक आयोग की स्थापना करेगा।
- NCBC की संरचना (338B) - का निर्धारित संसद के मारा किया जाएगा।
  - अध्यक्ष
  - उपाध्यक्ष
  - तीन सदस्य
 ऐवा शर्ते एवं कार्यकाल के राष्ट्रपति नियम बनाकर निर्धारित करते हैं।
 राष्ट्रपति इस्तावर सहित अपनी मुख्य से करते हैं।
 इस आयोग की अपनी उक्तिया विनियमित करने की शक्ति प्राप्त होती है।
- अध्यक्ष - द्वारा गंगाराम आहिर

## परिस्थिति आयोग

भारत निर्वाचन आयोग  
के अन्तर्गत एक निकाय

- Q2. - पुत्रीक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन किया जायेगा।

सीटों - जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होती है।  
जनसंख्या (पुत्रीक 10 वर्ष के अन्तराल पर होती है) इसलिए सीटों का

निष्ठारित भी 10 वर्ष के अंतराल पर होगा।

1951 की जनगणना के आधार पर = 1952 में परिसीमन

परिसीमन — प्रयोक्ता जनगणना के बाद चुनाव क्षेत्रों का समांकन करना।

LS|VS - प्रत्यक्ष रूपांकन (प्रत्यक्ष निर्वाचन)

जनता प्रत्यक्ष निर्वाचन से LS|VS सदस्थी का चुनाव  
+/- +/-

1961 जनगणना के आधार पर = 1962 में परिसीमन

1971 जनगणना के आधार पर = 1972 में LS(543)

2002 में परिसीमन - सीटों की संख्या  
में कोई परिवर्तन नहीं LS(543)

85वाँ संविधान संशोधन 2001|2002

1971 की जनगणना के आधार पर नई जनसंख्या नीति 2000 के तहत 2026 तक सीटों की संख्या निष्ठारित रहेगी।

सीटों की संख्या में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा।

# Rojgar with Ankit

## राज भाषा आयोग

भारत के राष्ट्रपति की यह अधिकारीय कि वह अनुच्छेद 344 (1) के अनुसार राष्ट्रभाषा के राष्ट्रभाषा में एक आयोग गठित करें।

7 जून 1955 की श्री नीरज छेर की अद्यक्षता में एक राष्ट्रभाषा आयोग गठित किया गया।

**सिफारिशी-** ① संघ के सरकारी काम काम के उचित रो उचित हिन्दी भाषा का प्रयोग होना चाहिए।

② संघ के सभी संकुचन सरकारी काम काम के लिए अक्षरी भाषा के प्रयोग की मनाई।

**सिफारिशी प्रस्तुत की - 31 July 1956**

## भारत में महत्वपूर्ण समितियाँ एवं आयोग

### समिति का नाम

1. अभिजित सेन समिति (2002) —
2. आविद दुस्न समिति —
3. अजीत कुमार समिति —
4. अश्वरेण्या समिति —
5. बेसल समिति —
6. भूरेलाल समिति —
7. विमल जालान समिति —
8. विमल जालान समिति —

### सूचाव वित्र

- |  |  |
|--|--|
| दीर्घकालिक खाद्य नीति  | लघु उद्योग पर                                      |
| सेना वेतनमान   | IDBI का पुर्णगठन                                   |
| बैंकिंग पर्यावरण   | मोटर वाहन कर में वृद्धि                            |
| पुंजी बाजार बुनियादी दांड़ा संस्थानों (cmi) के कामकाज पर रिपोर्ट | RBI के पास गोप्यद कॉपीटल रिजर्व की समिक्षा के लिए। |

## Rojgar with Ankit

9. C बाबू राजीव समिति — शिप एवं 1908 और शिप ट्रस्ट अधिनियम  
1963 में सुधार
10. C रंगराजन समिति (2011) — गरीबी रेखा के निशारिण के लिए  
केंद्र कॉपिटल
11. चंडु छोखर समिति — सुरक्षा विश्लेषण और निवेश प्रबंधन
12. चंद्रत्री समिति की रिपोर्ट (1997) — क्षेत्र कोडिट सिस्टम के रांचालन की  
समीक्षा करने के लिए
13. K.B. कोर कमीटी — असंगठित क्षेत्र के लिए पेशान योजना  
पीपीपी मॉडल के माध्यम से  
भुनियादी ढांचे के लिए वित्त व्यवस्था
14. देवी समिति (2000) — बैंकिंग लोकपाल
15. दीपक पारेक्ष समिति — विनियोग पर
16. सुमा वर्मा समिति (2006) — प्राथमिक (शाही) सहकारी बैंकों में  
ग्राहक सेवा में सुधार
17. जी. नी रामकृष्ण समिति — उत्तरक अपांगतो
18. गोइपोरिया समिति — कर्ट अकाउट कुरी फॉरवर्ड प्रॉमिट्स  
प्रतिश्रूति लेनदेन
19. द्वनुमंत राव समिति — कंपनी कानून सुधार
20. जी.आर वर्मा समिति — भारत में क्षेत्रीय व्यापारिण बैंकों की  
वित्तीय स्थिति का विश्लेषण करने के लिए
21. ज्ञानकीर्मण समिति — राज्यीय शिक्षा नीति का मसांदा तैयार  
करने के लिए
22. जी. जी. इरानी समिति — कर संरचना सुधार
23. के.एसी.चक्रवर्ती समिति —
24. के कस्तुरीरंगन (2017) —
25. केलकर समिति (2002) —

26. कोठारी अधियोग (1964) — भारत में शौक्षिक क्षेत्र के सभी पदलुओं की जाँच करना
27. खान वर्किंग ग्रुप — वित्त विकास संस्थान
28. चूसरी समिति — कृषि क्षेत्र पुणाली
29. कुमार मंगेलग बिड़ला रिपोर्ट — कॉर्पोरेट गवर्नेंस
30. M.B शाह कमीटी — विदेशों में जमा काले धन की जाँच के लिए
31. महाजन समिति (1997) — अनी उद्योग
32. मालेगाम समिति — प्राथमिक बाजार में सुधार और UTI का पुनर्गठन
33. मल्होत्रा समिति — बीमा क्षेत्र की व्यापक रूपरेखा

## Rojgar with Ankit

### राजभाषा

आग - १७

343 - 351

सरकारी कार्यों एवं राजकाल में प्रयोग में लायी जाने वाली भाषा  
कहलाती है।

भारत में 1652 से अधिक माझाएँ बीजी जाती हैं।

जिनमें से 63 भाषाएँ विदेशी हैं।

इनमें से हिन्दी सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है।

लगभग ५८% इससे पर बोली जाती है।

वर्तमान में १ राज्यों में हिन्दी राजभाषा के रूप में अधिकृत है।

उत्तरपूर्वेश्वर द्वितीयगढ़ NCT दिल्ली

मध्यपूर्वेश्वर राजस्थान

शारखण्ड दारियाणा

उत्तरखण्ड हिमाचल

बिहार

### ऐतिहासिक घुट्ठभूमि

खत्तता प्राप्ति के पश्चात् भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय एवं विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र पर बोली जाने वाली भाषा हिन्दी थी।

इसी तर्क को आधार बनाते हुए हिन्दी की राजभाषा का वर्ण उदान किया गया।

संविधान सभा में बहस (11-14 सितम्बर 1949)

नियम समिति = 14 सितम्बर हिन्दी की राजभाषा का वर्ण  
भाग - १७ (343-351)

संघ की राजभाषा  
(343-344)

राज्य अपवा  
प्रादेशिक भाषाएँ  
(345-347)

SC & NC की  
भाषा  
(348-349)

भाषा सम्बन्धी  
विशेष दिवानी  
(350-351)

## Rojgar with Ankit

343 - संघ की राजभाषा - हिन्दी देवनागरी लिपि

343(1) - गांधीतीय मान | सम्बोधनी

विदेशी पद्धति (1, 2, 3. - 9)

26 Jan 1950 अंतर्राष्ट्रीय

343(2) हिन्दी की राजकीय भाषा = दर्जी

आगे जाने वाले 15 वर्षों तक राजकीय कार्यों में अंग्रेजी भाषा का पुर्योग भी होता रहेगा।

संसद की कानून बनाकर यह नियम लेने का अधिकार दिया गया।

राजभाषा अधि. - 1963

हिन्दी राजकीय भाषा ही रहेगी। तथा साथ ही अंग्रेजी का भी पुर्योग होता रहेगा।

राजभाषा संशोधन अधि. 1963

जब तक कोई भी ऐसा राज्य जिसने हिन्दी की राजभाषा के रूप में आधिनिमित नहीं किया तब तक अंग्रेजी का राजभाषा का रूप में पुर्योग होता रहेगा।

345 - राज्य अधिकार पुर्देशिक भाषा

जब तक कोई भी राज्य विधान हिन्दी को आ मान्य Regional Lang. की अपनी राजकीय भाषा नहीं Select कर लेता। तब ही अंग्रेजी का राजभाषा के रूप में पुर्योग होता रहेगा।

हिन्दी की द्वितीय राजभाषा के रूप में मान्यता —

महाराष्ट्र — पण्डिगढ़

गुजरात अप्पमान निकोलार

पंजाब

अंग्रेजी की राजकीय भाषा के रूप में मान्यता —

मेघालय अरुणाचल पुर्देश

मिजोरम नागालैण्ट

346 - संघ की राजभाषा

संघ  $\leftrightarrow$  राज्यों के मध्य

राज्य  $\leftrightarrow$  राज्यों के मध्य

प्रताचार का माध्यम

Rojgar with Ankit

225

347 - राज्यपति की यह अधिकार है।

राज्य की जनसंख्या का अधिकांश दिसा - जो एक भाषा  
बोलता है। राजभाषा बनाना पाता है।

सम्पर्क की भाषा (संघ और राज्यों के मध्य)  
अंग्रेजी होगी

$\Downarrow$   
अनुवाद - हिन्दी में भी होगा।

348 - SC और HC की भाषा राजभाषा Act 1963

$\downarrow$   
अंग्रेजी

$\downarrow$   
राज्यपाल

राज्यपति की रिफारिश करे

HC की कार्यवाही हिन्दी में हो सकती है।

नियम  
आदेश }  
डिकी }  
} HC - अंग्रेजी

## Rojgar with Ankit

- पी. बी. नायक समिति - बैंकों के बोर्ड के ग्रासन का मूल्यांकन करने और निदेशकों साथ ही साथ कार्यकाल का चयन करने के लिए मानदंडों की जांच करना
  - पुस्त फैनल - अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और सेवाएँ
  - राष्ट्र कृष्ण आयोग - विश्व विधिलय अनुदान आयोग की स्थापना (1948)
  - R.V. गुप्ता समिति - लघु बचत
  - राजा चेल्या समिति - कर सुधार
  - रेखा समिति - उपर्युक्त कर
  - R.V. गुप्ता समिति - कृषि नीति
  - सरकारिया आयोग - केंद्र राज्य सम्बन्ध
  - के संथानम् समिति - रीबी आई की स्थापना
  - एस. पी. तलवार समिति - कमलोर सार्वजनिक छोड़ी के लिए का पुनर्गठन
  - सुरेश तेलकर समिति - गरीबी रेखा की कुनर्परिभाषित करना और उसकी छानना सुन्दर
- (Basket of minimum goods)
- सप्त लाभ समिति (July 2002) - घरेलू चाय उधीण का विकास
  - शाह समिति - और बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से सम्बन्धित सुधार
  - शिवरामन समिति (1979) - जालाई की स्थापना
  - S.N. बर्मा समिति (1999) - वाणिज्यिक बैंकों का पुनर्गठन

# Rojgar with Ankit

227

- एकामीनाथन आयोग (2004) — किसानों के रासने जाने वाली समस्याओं का पता लगाना
- सुखमय चक्रवर्ती समिति (1982) — भारतीय मौद्रिक पुणाली के कामकाज का आकलन करने के लिए
- टंडन समिति — बैंकों द्वारा कर्जशील पूँजी वित्तीयण की पुणाली
- तराणेर समिति (1997) — पूँजी खाता पारिवर्तनीयता पर निपोर्ट
- उदेश कोइली समिति — विद्युत क्षेत्र में फण्ड की आवश्यकता का विश्लेषण
- U.K शासी समिति — RRB में जाबाड़ की शुभिका
- वाघुल समिति — भारत में मुद्रा बाजार
- वासुदेव समिति — NBFC सेक्टर में सुधार
- पाई B. रेड़ी समिति (2001) — आयकर फूट की योजना
- व्यापमूर्ति A.K माधुर आयोग — नवीन वेतन आयोग
- बलरंग राय मेहता समिति — पंचायती राज संस्थाएं
- टंडन समिति — अधिग्रहित रक्षणात् बैंक ऋण का पालन करने से संबंधी
- सीधानी समिति — भारत में NRI निवेश में विदेशी विनियम बाजार
- सामल समिति — उत्तराधीन ऋण
- ऐस. पदमनाभन समिति — बैंकिंग पर्यवेक्षण एवं बैंकों का नियोजन

- अनुसूचित जाति चोकसी समिति — प्रत्यक्ष कर कानून
- शक्ति लाल गाँवी समिति — कृषि विधान
- S.K. कालिया समिति — केंद्रीय में नए प्रकारी संगठन और एवं सहायता समूहों की भूमिका लघु उद्योगों के लिए नए
- तोवी समिति — प्रत्यक्ष कर
- बांधु समिति — आमीण नए
- व्यास समिति — बीमा क्षेत्र में सुधार
- जि रडी समिति — असम के 6 समुदायों की अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिये जाने पर विचार हेतु
- कामथ समिति — शिक्षा चैर योजना
- कर्वी समिति — लघु उद्योग
- मदादेवन समिति — सिंगल विडी सिस्टम
- नरमिन समिति — शाखा विस्तार कार्यक्रम
- मदालगोबिस समिति — आय वितरण
- पिल्लई समिति — बैंक आधिकारियों के बेतन मान
- राघवन समिति — प्रतिस्पधि कानून
- रु समिति — आधीगिक रुक्षणता
- बलवंत शमशेता समिति — विक्रेता करण पुणाली पर सिफारिशें (त्रिस्तरीय पुणाली पर सिफारिशें)

## Rojgar with Ankit

- पॉलेकर द्विव्युनल - पत्रकारी का वेतन सुधार
- जानकी राम समिति - सुरक्षा धीराल
- रावत समिति - अन्ना हजारे झाँसी मंत्रियों के बिलाफ़ आरोप, भूषणाचार पर पूछताछ
- बासवान समिति - सिविल सेवा परीक्षा में बदलात होने सुझात
- तारकुड़ी समिति - ग्रामदाता की आयु 21 से धराकर 18 वर्ष करना चुनाव प्रक्रिया में सरकारी धन रखने का उपयोग न करना
- अशोक मेहता समिति - द्विस्तरीय पचायती राज स्थानीय की सुस्थिति
- आविद दुर्सन समिति - होटे प्रमाने के उघोगी के सुझात होने
- ज्योति बहु समिति — आवक्टाई समाप्ति पर रिपोर्ट
- सेन गुप्ता समिति — शिक्षित घरोजगारी
- डॉ. विजय केलकर समिति - पाकृतिक भौति गुल्म
- केलकर समिति 3 — प्रत्यक्ष तरुण प्रोफेशन करारीपण
- केलकर समिति 2 — पिटडी जातियों पर पहली समिति
- शंकरलाल गुरु समिति → कृषि विपणन
- K.N. कावरा समिति — एयूचर ट्रेडिंग
- N.K. सिंह समिति — विद्युत क्षेत्र में सुधार
- सुशील कुमार समिति — बीटी कपास की खेती की समीक्षा
- राजेन्द्र सच्चर समिति — कपंनीब एड मर्पा एवं
- पिन्टी समिति — नीवल उघोग

→ वंदेत्री समिति

↓ शेयर व उतिग्रुहियों की स्टॉक एक्सचेंज में  
डीलिस्टिंग

→ अष्टित कुमार समिति - सेना के वेतनों की विसंगतियाँ

→ आभियान सेन समिति - दीघकालीन अनाज नीति

→ लाइडी समिति - बाबू तेलों के मूल्यों की लेकर  
पश्चल संचना संबंधी सिफारिशाकल

→ सच्चर समिति 2 - मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक व  
शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन

→ नायर कार्यदल — पेट्रोलियम क्षेत्र में विदेशी निवेश की  
आकर्षित करने के लिये नीतिगत सुसाधन  
देने हेतु

# Rojgar with Ankit

## प्रमुख वाद

- मौलिक आधिकारीं की संशोधनीयता
- पृथम संविधान संशोधन 1951 — 9वीं अनुसूची
- अनु० 31 सम्पति का आधिकार - राज्य के Against

भूमि सुधार

जमीनदारी उम्मलन

भूमि की आधिकतम  
प्रणाली

## शंकरी प्रसाद v/s भारत संघ

राज्य DPSP को उपलब्ध कराने के लिए हमारे Fundamental Rights का उल्लंघन कर रहा है।

तर्क - ऐसी कोई विधि नहीं बनायी जा सकती, जो मौलिक आधिकारीं का घनन करती है।

### 13(2) : संविधान संशोधन विधि

क्या संविधान संशोधन "विधि शब्द के अन्तर्गत आता है अथवा नहीं"? सुप्रीम कोर्ट ने कहा - नहीं

माँग - पृथम संविधान संशोधन की अवधि दीषित किया जाए

निष्कर्ष — पृथम संविधान संशोधन नहीं है।

## रुद्रजन सिंह v/s राजस्थान राज्य (1965)

challenge — पृथम संविधान संशोधन

9वीं अनुसूची में Lands Reforms अवधि है।

अनु० 31 के FR का उल्लंघन करते हैं।

न्यायालय - पृथम संविधान संशोधन वैध है।

(13(2)) के अन्तर्गत विधि के अन्तर्गत नहीं आता है।

## Rojgar with Ankit

संसद के पारा बनाये गये स्थानीय कानूनों के ही विधि शब्द के अन्तर्गत माना जायेगा।

### गोलकनाथ 11 संघीय (1967)

न्यायधीशों की संख्या = 11

निर्णय - अनु० 368 पारा किया गया संविधान संशोधन विधि शब्द के अन्तर्गत आता है।

13(2) के प्रावधान के अन्तर्गत वह FR का इनन नहीं करता है।

संसद - स्थानीय विधि

स्थानीय विधि + संविधान संशोधन (विशिष्ट बहुमत) विधि शब्द के अन्तर्गत।

भूतलक्ष्मी की भगाह अविधिलक्ष्मी का सिद्धान्त दिया।

1951 → संविधान संशोधन विधि नहीं है।

FR में संशोधन किया जा सकता है।

अब सुप्रीम कोर्ट 1967 से - संविधान संशोधन भी विधि है। FR का इनन। सीमित नहीं किया जा सकता कीई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

### संसद — 24वाँ संविधान संशोधन (1971)

13(4) - नथा अनुच्छेद जोड़।

368 के माध्यम से किया गया FR में संशोधन 'विधि' शब्द के अन्तर्गत नहीं आयेगा।

368(3)

## Rojgar with Ankit

25 ताँ रुदिष्ठान रुदीष्ठान (1971)

- 39(b) को उपलब्ध करने के लिए कोई भी विधि बजायी जाती है।
- 39(c) वह इस आशार पर अतंक नहीं
- 14, 19, 31 का उल्लंघन कर रही है।

# Rojgar with Ankit

234

## केशवानन्द भारती v/s केरल राज्य 1973

45 वाँ संविधान संशोधन 1971 मुनीती दी गयी

13(4) - मौलिक आधिकारों में संशोधन किया जा सकता है अर्थात्  
368(3) विधि शब्द के अन्तर्गत शामिल नहीं हैं

SC = Valid [F:6]

संविधान संशोधन = विधि शब्द के अन्तर्गत नहीं आता

मौलिक आधिकारों में संशोधन किया जा सकता है

Basic Structure आधारभूत ढंग में देखानी नहीं Restriction नहीं लगाया जा सकता

42 वाँ संविधान संशोधन ने 368(4) - संसद - संविधान संशोधन की शक्ति पर  
368(5) - Judiciary को संसद द्वारा निमित्त

कानूनों के Review का अधिकार नहीं है

## मिनर्व मिल्स 1980

VIS भारत संघ

सुप्रीम कोर्ट 368(4), 368(5) को अवैध घोषित कर दी है  
आधारभूत ढंग का सिद्धान्त

## वामनराव VIS भारत संघ 1981

सुप्रीम कोर्ट की Judicial Review की शक्ति प्राप्त है

↓  
आधारभूत ढंग

31(ब) संविधान की 9 वीं अनुसूची विषय VIS FR  
challenge नहीं कर सकते हैं

अविष्य लक्षी सिद्धान्त — 24 April 1971

पहले

बाद

9 वीं अनुसूची  
JR ✓

# Rojgar with Ankit

## अनु० 16(4) से सम्बन्धित वाद

आरक्षण की व्यवस्था है।

राज्य की राय में किसी नियोजन में किसी पिछड़ी वर्ग का उत्तिनिधित्व कम है। उसके लिए विशेष रक्षणापात्र किया जा सकता है।

① पिछड़ी वर्ग से क्या आभिषाय है?

संविधान में पिछड़ी वर्ग की कोई निश्चित परिभाषा नहीं दी गयी। राज्यपति को 340 के तहत पिछड़ी वर्ग की पहचान देते एक आयोग का गठन करना है। पिछड़ी वर्ग में किस-2 की शामिल आयोग - स्पष्टारिश - राज्यपति किया जायेगा।

वर्गीकरण - Reasonable

- यायालय की यहाँ पर Judicial Review का अधिकार होगा।  
घोषणा - सरकार

② पिछड़ी वर्गों के तहत किनीं उपवर्गी बनाये जा सकते हैं।

अनुसन्धित जाति

अनुसन्धित जनजाति

अन्य पिछड़ी वर्गी (OBC's) विवाद = OBC's classification

पिछड़ी वर्गी मधिक पिछड़ी वर्गी

वाद = धालोजी v/s मैसूर राज्य 1963

इस प्रकार का वर्गीकरण असंवैधानिक है।

कृष्णरामनी v/s भारत संघ 1993

पिछड़ी वर्गी का वर्गीकरण आवश्यक है।

creamy layer Non creamy layer

## Rojgar with Ankit

आरक्षण का लाभ केवल NCL की ही मिलना चाहिए।

③ क्या माहिलाओं को पिछड़े वर्गों में शामिल करके आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है अथवा नहीं।

16(4) = माहिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं करता।

15(3) = माहिलाओं के लिए विशेष उपबोध आरक्षण से नहीं है।

↓  
किसी अनुसूचित जाति वर्ग महिला आरक्षण

समान्य की cut-off पर Selection - आरक्षण की Category में शामिल

④ आरक्षण के लिए किन-2 कस्टमियों की आधार बनाया जाना चाहिए?  
पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए क्या केवल जाति की ही पिछड़ेपन की कस्टमी माना जा सकता है?

बालाजी 71 संस्कृत राज्य 1963

इंडियन 71 भारत संघ 1993

केवल पिछड़ेपन का आधार नहीं जाति ही सकती।

जाति - पिछड़े वर्ग के आधार पर ही

- o आर्थिक स्थिति
- o जन्मस्थान
- o शौक्षिक स्थिति
- o सामाजिक स्थिति

केवल आर्थिक स्थिति (भरीबी) पिछड़ेपन का आधार नहीं ही सकती है।

किसी एक जाति के 90% से अधिक पिछड़ापन - पिछड़े वर्ग

⑤ आरक्षण की सीमा - आधिकतम कितना % आरक्षण दिया जा सकता है?  
बालाजी 71 संस्कृत राज्य 27 seat = Reserve इंडियन 71 भारत संघ  
भैस्कर राज्य = 60%. 21 seat = 60% वीरगयी 50% ही इससे  
कुपीर कोट - असर्वेषानिक 6 seat - बाली - समान्य 50% X आधिक आरक्षण नहीं।  
... जो अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता

## देवदासन 71 स भारत संघ

SC ने carry forward नियम को अस्वीकृति  
 81 वाँ संविधान संशोधन 2000  
 carry forward पुनर्लागू करवाया।

## Rojgar with Ankit

- 16(4) के आधार पर क्या लीक सेवकों की शिन्नति में भी आरक्षण दिया जा सकता है।
- विभिन्न मामलों में न्यायालय ने यह निर्णीति किया कि आरक्षण का मामला केवल नियुक्ति तक ही सीमित नहीं है शिन्नति में भी आरक्षण दिया जा सकता है।
- इंडा साहनी V/s भारत संघ 1993 में सुनिश्चित कोई अपने पुर्व में दिये हुए नियंत्रियों की पलटती है।
- आरक्षण केवल नियुक्ति तक ही सीमित होगा। शिन्नति में आरक्षण नहीं दिया जायेगा क्योंकि इससे कार्यकुशलता पुआवित होगी।
- परन्तु सरकार शिन्नति में आरक्षण देना चाहती थी। सरकार तक - SC ने शिन्नति में आरक्षण न देने की बात केवल OBC के सदर्शी में मान्य है। SC/ST की Promotion में आरक्षण दिया जा सकता है।
- 77 वां संविधान संशोधन 1995  
अनु 16(4) (क) अब स्थापित किया जाता है।  
अनु 16 में कही गई कोई बात SC/ST की शिन्नति में आरक्षण देने से नहीं रोकेगी।
- अनु 335 पुस्तकालय कुशलता  
80 वां संविधान संशोधन SC/ST को प्रोमोशन में आरक्षण दिया जा सकता है।

एस नागराज V/s भारत संघ मामला (2005)

SC से अपील की गई कि 77 वां संविधान संशोधन की वैधानिकता की जाँच करें।

## Rojgar with Ankit

SC ने इसे वैध माना।

प्रीन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है।  
परन्तु इसके लिए पर्याप्त गणितीय आंकड़े उपलब्ध होने चाहिए।

### DPSP से सम्बन्धित उमुख वाद

रस्सद के द्वारा निर्मित आधिनियम

39(D) - समान कार्य के लिए समान वेतन  
(पुरुषों व महिलाओं)

समान पारिश्वभिक युधि. 1976  
(समान कार्य समान वेतन)

39(E) - पुरुष महिला वयों श्वमिक <sup>आयु</sup> के माध्यर पर धरियूल  
शक्ति रोजगार में जाने से

39(F) - वयों के अनुमा के साथ विकास का अवसर देना

45 - उच्चाधिक शिक्षा (6-14 years)

86 वाँ राजिकान राजीवीन 2002

21A में मौलिक आधिकार

$\downarrow$   
(6-14) वर्ष तक के वयों की नि शुल्क उच्चाधिक शिक्षा का  
आधिकार

40 - ग्राम पंचायतों का गठन किया जायेगा।

शासन की ईकाई के रूप में स्थापित किया जायेगा।

73 वाँ - ग्राम पंचायत = 11 कर्मी = 29 कार्य (243 - 2430)

74 वाँ - नगर पंचायत = 12 कर्मी = 10 कार्य (243P - 2G)